

ledkyhu Hkkjr ,o f'k{kk

[k.M

3

f'k{k d nk'kfud ifjÁ{;

bdkb! 9

f'k{kk dh vo/kkj.kk rFkk ÁÑfr 5

b d k b! 10

f'k{kk d: nk'kfud vk/kkj 25

b d k b! 11

$$f'k\{kk \ d\ ykd rkf=d \ f l \) \ kUr \quad 47$$

bdkb! 12

f'k{kk d: vfHkdj.k 65

fo'k'kK l fefr

प्रो. आई.के. बंसल (अध्यक्ष)
पूर्व अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रो. श्रीधर वशिष्ठ, पूर्व कुलपति
लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

प्रो. परवीन सिक्लेयर
पूर्व निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.
विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ऐजाज मसीह
शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

प्रो. प्रत्युष कुमार मंडल
डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रो. अंजु सहगल गुप्ता
मानविकी विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एन.के.दाश (निदेशक)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एम.सी. शर्मा (कार्यक्रम समन्वयक, बी.एड.)
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. गौरव सिंह (कार्यक्रम सह-समन्वयक, बी.एड.)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

fof'k"V vkef=r l nL; ¼f'k{kk fo | ki hB} bXu ½

प्रो. डी. वेंकटेश्वरलू
प्रो. अमिताभ मिश्रा
सुश्री पूनम भूषण
डॉ. आइशा केन्नाडी
डॉ. एम.वी.लक्ष्मी रेड्डी

डॉ. भारती डोगरा
डॉ. वन्दना सिंह
डॉ. एलिजाबेथ कुरुविला
डॉ. निराधार डे
डॉ. अंजुली सुहाने

ikB; Øe l eUo; d ¼ ik- , e- l h- 'kek] f'k{kk fo | ki hB} bXu

ikB; Øe l g& l eUo; d ¼ Mk- fu jk/ k j M] f'k{kk fo | ki hB} bXu

[kM fuek.k ny

ikB; Øe ; kx nku
डॉ. गौरव राव ¼bdkb 9½
शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. यूनिवर्सिटी,
कानपुर (यू.पी.)
डॉ. अशोक कुमार सिडाना ¼bdkb 10½
श्री अग्रसेन पी.जी. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
(सीटीई), जयपुर (राजस्थान)
ई.एस.-334, (इग्नू, बी.एड., 2000)
से लिया गया ¼bdkb 11½

डॉ. सोनिया आनंद ¼bdkb 12½
प्रिंसिपल, कस्तूरी राम कॉलेज,
ऑफ हायर एजुकेशन, नरेला, नई दिल्ली
प्रमुख रूपांतरण ¼bdkb 10 , o 11½
डॉ. निराधार डे,
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

fo" k; oLr l i i k n u
प्रो. अनिता रस्तोगी
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टडिज
शिक्षा संकाय, जामिया
मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

vk : i l i k n u
डॉ. निराधार डे
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

vuoknd ny

vuoknd
श्री चन्द्रशेखर ¼bdkb 9 , o 10½
रिसर्च असिस्टेंट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू,
नई दिल्ली

डॉ. सत्यवीर सिंह ¼bdkb 11 , o 12½
एस. एन. आई. कॉलेज,
पिलाना, बागपत (यू.पी.)

fgUnh i i u j h { k . k
डॉ. निराधार डे ¼bdkb 9 , o 10½
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली
श्री चन्द्रशेखर ¼bdkb 11 , o 12½
रिसर्च असिस्टेंट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट),
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

i i Q j h f M x
डॉ. निराधार डे
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली
श्री चन्द्रशेखर
रिसर्च असिस्टेंट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट),
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

l kexh mR i k n u

प्रो. सरोज पाण्डे
निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

श्री.एस.एस. वेंकटाचलम
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
इग्नू, नई दिल्ली

अक्टूबर, 2016 (संशोधित)

©इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय; 2016

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गद्दी, नई दिल्ली-110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी-166ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (नजदीक द्वारका), नई दिल्ली-59

मुद्रक :

चर्चा, I-122 I edkyhu Hkkjr ,o f'k{kk	
[kM 1 इकाई 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4	Hkkjr; Ikekftd lnHki ,o f'k{kk भारतीय समाज की प्रकृति भारतीय समाज की अपेक्षाएँ शिक्षा एवं नीतियाँ भारतीय समाज एवं शिक्षा
[kM 2 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई 8	Hkkjr e f'k{kk gr uhfrxr <kpk स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1947 से 1964 विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1964 से 1985 विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1986 एवं तत्पश्चात्
[kM 3 bdkb 9 bdkb 10 bdkb 11 bdkb 12	f'k{kk d nk'kfud ifjA{; f'k{kk dh vo/kkj.kk rFkk ANfr f'k{kk d nk'kfud vk/kkj f'k{kk d ykdrkf=d fl)kur f'k{kk d vfHkdj.k
[kM 4 इकाई 13 इकाई 14 इकाई 15 इकाई 16	ek/;fed f'k{kk d eí ,o I jkdj माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण शिक्षा में समता एवं समानता माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

शिक्षा का संप्रत्यय अध्ययन के मूलभूत क्षेत्रों जैसे दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा इतिहास से लिया गया है। शिक्षा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों का समाकलन विद्यालय के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को संगठित करता है। **pledkyhu Hkkjr ,o f'k{kk** पाठ्यक्रम का प्रस्तुत खंड **pf'k{kk dī nk'kfud ifjĀ{;** का निर्माण शिक्षा के दार्शनिक आधार तथा आवश्यकता के विमर्श हेतु किया गया है जो शिक्षकों द्वारा समझा जाएगा एवं इसके अनुरूप इसका अभ्यास शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में किया जाएगा। हम जानते हैं कि दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं। दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है जबकि शिक्षा शिक्षण-अधिगम गतिविधियों के निर्माण हेतु क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन मार्ग प्रदान करता है जबकि शिक्षा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इसे ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों को समझने के लिए उपरोक्त खण्ड चार इकाइयों से निर्मित है।

bdkb&9] pf'k{kk dh vo/kkj.kk ,o ĀNfrb] इस खण्ड के आगे की इकाइयों के समझ के लिए एक आधार प्रदान करती है। यह इकाई गाँधी, टैगोर, रूसो तथा जॉन डिवी जैसे महान शिक्षाविदों द्वारा परिभाषित शिक्षा के अर्थ एवं अवधारणा की चर्चा करती है। इस इकाई में आगे शिक्षा की औपचारिक, निरौपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धति के साथ शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की चर्चा की गई है। इकाई वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के परिवर्तनशील लक्ष्यों के विस्तार के साथ समाप्त होती है एवं भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा के लक्ष्यों का पालन भी करती है।

bdkb&10] pf'k{kk dī nk'kfud vk/kkj]b दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा के मध्य अंतर्संबंध एवं एक-दूसरे के लिए उनके योगदान को स्थापित करता है। यह स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है कि किस प्रकार दर्शनशास्त्र शिक्षा में संकल्पना एवं सिद्धान्त का वैचारिक पक्ष है तथा शिक्षा सिद्धान्तों के व्यवहार में सक्रिय पक्ष है। आगे, यह इकाई शिक्षा की संकल्पना, पाठ्यचर्या के सुझाव, शिक्षण विधियाँ तथा शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की भूमिका के रूप में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के अधिगम पर विमर्श करती है।

bdkb&11] pf'k{kk dī ykdrkf=d fl)kUr लोकतंत्र की अवधारणा एवं सिद्धान्तों तथा राष्ट्र के लिए शैक्षिक दायित्वों को पूर्ण करने की इसकी वचनबद्धता पर विमर्श प्रारंभ करती है। ठीक इसी तरह, किसी देश में शिक्षा व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ एवं लोकतंत्र के सिद्धान्तों के समुचित क्रियान्वयन के लिए भी सक्रियता से कार्य करती है। यह इकाई शिक्षा का अधिकार, सतत् विकास हेतु शिक्षा, प्रबुद्ध नागरिकता का विकास, ज्ञान आधारित समाज का निर्माण तथा मूल्यों एवं शांति शिक्षा को मनःस्थापित करने की दृष्टि के लिए लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा की आवश्यकता पर भी विमर्श करती है।

bdkb&12] pf'k{kk dī vfHkdj.kb] शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं संचार माध्यम के महत्व की चर्चा करती है। यह आगे बच्चे को शिक्षित करने हेतु संचार माध्यमों एवं एक साथ कार्य के पारस्परिक अंतर्संबंधों को प्रतिष्ठित करता है। जैसा कि परिवार एवं विद्यालय समाज के लघु रूप हैं, समुदाय के भलाई हेतु उनके कार्य तथा इनके पारस्परिक कार्य को उदाहरणों एवं दृष्टान्तों द्वारा इस इकाई में विमर्श किया गया है।

ljpuk

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 शिक्षा क्या है?
 - 9.3.1 शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थ
 - 9.3.2 शिक्षा की प्रकृति एवं विषयक्षेत्र
 - 9.3.3 शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व
- 9.4 शिक्षा एवं स्कूलिंग, अधिगम, प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अनुदेश के मध्य अवधारणात्मक भेद
- 9.5 शिक्षा के कार्य
- 9.6 शिक्षा के लक्ष्य
 - 9.6.1 शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्य
 - 9.6.2 शिक्षा के अंतिम एवं तात्कालिक लक्ष्य
 - 9.6.3 वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के बदलते लक्ष्य
 - 9.6.4 भारत के संविधान से प्राप्त शिक्षा के शैक्षिक लक्ष्य
 - 9.6.5 शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारक कारक
- 9.7 सारांश
- 9.8 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन
- 9.9 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

9-1 ÁLrkouk

हम लोगों में से अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शिक्षा वर्तमान समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष बन चुकी है, जिसके बिना व्यक्ति का समृद्ध जीवन असंभव है। हम लोग केवल स्वयं शिक्षा लेने हेतु उत्सुक नहीं हैं बल्कि दूसरों को भी इसे प्राप्त करने देने में काफी गंभीर हैं। यदि हम शिक्षा को समीक्षात्मक रूप से देखते हैं, तब हम पाते हैं कि यह उद्देश्यपूर्ण, सचेतन, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति का संपूर्ण विकास तथा समाज का इस प्रकार विकास करती है कि दोनों अधिकतम संतुष्टि एवं समृद्धि प्राप्त करते हैं। संक्षेप में, शिक्षा समाज की आवश्यकता एवं माँग के अनुरूप व्यक्ति का विकास है, व्यक्ति जिसका अभिन्न अंग है (सिंह, 2008)।

प्रस्तुत इकाई आपको शिक्षा की अवधारणा एवं प्रकृति, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसके लक्ष्यों एवं कार्यों को समझाएगी। आगे, यह इकाई आपको शिक्षा के तात्कालिक एवं अंतिम लक्ष्यों से परिचित कराएगी।

9-2 mÍ' ;

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- शिक्षा शब्द को परिभाषित कर सकेंगे;

- शिक्षा की अवधारणा एवं प्रकृति को समझ सकेंगे;
- स्कूलिंग, अधिगम, प्रशिक्षण, शिक्षण तथा अनुदेश की अवधारणा को परिभाषित कर सकेंगे;
- शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व का मूल्यांकन कर सकेंगे;
- वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा की बदलती हुई भूमिका को समझ सकेंगे; और
- भारत के संविधान से लिए किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की संख्या को जान सकेंगे।

9-3 f'k{kk D;k g\

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार, “भारतीय परंपरा में ज्ञान मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं है और नहीं केवल विचारों की पौधशाला या नागरिकता के लिए विद्यालय है, यह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है तथा सत्य के व्यवहार एवं सद्गुणों के अभ्यास में मानव मन का प्रशिक्षण है।”

जबकि जॉन डिवी के अनुसार, “शिक्षा जीवन की तैयारी के लिए नहीं है बल्कि यह जीवन है। शिक्षा अनुभवों के सतत् पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है।” यह व्यक्तियों में उन सभी क्षमताओं का विकास करता है जो उनको अपने वातावरण पर नियंत्रण एवं संभावनाओं की पूर्ति हेतु सक्षम बनाता है।

टी.पी. नन का विचार है कि, “शिक्षा द्वारा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है ताकि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुरूप मानव जीवन के लिए मौलिक योगदान दे सकती है/सकता है।”

उपर्युक्त तीन परिभाषाएँ यह स्पष्ट करते हैं कि:

- शिक्षा का वास्तविक समझ केवल मात्र शिक्षित होना या आत्मसंतुष्टि नहीं है यद्यपि यह व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को शुद्ध करती है तथा जीवन मूल्यों के अनुभव के लिए सक्षम बनाती है।
- शिक्षा व्यक्तियों को उनके अनुभवों के सतत् पुनर्निर्माण में सहायता करती है।
- शिक्षा मानव क्षमताओं का आंशिक विकास नहीं है बल्कि यह बच्चे का संपूर्ण विकास है।

9-3-1 f'k{kk dh voèkkj.kk ,o vFk

“शिक्षा” शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों Educare (Educere) तथा Educatum से लिया गया है। Educare का अर्थ प्रशिक्षित करना या मोड़ना है। इसका अर्थ आंतरिक क्षमताओं का पालन-पोषण करना या बाहर निकालना है। ‘Educatun’ शब्द शिक्षण क्रिया की तरफ इंगित करता है। यह शिक्षण के सिद्धान्तों एवं अभ्यास पर बल देता है। Educare या Educere शब्द मुख्यतः बच्चे के निहित संभावनाओं के विकास को इंगित करता है। परंतु बच्चा अपने अंदर निहित गुप्त संभावना को नहीं जानता है। शिक्षक या सुविधाप्रदाता इनका विकास कर सकता है तथा इन शक्तियों के विकास हेतु उपयुक्त युक्तियों को अपना सकता है। शिक्षा की कुछ और परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया जाए :

“शिक्षा मनुष्य में विद्यमान नैसर्गिक गुणों का प्रकटीकरण है।”

स्वामी विवेकानंद

f'k{kk dh voèkkj.kk
rFkk ANfr

“शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास है।”

रूसो

“शिक्षा बच्चे तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास है।”

महात्मा गाँधी

“शिक्षा वह वस्तु या प्रक्रिया है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर एवं निःस्वार्थी बनाती है।”

ऋग्वेद

“शिक्षा का अर्थ राष्ट्र के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम है।”

चाणक्य

“उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल मात्र सूचना प्रदान नहीं करती है यद्यपि हमारे जीवन को संपूर्ण अस्तित्व के साथ समायोजित करती है।”

रविन्द्रनाथ टैगोर

xfrfofèk 1

शिक्षा की उपयुक्त परिभाषाओं का अपने शब्दों में विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

f'k{kk dk l;dh.ki vFk

संकीर्ण अर्थ में, विद्यालय में दिया गया अनुदेश शिक्षा कहलाती है। यह अर्थ औपचारिक शिक्षा पद्धति है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से अर्जित की जाती है। इस प्रक्रिया में, अधिक ज्ञानी लोग शिक्षण की स्थापित विधियों के माध्यम से बच्चे को पूर्व-संरचित ज्ञान को प्रदान कर एक निश्चित समय के दौरान पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस अनुदेश का लक्ष्य विद्यालय में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास की प्राप्ति हेतु होती है। संकीर्ण अर्थ में शिक्षा को ज्ञानार्जन के रूप में भी समझी जाती है। इसके अनुसार, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विषय में ज्ञान या सूचना ग्रहण की जाती है। परंतु शिक्षा के इस विचार की आलोचना की गई है। ज्ञान का ग्रहण ही शिक्षा का एकमात्र या सर्वोपरि लक्ष्य नहीं है, यद्यपि यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

f'k{kk dk 0;kid vFk

व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो व्यक्तियों के जीवन को सदैव प्रभावित करते हैं। विस्तृत अर्थ में, शिक्षा पाठ्यचर्या में सम्मिलित सूचनाओं को देना तथा

विषयवस्तुओं का संप्रेषण करना ही नहीं है यद्यपि, यह मानव के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए है। इस प्रकार, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र एवं अनियंत्रित वातावरण में स्वयं को स्वतंत्र रूप से विकसित करता है। मेकेन्जी, गाँधी तथा डिवी द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषाएँ शिक्षा की व्यापक अवधारणा का समर्थन करती हैं। विस्तृत अर्थ में शिक्षा एक जीवनपर्यन्त प्रक्रिया है। यह बच्चे के जन्म से प्रारंभ होती है तथा उसकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा का व्यापक अर्थ न ही इसे कक्षाकक्ष तक और नहीं जीवन के विशेष समय तक सीमित करता है। जीवन के सभी अनुभव जिन्हें व्यक्ति परिवार, मित्रों, सहपाठियों, खेल साथियों, वातावरण, क्लब सदस्यों, सामाजिक समूहों, संस्कृति, त्यौहारों, शिक्षकों तथा निदेशकों (मार्गदर्शकों) के साथ अंतःक्रिया से ग्रहण करते हैं वे व्यक्तियों के व्यवहार तथा व्यक्तित्व को ढालने में सहायता करते हैं जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है।

9-3-2 f'k{kk dh ÅÑfr ,o fo" k; {k=

शिक्षा की प्रकृति को निम्नलिखित रूप में प्रमाणित किया जा सकता है:

शिक्षा अपनी प्रकृति में एक ध्रुवीय तथा द्विध्रुवीय दोनों है, परंतु जॉन डिवी शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। द्विध्रुवीय प्रकृति के अनुसार शिक्षा के दो पक्ष हैं: शिक्षक तथा बालक/बालिका। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यह मानती है कि बच्चे का विकास समाज में तथा समाज के माध्यम से होता है। जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी एक साथ रहते हैं। इस प्रकार, शिक्षा की प्रक्रिया में तीन ध्रुव सम्मिलित हैं, जिनके नाम (1) शिक्षक, (2) विद्यार्थी और (3) समाज हैं।



fp= 1% f'k{kk dh f=èkioh; ÅfØ;k

शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है। यह आजीवन घटती है तथा बच्चे या विद्यार्थी की आयु कोई बात नहीं होती है, शिक्षा एक व्यवस्थित संस्था एवं नियंत्रण के माध्यम के अनुसार ग्रहण की जाती है तथा यह व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है।

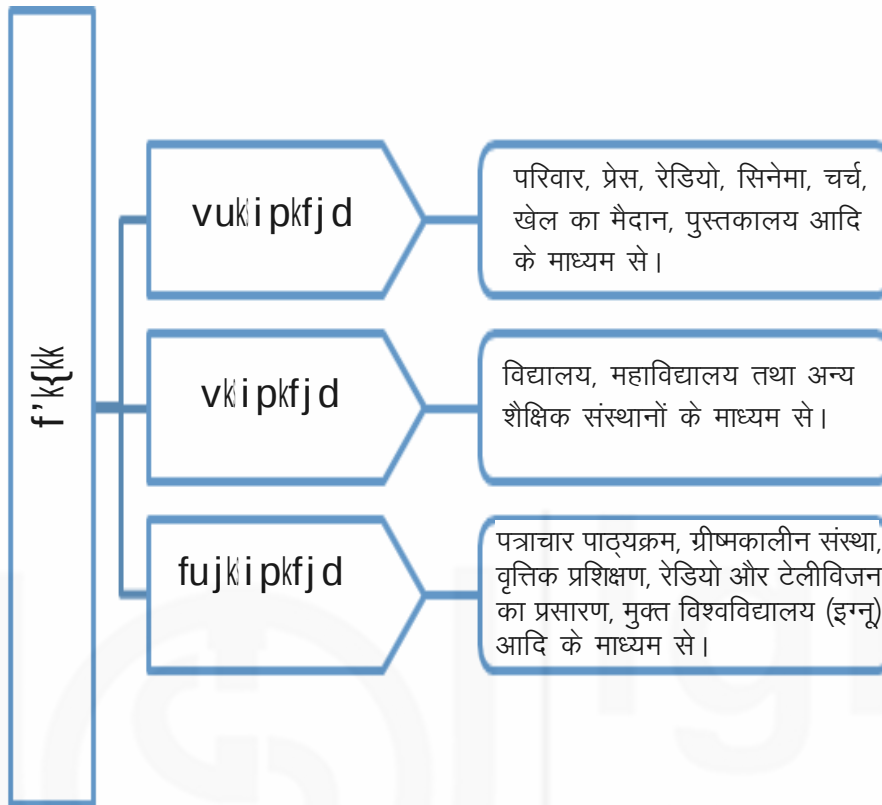
शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास का मानव शिशु का समरस समाकलित वृद्धि है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जो वास्तव में व्यक्ति के निवासस्थल के साथ समायोजन है। धीरे-धीरे एवं क्रमबद्धतः वह समाज विशेष के साथ जुड़ता है तथा वह समय अंतराल के पश्चात् अपनी पहचान एवं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया पृथक रूप में नहीं हो सकती है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मानक तथा स्तर एवं समाज की अपेक्षाएँ भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आधार निर्माण करते हैं। इसलिए, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में

जितनी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण है उतनी ही समाज की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका के रूप में जाना जाता है।

f'k{kk dh voèkkj.kk
rFkk ÅÑfr

f'k{kk dī fo"k; {k=

एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुआयामी विषय क्षेत्र होता है। इसे व्यापक रूप में औपचारिक, निरौपचारिक तथा अनौपचारिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षा के तीन रूपों की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया जाए।



fp= 2% vk'ipkfjd] fujki'pkfjd rFkk vukipkfjd f'k{kk

(i) vk'ipkfjd f'k{kk

औपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों जैसे औपचारिक संस्थानों द्वारा शिक्षा दी जाती है।
- यद्यपि, विद्यालय एवं महाविद्यालय औपचारिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र हैं परंतु पुस्तकालय, संग्रहालय, चित्र-विथिकाएँ, व्याख्यान, संगोष्ठियों आदि औपचारिक शिक्षा के अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
- विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु निश्चित पाठ्यचर्या तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्मित किए जाते हैं तथा पाठ्यक्रम की पूर्णता हेतु निश्चित वर्षावधि की आवश्यकता होती है।
- प्रतिदिन के व्यक्तिगत शिक्षण हेतु समुचित समय सारिणी तैयार की जाती है तथा शैक्षिक सत्रों के लिए सेमेस्टर पत्र या वार्षिक योजना को क्रियान्वित किया जाता है।
- शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों व्यक्तिगत शिक्षण हेतु कक्षाकक्ष जैसे स्थान पर मिलते हैं।
- शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों की उपस्थिति को भी औपचारिक अभिलेख तथा पाठ्यक्रम की पूर्णता हेतु लिया जाता है।

- विद्यार्थियों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु औपचारिक मूल्यांकन पद्धति (आंतरिक तथा बाह्य दोनों) का व्यवहार किया जाता है। सतत् एवं सत्रांत परीक्षा दोनों का उपयोग विद्यार्थियों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।
- विद्यार्थियों की उपाधि या डिप्लोमा हेतु बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा उचित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
- परिणाम के आधार पर विद्यार्थी उच्च कक्षाओं की उपाधियों की प्राप्ति हेतु प्रोन्नत किए जाते हैं।

(ii) fujkipkfjd f'k{kk

निरौपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- निरौपचारिक शिक्षा लचीले पाठ्यचर्या, समय सारिणी, विषयों के चयन तथा स्थान के साथ प्रदान की जाती है।
- इसमें औपचारिक शिक्षा की तरह प्रतिदिन शिक्षक-विद्यार्थी के अंतःक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
- दूरस्थ पद्धति जैसे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति, मुक्त विद्यालयी पद्धति एवं मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा यह शिक्षा प्रदान की जाती है। नियमित संस्थानों के दूरस्थ शिक्षा विभाग भी निरौपचारिक पाठ्यक्रम/शिक्षा प्रदान करते हैं।
- औपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रमों तथा विविध शिक्षण विधियाँ एवं संप्रेषण के साधनों का उपयोग किया जाता है।
- औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा दोनों में अनुदेश का आकर्षण एवं गुणवत्ता समान होती है।
- निरौपचारिक शिक्षा में कक्षाओं का समय सामान्यतः सप्ताह के अंत में अथवा अवकाश के दौरान होता है।
- बहुमाध्यम संप्रेषण पद्धतियों जैसे मुद्रित (SLM) तथा अमुद्रित (श्रव्य/दृश्य) सामग्रियाँ, रेडियो, टेलीविजन, टेलीकांफ्रेंसिंग, अंतःक्रियात्मक रेडियो परामर्श, ऑनलाईन लर्निंग आदि निरौपचारिक शिक्षा में अनुदेश के माध्यम के रूप में लोकप्रिय रूप में उपयोग किए जाते हैं।
- भारत में, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान एवं राज्य स्तरीय मुक्त शिक्षा संस्थान जैसी संस्थाएँ निरौपचारिक शिक्षा प्रदान करती हैं।
- औपचारिक शिक्षा की तरह निरौपचारिक शिक्षा में भी उपाधि एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

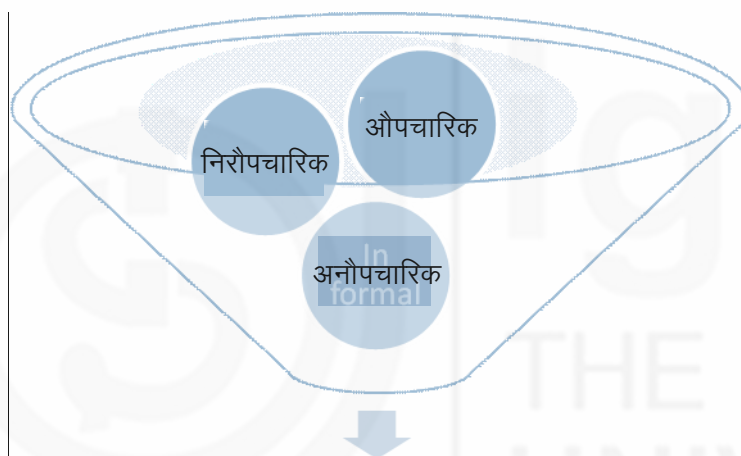
(iii) vukipkfjd f'k{kk

अनौपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- अनौपचारिक शिक्षा को प्राकृतिक या आकस्मिक शिक्षा भी कहते हैं।
- अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु औपचारिक या निरौपचारिक संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है।
- अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक/परामर्शदाता तथा शिक्षण स्थान की आवश्यकता नहीं होती है।
- यात्रा के दौरान लोगों, पारिवारिक परिचर्चा, समुदाय एवं सामाजिक व्यवहारों की अंतःक्रिया, वातावरण, पड़ोसियों, खेल-साथियों, संस्कृति तथा धार्मिक गतिविधियों से अन्तःक्रिया द्वारा अर्जित शिक्षा एवं अनुभव निश्चित रूप से अनौपचारिक शिक्षा हैं।

- अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक के साथ निरौपचारिक शिक्षा को भी सहायता प्रदान करती है।
- अनौपचारिक शिक्षा उपाधि अथवा प्रमाणपत्र नहीं प्रदान करती है, यह साधारणतः औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की कमियों को पूर्ण कर उनको समृद्ध बनाती है।
- अनौपचारिक शिक्षा में कहानी, समूह परिचर्चा, स्वैच्छिक पुस्तक अध्ययन, रेडियो प्रसारण सुनना या शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों को देखना, चिड़ियाघर, संग्रहालय, शैक्षिक मेलों तथा वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का भ्रमण, व्याख्यानों एवं सम्मेलनों में भाग लेना आदि सम्मिलित हो सकते हैं।

शिक्षा के विभिन्न रूपों की विशेषताओं की चर्चा द्वारा, यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के केवल एक रूप का उपयोग कर सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। बल्कि शिक्षा के तीनों रूप व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक हैं। शिक्षा की वर्तमान निर्मिततावादी अवधारणा जो मूलतः अनौपचारिक या आकस्मिक शिक्षा के माध्यम से ग्रहण की जाती है, ज्ञान की रचना एवं समझ के विकास हेतु शिक्षा की औपचारिक पद्धति में योगदान करती है। यह ज्ञान की एक टोकरी की तरह है जहाँ ज्ञान के सभी रूप व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में समान रूप से योगदान देते हैं।



f'k{kk d fo"k; {k=

fp= 9-3% f'k{kk d fo"k; {k=

xfrfofèk 2

औपचारिक, निरौपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में तुलना तथा भेद कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9-3-3 f'k{kk dh vko'; drk ,o egRo

हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। जन्म के समय बालक की प्रवृत्ति एवं व्यवहार एक जानवर की तरह होता है। शिक्षा ही बच्चे की जानवर प्रवृत्ति को मानव प्रवृत्ति में बदलती है। मानव के लिए शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व जीवन के एक विशेष काल या मानव व्यवहार के विशेष पक्ष तक सीमित नहीं है। यद्यपि इसका प्रभाव पालने से श्मसान तक विकास पर रहता है। बच्चे के लिए शिक्षा की कुछ आवश्यकता एवं महत्व पर विचार विमर्श किया जाए।

- शिक्षा बच्चे के वृद्धि एवं विकास के साथ-साथ परिपक्वता के लिए भी आवश्यक है।
- शिक्षा बच्चे के पार्श्विक प्रवृत्ति को समाजोपयोगी गतिविधियों, आदतों, सोच एवं कार्यों में परिष्कृत करती है।
- यह बच्चे को उसके जीवन में नैतिक, आध्यात्मिक चरित्र निर्माण तथा उच्च स्तर के मूल्यों के व्यवहार के लिए शिक्षा देती है।
- शिक्षा बच्चे के तात्कालिक तथा अंतिम दोनों शैक्षिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह बच्चे को आर्थिक रूप से आत्मसंतुष्ट, आत्मनिर्भर एवं आत्मावलंबी बनाती है।
- शिक्षा बच्चे की मौलिक आवश्यकता के लक्ष्य को पूर्ण करती है।
- यह व्यक्तियों में बौद्धिक तथा भावनात्मक शक्तियों का विकास करती है ताकि व्यक्ति जीवन की समस्याओं के सफलतापूर्वक समाधान करने के योग्य हो जाए।
- शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक गुणों जैसे सेवा, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति तथा संवैधानिक मूल्यों का विकास करती है।
- शिक्षा हमें राष्ट्र के लिए प्रेम एवं राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना सिखाती है।
- यह हमें राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ तथा सार्वभौमिक बंधुता की समझ एवं अभ्यास के लिए भी शिक्षा देती है।
- वैश्वीकरण के युग में, यह हमें विश्व स्तर पर होने वाले विकासात्मक पक्षों से परिचित कराती हैं तथा उसके पोषण की शिक्षा देती है जैसे ज्ञान का उत्पादन, विज्ञान एवं तकनीक, व्यापार एवं उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ज्ञान के आयाम एवं अनुभव, चिकित्सा, कला एवं संस्कृति, वैश्विक नागरिकता तथा मानवता एवं शांति की प्राप्ति।

उपर्युक्त चर्चा से हम जानते हैं कि शिक्षित होना क्यों अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें एक संतुलित मस्तिष्क, जीवन तथा समाज के आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा इनका नियंत्रण या समाधान प्रदान करती है। अब आप किसी से कम महसूस नहीं करेंगे तथा आपके पास विश्व का एक व्यावहारिक समझ होगा। शिक्षा न केवल सुख के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे जीवन में बहुत चीजों को लाती है जो हमें खुशी देते हैं।

viuh ixfr dh tkp dji &1

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. शिक्षा के व्यापक अर्थ की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. शिक्षा की त्रिधुवीय प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3 औपचारिक, निरौपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रत्येक का कम से कम एक उदाहरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

9-4 f'k{kk ,o Ldfyx] vfèkxe] Áf'k{k.k] f'k{k.k ,o vun'k d' eè; voèkkj.kkRed Hkn

लोग कभी-कभी शिक्षा के साथ स्कूलिंग, अनुदेश, प्रशिक्षण, शिक्षण या अनुदेश की अवधारणा में अस्पष्ट होते हैं। यद्यपि इन शब्दों का शिक्षा की प्रक्रिया से निकट सम्बन्ध है, परंतु शिक्षा शब्द से ये सभी भिन्न हैं। शिक्षा तथा इन शब्दों के मध्य भेद की चर्चा किया जाए।

f'k{kk: व्यापक अर्थ में शिक्षा जन्म से मृत्यु या 'गर्भ से कब्र' तक की विकास की प्रक्रिया है। इस अर्थ में, शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं अनुभव सम्मिलित हैं। इस प्रकार, जीवन में सभी अनुभव शैक्षिक प्रकृति के हो जाते हैं तथा शिक्षा की प्रक्रिया सभी व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिस्थितियों में जारी रहती है। इस अर्थ में शिक्षा मूल्यों, अभिवृत्तियों तथा कौशलों को मनःस्थापित करने के सभी प्रयासों को निश्चित रूप से सम्मिलित करती है जिसे समाज बच्चों को देने की अपेक्षा रखता है।

Ldfyx% स्कूलिंग औपचारिक परिस्थिति में आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्यों, ज्ञान तथा कौशलों को जागरूकतापूर्वक प्रदान करने की एक क्रिया है। मौलिक रूप से, स्कूलिंग

प्रदत्त अनुभवों के विस्तार के क्रम में एक सीमित शैक्षिक अभ्यास है। यह भी मानव जीवन के विशिष्ट काल तक सीमित होता है जैसे : बाल्यावस्था से विद्यालय छोड़ने तक, जबकि शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है।

vf/kxe ॥ अधिगम एक प्रक्रिया है जिसका अनुभव के अभ्यास के परिणाम के रूप में व्यवहार का लगभग स्थायी परिष्करण होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के किसी पक्ष में व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी परिष्करण को अधिगम का परिणाम कहा जा सकता है। इसके विपरीत, शिक्षा व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव की क्षमताओं एवं शक्तियों के समरस विकास के साथ सम्बन्धित है। यद्यपि अधिगम का परिणाम व्यवहार का विशिष्ट परिष्करण होता है, जबकि शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व को ढालने एवं व्यक्ति की योग्यताओं को वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करने की माँग करती है। दूसरा अंतर यह है कि अधिगम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है जबकि शिक्षा सदैव सकारात्मक होती है।

Äf'k{k.k ॥ प्रशिक्षण जीवन के विशिष्ट पक्षों या व्यवसायों में अपेक्षित आदतों को उत्पन्न करने या व्यवहार के परिष्करण हेतु अनुदेश, अभ्यास आदि गतिविधियों का एक क्रमबद्ध शृंखला है जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण आदि। इस प्रकार प्रशिक्षण एक चयनित क्षेत्र में व्यक्ति के प्रशिक्षण या सम्बन्धित कार्य में दक्ष बनाने की दृष्टि से विशिष्ट कौशलों के विकास एवं उन्नयन का लक्ष्य रखता है। अतः प्रशिक्षण एक विशिष्ट पक्ष में कौशलों के विकास के रूप में माना जा सकता है जबकि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास से सम्बन्धित है।

f'k{k.k ,o vun' ॥ शिक्षण एवं अनुदेश मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन को प्रभावित करने हेतु उपयुक्त साधन हैं। शिक्षण एवं अनुदेश में विचारों, मूल्यों, कौशलों, सूचना का संप्रेषण एवं विद्यार्थियों के ज्ञान सम्मिलित हैं। संप्रेषण की प्रभावकता के लिए क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विधियाँ भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। शिक्षण एवं अनुदेश व्यक्तियों को शिक्षित करने हेतु प्रभावी अनुदेश का लक्ष्य रखते हैं। इसलिए शिक्षण एवं अनुदेश अन्य शैक्षिक अनुभवों के साथ व्यक्तियों को शिक्षित करने के उपकरण हो जाते हैं।

(lkr ॥ उपयुक्त भाग 9.4, ई.एस.334, खंड 1, इकाई 1: शिक्षा एवं इसकी प्रकृति, इग्नू 2000 से लिया गया है)

xfrfofèk 3

शिक्षा, स्कूलिंग, अधिगम, प्रशिक्षण, शिक्षण तथा अनुदेश प्रत्येक की तुलना एक-एक उदाहरण द्वारा दीजिए।।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

शिक्षा का अर्थ, इसका कार्य तथा शिक्षा के लक्ष्य एक-दूसरे के साथ इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं कि इनको स्पष्ट करना बहुत कठिन है। जॉन डिवी के शब्दों में, “शिक्षा का कार्य एक विवश छोटे प्राणी (व्यक्ति) की सुखी, नैतिक एवं कुशल मानव के रूप में वृद्धि में सहायता करना है” (तनेजा, 2005)। विशेषतः, जब हम शिक्षा के कार्य की बात करते हैं तब शिक्षा के सामान्य कार्य, मानव जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक श्रेणी में शिक्षा के कार्य की चर्चा की जाए।

rkfydk 9-1 vf/kxe dī dk;|

f'k{kk dī lkekU; dk;	ekuo thou ei f'k{kk dī dk;	jk"Vh; thou ei f'k{kk dī dk;
• शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों के विकास में सहायता करती है। • शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। • शिक्षा व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश देने तथा मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण एवं परिशोधन में सहायता करती है। • शिक्षा मनुष्य को चरित्र, सदाचार, नैतिक मूल्यों के विकास में सहायता करती है। • शिक्षा व्यक्ति के भावी जीवन की तैयारी में सहायता करती है। • यह अच्छी नागरिकता, सहानुभूति, सहयोग तथा सभी मानवीय प्रयासों में कर्तव्य-परायणता की प्राप्ति में सहायता करती है। • शिक्षा समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा के संरक्षण, नियंत्रण तथा हस्तांतरण में सहायता करती है। • यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक भावना एवं सुधारों को कायम रखने में सहायता करती है।	• यह व्यक्ति को विभिन्न, नई तथा बदलती परिस्थितियों तथा वातावरण में समायोजन हेतु कुशल बनाती है। • यह व्यक्ति को उनके व्यवहार तथा उनके निवास करने वाले वातावरण में परिष्करण करने में सहायता करती है। • यह व्यक्ति की शैक्षिक, सामाजिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता करती हैं। • यह व्यक्तियों में शैक्षिक तथा व्यावसायिक कुशलता लाने एवं उन्हें आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति के योग्य बनाने में सहायता करती है। • यह व्यक्ति के चरित्र के विकास तथा उनके जीवन को तैयार करने में सहायता करती है। • यह व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, अनुभवों के पुनर्संगठन तथा पुनर्निर्माण में भी सहायता करती है। • यह व्यक्ति को सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु सहायता करती है।	• यह व्यक्ति को नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण के लिए सहायता करती है जो आगे उसकी अपनी रुचि के क्षेत्र में राष्ट्र के लिए नेतृत्व की भूमिका के लिए सहायता कर सकती है। • यह व्यक्ति को राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता की प्राप्ति का ज्ञान देती है, जो स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन को कायम रखने हेतु एकता के सिद्धान्त हैं। • यह देश के लोगों को राष्ट्र की संपूर्ण राष्ट्रीय विकास हेतु सामाजिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक उत्तरदायित्व लेने हेतु सशक्त करती है। • यह व्यक्ति को नागरिक तथा सामाजिक मूल्यों, स्वस्थ तथा अनुशासित जीवनयापन हेतु कर्तव्यों को मनःस्थापित करने में सहायता करती है। • यह राष्ट्रीय विकास हेतु कुशल मानव शक्ति की आपूर्ति में सहायता करती है। • यह व्यक्ति के सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षमता की वृद्धि में भी सहायता करती है।

xfrfofèk 4

शिक्षा के कार्यों को आप अपने शब्दों में उचित उदाहरणों के द्वारा समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

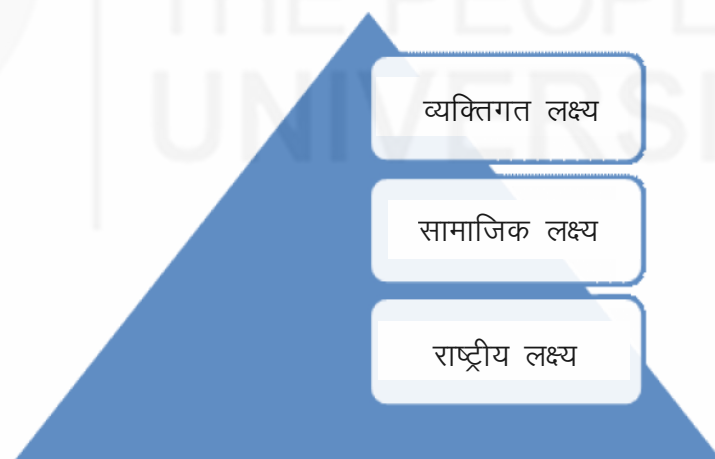
.....

9-6 f'k{kk d y{;

जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। यह शिक्षा के तात्कालिक एवं अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हो सकता है तथा आगे इसे शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे विस्तारपूर्वक चर्चा किया जाए।

9-6-1 f'k{kk d 0;fDrxr] lkeft d rFkk jk"Vh; y{;

शिक्षा के लक्ष्य को व्यापक रूप से समझने के लिए इसे व्यापक रूप में निम्नलिखित तीन समूहों में इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:



fp= 9-4 f'k{kk d y{;

शिक्षा के लक्ष्य तीन महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हैं – (i) वे शैक्षिक प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं; (ii) लक्ष्यों को समझने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है; तथा (iii) शैक्षिक प्रक्रिया के प्रभावकता के मूल्यांकन हेतु मानक प्रदान करता है। (ब्रुबैकर, 1981, पृ. 95)। उपर्युक्त कार्यों के विश्लेषण में, यह शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्यों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है जो शिक्षण तथा अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करता है। शिक्षा के प्रत्येक लक्ष्य को उदाहरणों के साथ विमर्श किया जाए।

प्रकृतिवादी मानते हैं कि शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यक्ति का स्वतंत्र विकास है। रूसो ने कहा है कि, “प्रकृति की रचना से आने वाली प्रत्येक वस्तु उत्तम होती है परंतु प्रत्येक वस्तु मनुष्य के हाथों में आने पर नष्ट हो जाती है” (सैमुएल, 2015)।

इसका अर्थ है, ईश्वर प्रत्येक वस्तु को उत्तम रूप में सृजित करता है, मनुष्य उसमें हस्तक्षेप करता है वह बुरी बन जाती है। अतः व्यक्ति को उसके स्वयं के विकास हेतु अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जीव विज्ञानियों ने सिद्ध किया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे से भिन्न हैं। थाम्पसन कहता है, “शिक्षा व्यक्ति के लिए है” (अग्रवाल, 2008)। उपर्युक्त अवधारणाओं को विश्लेषित करते हुए, यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति सभी शैक्षिक प्रयासों एवं गतिविधियों का केन्द्र होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शिक्षा एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है क्योंकि सभी व्यक्ति एक-दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए, शिक्षा व्यक्ति की रुचि के अनुसार होनी चाहिए इस प्रकार इसे व्यक्तिगत लक्ष्यों एवं अपेक्षाओं को पूर्ण करना चाहिए। विशेष रूप से शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति के तात्कालिक एवं अंतिम लक्ष्य को पूर्ण करता है। यह व्यक्ति को किसी वातावरण में समायोजित होना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, व्यावसायिक दक्षता, आत्मसंतुष्टि, अनुभवों का पुनर्निर्माण तथा अच्छी नागरिकता का निर्माण करना सिखाता है।

f'k{kk d; lkekftd y{;

शिक्षा का लक्ष्य अंततः समाज की प्रगति एवं कल्याण हेतु कार्य करना है। इसका यह भी अर्थ है कि शिक्षा समाज के लिए है तथा समाज की है। समाज अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यक्ति का निर्माण करता है। यह व्यक्ति को समाज में विभिन्न भूमिकाओं के निर्वाह करने के लिए तैयार करता है। इस लक्ष्य के अनुसार, व्यक्ति की व्यक्तिकता एवं व्यक्तित्व निर्मूल्य है यदि वह समाज का एक हिस्सा होने तथा इसके लिए कार्य करने के योग्य नहीं है। इसके अनुसार, समाज व्यक्ति में कई सामाजिक गुणों के विकास में तथा उसे एक सामाजिक व्यक्ति बनाने में जो कि शिक्षा के लक्ष्य में भी प्रतिबिम्बित होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

f'k{kk dk jk"Vh; y{;

कई शिक्षाविदों का दृष्टिकोण है कि व्यक्तिगत या सामाजिक लक्ष्यों के ऊपर शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य है। यह किसी व्यक्ति या समाज से सम्बन्धित नहीं है। यद्यपि, यह राष्ट्र, इसकी एकता एवं संप्रभुता से सम्बन्धित है। ये निम्नलिखित रूप में हो सकते हैं:

- राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रभाक्ति का पोषण एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना;
- लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना;
- राष्ट्रीय विकास हेतु सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देना।

& lkekftd vko';drk बच्चों की अभिवृत्ति एवं सम्बन्धों में परिवर्तन हेतु तैयार करना जो तीव्र विकासशील आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्बाध प्रक्रिया हेतु आवश्यक है;

& vkfFkd vko';drk कौशलों, ज्ञान, विशेषज्ञता तथा व्यक्तिगत गुणों से युक्त नागरिकों का निर्माण करना जो विकासमान अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए आवश्यक है।

f'k{kk d: nk'kfud ifjA{;

& rduhdh rFkk vk|kfxd vko';drk औद्योगिक विकास हेतु विद्यार्थियों की आवश्यक कौशल तथा अभिवृत्तियाँ प्रदान करना।

& स्वस्थ सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना।

- भारत के समृद्ध तथा विविध संस्कृतियों के सम्मान तथा विकास को प्रोत्साहित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित तथा राष्ट्रीय एकता को पोषित करना।
- उत्तम स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देना।
- राष्ट्र के लिए भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का विकास करना।

viuh ixfr dh tkp dj: & 2

ukV॥ (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

4. शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

5. शिक्षा के सामाजिक एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

9-6-2 f'k{kk d: vfcre ,o: rkRdkfyd y{;

शिक्षा हमें अपने जीवन में दो प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। पहला शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य है तथा दूसरा शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य संकीर्ण अर्थ में है जबकि शिक्षा के अंतिम लक्ष्य की प्रकृति बहुत व्यापक है। पहले वाला एक लघु समयावधि में प्राप्त किया जाता है। जबकि बाद वाला दीर्घ समयावधि में प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कभी-कभी बहुत कठिन होता है।

शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है तथा मौलिक आवश्यकताएँ जैसे भोजन, आवास, वस्त्र आदि की पूर्ति करता है। शिक्षा प्राप्ति के बाद यदि व्यक्ति जीविकोपार्जन तथा जीने के लिए भोजन में असमर्थ है, तब हम कह सकते हैं कि शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। ये सभी लक्ष्य एक सीमित समयावधि, में कुछ वर्षों में या शिक्षा के एक निश्चित पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् पूर्ण किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर, निःस्वार्थ, आत्मबोधक,

आत्मानुभूतिकर्ता बनाना तथा अंतर्निहित शक्तियों का समरस विकास करना है। राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ तथा वैश्विक भ्रातृत्व भी शिक्षा के अंतिम लक्ष्य हैं। महात्मा गाँधी, पेस्टालॉजी तथा विवेकानंद शिक्षा के अंतिम लक्ष्य के समझ के प्रबल समर्थक हैं। सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना सरल नहीं है। प्रायः इसे प्राप्त करने में जीवन भर का समय लग जाता है।

9-6-3 o'ohdj.k d l nHk e f'k{kk d cnyr y{;

वैश्वीकरण के आगमन के साथ, विश्व एक समाज हो चुका है तथा एक ज्ञान आधारित समाज भी हो चुका है। अब तकनीक, सूचना, उद्योग, शिक्षा, विभिन्न व्यवसाय तथा संस्कृतियाँ एक प्रदेश या राष्ट्र तक सीमित नहीं हैं। ये परिवर्तन वैश्विक मूल्यों, ज्ञान, तकनीक तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक समाजों के व्यवहार के मानकों के रूपांतरण, समायोजन तथा विकास के रूप में समझा जा सकता है। यह इसलिए कि, शिक्षा के लक्ष्य आमूल रूप से परिवर्तित हो रहे हैं जो समय की आवश्यकता बन चुकी है। शिक्षा के बदलते हुए वैश्विक लक्ष्य आगे निम्नलिखित को उत्पन्न करते हैं:

- एक वैश्विक अधिगम तंत्र (प्रणाली) का निर्माण करना;
- शिक्षा के प्रति एक व्यापक एवं स्पष्ट दृष्टि का विकास करना;
- समकालीन शिक्षणशास्त्रीय अभ्यासों के आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन शिक्षण विधियों का विकास करना;
- व्यक्तियों के लिए समाज में स्वतंत्रता एवं समानता;
- अंतर्विषयी अध्ययनों में सहयोग लाना;
- एक व्यापक एवं वैश्विक पाठ्यचर्या को विकसित करना;
- अंतर्सांस्कृतिक अंतःक्रिया एवं समझ को बढ़ावा देना;
- संपूर्ण विश्व में व्यक्तियों के मध्य भ्रातृत्व की भावना का विकास करना;
- शोध परिणामों एवं नवीन ज्ञान को साझा करना;
- शिक्षा सहित विभिन्न पक्षों में अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं वैश्विक भ्रातृत्व को बढ़ावा देना;
- व्यक्तियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा मुद्दों की सूक्ष्मता से समाधान का विकास करना; और
- विश्व नागरिकता को बढ़ावा देना।

9-6-4 Hkkjr d l foèkku l Āklr f'k{kk d 'kf{kd y{;

भारतीय संविधान विश्व के वृहद संविधानों में से एक है जिसमें 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की प्रस्तावना सामाजिक दर्शन तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को रेखांकित करती है जिसे हमारी सभी शैक्षिक संस्थानों का निरीक्षण करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार (RTE) भारत के संविधान में प्रतिष्ठित मौलिक अधिकारों में से एक है। निम्नलिखित सारिणी शिक्षा से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेदों से ग्रहण किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की गणना प्रस्तुत करती है। आप पहले ही शिक्षा से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन खण्ड-1 में कर चुके हैं तथा आगे इस पाठ्यक्रम के खण्ड-4 में भी इसका विमर्श किया गया है।

lfo/kku d vuPNn	bul Äklr y{;
vuPNn 29% यह शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता प्रदान करता है।	समाज के सदस्यों में अधिगम तथा शिक्षा का समान मंच प्रदान कर समानता लाना, इस प्रकार राष्ट्र की उत्पादकता को बढ़ाना एवं योगदान देना।
vuPNn 30% यह अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित एवं प्रशासित करने के अधिकार को स्वीकार करता है।	समाज के सदस्यों को स्थिरता एक सुरक्षा प्रदान करना।
vuPNn 45% यह 14 वर्ष तक की आयु पूर्ण नहीं किए बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य को निर्देशित करता है।	शिक्षा को एक अधिकार बनाना एवं उचित आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
vuPNn 46% यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति हेतु विशेष अवधान प्रदान करना।	समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना।
vuPNn 337% यह आंग्ल-भारतीय समुदाय के लाभ हेतु शैक्षिक अनुदान के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है।	समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना।
vuPNn 350, % यह प्रामाणिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएँ प्रदान करने से सम्बन्ध है।	बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना ताकि वे अपनी भाषा में समझ का निर्माण कर सकें तथा सरलता से सीख सकें।
vuPNn 351% यह किसी भाषा के विकास एवं उत्थान से सम्बन्धित है।	हिन्दी भाषा के विकास एवं उत्थान के लिए हितधारकों को अवसर प्रदान करना।

xfrfofèk 5

उपर्युक्त तालिका के अनुरूप, भारतीय संविधान में सम्मिलित दो अन्य अनुच्छेदों को उद्धृत कीजिए जो शिक्षा की सुरक्षा के विषय में बात करते हों एवं उससे प्राप्त उद्देश्य को भी लिखिए।

.....

.....

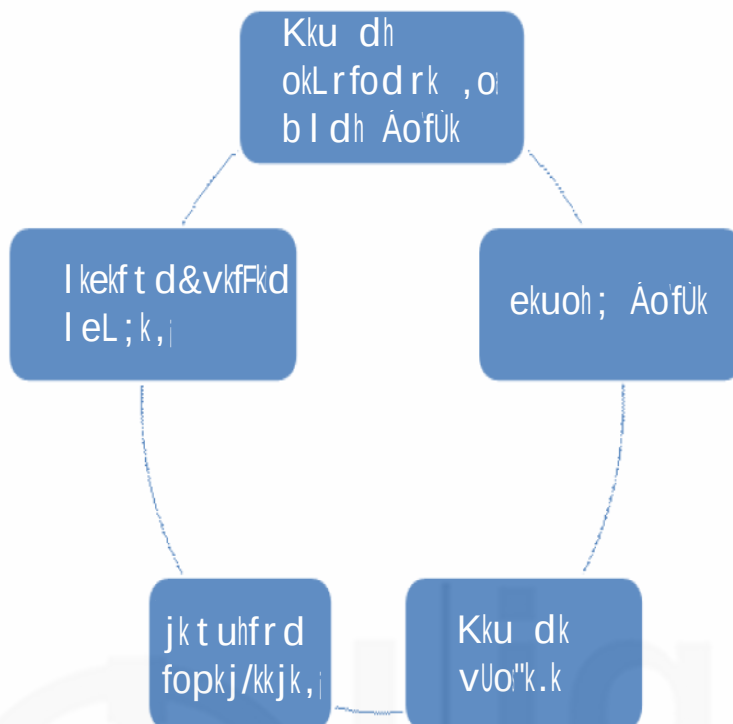
.....

.....

9-6-5 f'k{kk d y{;k d fuèkkjd dkjd

f'k{kk dh voèkkj.kk
rFkk ÁÑfr

शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना एक स्वतंत्र पक्ष नहीं है यद्यपि इसके कई निर्धारक तत्व हैं। हम निम्नलिखित कारकों (तत्वों) को व्यापक रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं जो शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं।



fp= 9-4% f'k{kk d y{;k d fuèkkjd dkjd

इन कारकों को विस्तारपूर्वक विमर्श किया जाए:

Kku dh okLrfodrk ,o bldh Á—fr

शिक्षा के लक्ष्यों का सम्बन्ध विद्यमान जीवन दर्शन से होता है जिसे वास्तविकता के स्रोत के रूप में माना जाता है। जीवन दर्शन विभिन्न समय में प्रसिद्ध विचारकों के दृष्टिकोण एवं दर्शन के संप्रदायों से प्रभावित होता है।

आदर्शवादी विचार के अनुसार, शिक्षा का लक्ष्य आत्मबोध या बच्चे में निहित संभावनाओं का प्रगटीकरण करना है। प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से, शिक्षा का लक्ष्य आत्म—अभिव्यक्ति या आत्म—संतुष्टि है। व्यवहारवादी सोचते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को सशक्त करते हुए “उसके वातावरण पर नियंत्रण तथा उसकी संभावनाओं की पूर्ति करना है” तथा अस्तित्ववादियों के अनुसार, व्यक्ति के अस्तित्व को कायम रखने के लिए उसकी इच्छाओं को महत्व दिया जाता है। दर्शन की उपरोक्त विचारधाराएँ शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने वाले कारक होते हैं।

ekuoh; Á—fr dh le>%

मानवीय प्रकृति सदैव शैक्षिक लक्ष्य के विकास हेतु मानी जाती है क्योंकि यह एक अकेला धागा है जो सभी शिक्षा दर्शनों में उन्हें बाँधे रखता है। जब तक उनकी प्रकृति का कोई भी घटक पूर्ण नहीं होता है वे रुचि नहीं लेंगे। मूल प्रवृत्तियों, सोच, व्यक्तित्व के प्रतिरूप तथा कार्य प्रणाली शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

jkt uhfrd fopkjèkkjvk dk iHkko

राजनीतिक विचारधाराएँ भी शिक्षा के लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं। हमारे लोकतांत्रिक विचारधारा में, व्यक्ति स्वतंत्रता एवं उदारता में जीवनयापन करता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का लक्ष्य स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षित होना है। शिक्षा व्यक्ति की जाति, पंथ, वर्ग

या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का लक्ष्य रखती है। कभी-कभी विशिष्ट प्रकार के सरकार की इच्छा शक्ति शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि विभिन्न देशों के शिक्षा के लक्ष्य अपने नागरिकों की भलाई के लिए हैं। एक राष्ट्र के राष्ट्रीय विकास की वरीयता भी शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करती है।

lkekft d&vkfFkd l eL;k,;

एक राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ भी शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करती हैं। हमारे जैसे विकासशील राष्ट्र में बहुत-सी सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का सुधार करना तथा समानता आधारित एवं न्यायप्रिय समाज की स्थापना करना एक उद्देश्य रहा है। सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ आने वाली तकनीकी प्रगति के क्रियान्वयन को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती रही हैं तथा वह शिक्षा का लक्ष्य बन जाती है।

Kku dk vUo"K.k

ज्ञानार्जन एवं ज्ञान का अन्वेषण भी शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करने का एक अन्य प्रबल कारक है। मानव के सूक्ष्म अवलोकन एवं वैज्ञानिक खोज के साथ, शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान का वैज्ञानिक खोज तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की ओर गमन कर चुका है। ज्ञान अन्वेषण के लक्ष्य का निर्धारण आगे नए ज्ञान की उत्पत्ति में सहायता करता है।

viuh ixfr dh tkp dj: & 6

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

6. शिक्षा के अंतिम लक्ष्य की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

7. शिक्षा के बदलते लक्ष्य का एक उदाहरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

8. संविधान से प्राप्त शैक्षिक लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

यदि जीवन में शिक्षा नहीं हैं तब यह निरर्थक है तथा व्यक्ति बिना पूँछ का जानकर होता है। व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा एक प्रमुख आवश्यकता एवं प्रबल कारक है। शिक्षा का लक्ष्य मूल्यवान तब होगा जब एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् समाज के लिए कार्य करता है तथा वह राष्ट्र के लिए योगदान करता है।

शिक्षा मानव के लिए एक अधिकार एवं सम्पत्ति है जिसके माध्यम से सभी तरीके से व्यक्ति धरती पर स्वामी के लिए अधिकृत है। अतः, शिक्षा का कार्य शब्द समाज तथा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र के लिए पूर्ण संतुष्टि एवं समृद्धि लाने के लिए आवश्यक है।

उपर्युक्त लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, यह इकाई शिक्षा की अवधारणा तथा विषयक्षेत्र को परिभाषित की है तथा यह विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के कार्यों पर भी विमर्श की है। शिक्षा को लक्ष्य, विमर्श का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। विशेष रूप से, इकाई शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों पर चर्चा की है। यह शिक्षा के तत्कालीन एवं अंतिम लक्ष्य के मध्य अंतर भी स्पष्ट करती है। वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के लक्ष्य, भारत के संविधान से प्राप्त शिक्षा के लक्ष्य तथा शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक तत्वों की भी चर्चा इस इकाई में की गई है।

9-8 I nHk xUFk ,o mi ;kxh iBu

अग्रवाल, जे.सी. (2008), *डेवेलोपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ माडर्न एजुकेशन*, नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट लिमिटेड।

भट्टाचार्य, एस. (2006). *फिलोसोफिकल फाउण्डेशन ऑफ एजुकेशन*, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

इग्नू, (2000). *एजुकेशन एंड इट्स नेचर* (इकाई 1), *अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन* (खंड 1), *एजुकेशन एंड सोसाइटी* (ई.एस.-334), नई दिल्ली: इग्नू।

जैक्क्यूस, डी. (1998). *एजुकेशन फॉर दि ट्वन्टी फर्स्ट सैन्चुरी – इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स*, दि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशीगन: बर्नन एसो.।

माथुर, एस.एस. (1966). *ए सोसियोलॉजिकल एप्रोच टू इंडियन एजुकेशन*, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।

पार्क, जे. (1963). *सेलेक्टेड रीडिंग्स इन दि फिलोसोफिकल ऑफ एजुकेशन*, मैकमिलन पब्लिशर्स

पीटर्स, आर. एस. (संपा.), (2010). *दि कन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन – खंड 17*, न्यू यार्क: राउटलॉज।

रार्थर, ए.आर. (2014). *थ्योरी एंड प्रिन्सिपल्स ऑफ एजुकेशन*, नई दिल्ली : डिसकवरी पब्लिशर्स हाउस।

सैमुअल, आर. एस. (2015). *फिलोसोफिकल एंड सोसियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन*, दिल्ली: पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमि., पृ.166।

सक्सेना, एन.आर.एस. (2009), *प्रिन्सिपल्स ऑफ एजुकेशन*, मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।

सिंह, याई.के. (2008). *फिलोसोफिकल फाउण्डेशन्स ऑफ एजुकेशन*, नई दिल्ली : ए.पी. एच. पब्लिशिंग कोर्पोरेशन, पृ.3।

तनेजा, वी.आर. (2005). *सोसियो-फिलोसोफिकल एप्रोच टू एजुकेशन*, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स, पृ.18।

InfliNet

http://shodhganga.inflibnet.ac.in.:8080/jspui/bitstream/10603/50918/8/08_chapter%203.pdf से 31 मार्च 2016 को लिया गया।

http://epathshala.nic.in/wp-content/doc/NCF/Pdf/aims_of_education.pdf से 30 मार्च 2016 को लिया गया।

<http://www.publishyourarticles.net/knowledge-hub/education/what-is-the-national-objectives-of-education-in-inida> से 30 मार्च 2016 को लिया गया।

<http://www.publishyourarticles.net/knowledge-hub/education/aim-of-education-according-gandhiji> से 30 मार्च 2016 को लिया गया।

http://rubapaper1.blogspot.in/2012/07/unit-iv-education-in-indian-constitution_24.html से 30 मार्च 2016 को लिया गया।

<http://www.preservearticles.com/2012010920236/what-are-the-factors-that-determine-the-educational-aims.html> से 30 मार्च 2016 को लिया गया।

9-9 शिक्षा के प्रमुख मूल्य

1. शिक्षा एक जीवनपर्यन्त प्रक्रिया है। यह जन्म से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु तक चलती है।
2. शिक्षक, विद्यार्थी तथा सामाजिक वातावरण।
3. स्व-अभ्यास।
4. पाश्विक प्रवृत्तियों का सुधार कर मानवीय प्रवृत्तियों में परिवर्तन तथा नैतिक, आध्यात्मिक तथा चरित्र निर्माण की शिक्षा का विकास करना।
5. समाज के मानकों को समझना तथा इसके अनुरूप सामाजिक गतिशीलता एवं परिवर्तन हेतु कार्य करना। राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता को विकसित करना तथा राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना।
6. आत्मबोध एवं आत्मानुभूति तथा वैश्विक बंधुता की भावना को विकसित करना।
7. स्व-अभ्यास।
8. स्व-अभ्यास।

ljpuk

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 दर्शनशास्त्र, शिक्षा तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध
- 10.4 रूसो का शैक्षिक दर्शन
 - 10.4.1 रूसो के शैक्षिक विचार
 - 10.4.2 पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियाँ
 - 10.4.3 अनुशासन की अवधारणा
- 10.5 टैगोर का शैक्षिक दर्शन
 - 10.5.1 टैगोर के शैक्षिक विचार
 - 10.5.2 पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियाँ
 - 10.5.3 विद्यालय, शिक्षक तथा अनुशासन की अवधारणा
- 10.6 स्वामी विवेकानंद तथा शिक्षा
 - 10.6.1 स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार
 - 10.6.2 पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियाँ
 - 10.6.3 अनुशासन, विद्यार्थी तथा शिक्षक की अवधारणा
- 10.7 प्लेटो का शैक्षिक अवदान
 - 10.7.1 प्लेटो के शैक्षिक विचार
 - 10.7.2 पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षक
- 10.8 जॉन डिवी का शैक्षिक दर्शन
 - 10.8.1 जॉन डिवी के शैक्षिक विचार
 - 10.8.2 पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियाँ
 - 10.8.3 आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव
- 10.9 जे. कृष्णमूर्ति का शैक्षिक दर्शन
 - 10.9.1 जे. कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार
 - 10.9.2 पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियाँ
 - 10.9.3 शिक्षक, विद्यार्थी तथा अनुशासन की अवधारणा
- 10.10 महात्मा गाँधी का शैक्षिक दर्शन
 - 10.10.1 महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचार
 - 10.10.2 पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियाँ
 - 10.10.3 शिक्षक की अवधारणा
- 10.11 श्री अरविन्द का शैक्षिक दर्शन
 - 10.11.1 श्री अरविन्द के शैक्षिक विचार
 - 10.11.2 पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियाँ
 - 10.11.3 शिक्षक, विद्यालय तथा अनुशासन की अवधारणा
- 10.12 सारांश
- 10.13 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री
- 10.14 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

10-1 ĀLrkouk

दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा एक-दूसरे से निकट रूप से सम्बन्धित हैं। सभी कालों के महान दार्शनिक महान शिक्षाविद भी रहे हैं तथा उनके दर्शन उनके शैक्षिक विचारों में प्रतिबिम्बित होते हैं। दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है जबकि शिक्षा दर्शनशास्त्र का प्रायोगिक पक्ष है। शिक्षा विद्यालयी परिस्थिति में दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तों एवं नियमों का अभ्यास करती है। प्रस्तुत इकाई, दर्शनशास्त्र तथा शिक्षा के मध्य सम्बन्धों की स्थापना पर विमर्श के साथ प्रारंभ किया गया है।

इस इकाई का दूसरा भाग विभिन्न महान दार्शनिकों तथा शिक्षाविदों जैसे रूसो, टैगोर, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो, जॉन डिवी, जे. कृष्णमूर्ति, महात्मा गाँधी तथा श्री अरविन्द घोष के शैक्षिक दर्शन पर विमर्श करता है। महान विचारकों द्वारा सुझाए गए शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, अनुशासनात्मक अभ्यास एवं शिक्षक तथा विद्यार्थियों की भूमिका सहित शैक्षिक विचारों की इस इकाई में चर्चा की गई है। शिक्षा के वर्तमान एवं समकालीन अभ्यास भी महान विचारकों के शैक्षिक विचारों की दृष्टि से आलोचित किए गए हैं।

10-2 mī';

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे;
- शिक्षा एवं दर्शनशास्त्र के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे;
- पाश्चात्य तथा भारतीय दार्शनिकों के विचारों की तुलना तथा उनमें भेद कर सकेंगे;
- वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में दार्शनिकों की अवधारणा एवं शैक्षिक विचारों पर सोच का विश्लेषण कर सकेंगे; तथा
- अवधारणा, शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों तथा अनुशासन के संदर्भ में दार्शनिकों के शैक्षिक विचारों पर विचार-विमर्श कर सकेंगे।

10-3 n'ku'kkL=] f'k{kk rFkk budī ikjLifjd lEcUèk

दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा के मध्य संपूरक एवं अभिन्न सम्बन्ध है। दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा की अन्योन्याश्रयिता स्पष्ट रूप से इस तथ्य से देखी जा सकती है कि सभी काल में महान दार्शनिक महान शिक्षाविद भी रहे हैं तथा उनके दर्शन उनकी शैक्षिक पद्धतियों में प्रतिबिम्बित होते हैं। बार-बार विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त शैक्षिक अभ्यासों में उपयोग हुए हैं। दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा के मध्य सम्बन्धों को समझने से पहले, दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा की अवधारणा को समझना आवश्यक है।

n'ku D;k g\

हममें से प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं का दर्शन होता है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में सचेतन या अचेतन रूप से प्रयोग करते हैं। दर्शन जीवन के विषय में आस्था की पद्धति है। शाब्दिक रूप में, दर्शन शब्द दो ग्रीक शब्दों 'philos' (प्रेम) तथा 'sophia' (ज्ञान) से मिलकर बना है जिसका अर्थ "ज्ञान प्रेम" है। यहाँ "ज्ञान" शब्द न केवल बुद्धि तक सीमित है बल्कि यह सतत् रूप में मौलिक तथ्यों – भौतिक विश्व, जीवन, मस्तिष्क, समाज, ज्ञान तथा मूल्यों में अंतर्दृष्टि की खोज करता है। इस दृष्टि से, "रिपब्लिक" में "प्लेटो" कहता

है – “वह जिसे प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का स्वाद है तथा जानने के लिए उत्सुक है और कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है उसे दार्शनिक कहा जा सकता है।” आगे दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु हैन्डर्सन तथा उसके सहकर्मियों ने कहा है कि “दर्शन कुछ बहुत कठिन समस्याओं का कठिन, अनुशासित एवं संरक्षित विश्लेषण है जिसका मनुष्य ने सदैव सामना किया है। दार्शनिक, “हग्नले” इसे इस तरह परिभाषित करता है – “मनुष्य अपने जीवन दर्शन, विश्व की अवधारणा के अनुरूप जीते हैं। यह अधिकांश विचारहीनता के बावजूद सत्य है। तत्वमीमांसा के बिना जीना असंभव है।

f'k{kk dī nk'kfud vk/kkj

f'k{kk D;k g\

आपने पिछली इकाई (इकाई 9) में शिक्षा की अवधारणा एवं अर्थ का अध्ययन किया है। शिक्षा के अर्थ को समेकित करने के लिए यह कहा जाता है, “शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए है जिसमें व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक एवं आंतरिक शक्तियों का विकास सम्मिलित है। इसका केवल मात्र अर्थ स्कूलिंग नहीं है। यद्यपि यह अच्छी नैतिकताओं एवं मूल्यों से युक्त व्यक्ति होने की शिक्षा देता है। एडम्स ने सही कहा है, “शिक्षा, दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। यह दार्शनिक आस्था का सक्रिय पक्ष है।”

n'ku'kkL= ,o f'k{kk dī ikjLifjd lEcUèk

दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा दोनों एक-दूसरे से अभिन्न तथा अन्योन्याश्रय रूप में सम्बन्धित हैं। रॉस के अनुसार, “दर्शनशास्त्र एवं शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, दोनों एक-दूसरे में निहित हैं, पहला जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि दूसरा क्रियात्मक पक्ष है” (सक्सेना, 2009)। दर्शन जीवन की विचारात्मक प्रक्रिया है एवं शिक्षा विचारात्मक प्रक्रिया को मूर्त रूप देने हेतु क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन शिक्षाविदों के लिए न केवल व्यावसायिक उपकरण है यद्यपि जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की विधि भी है क्योंकि यह मानव अस्तित्व एवं हमारे संसार की व्यापक एवं गहनतम परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है।

दर्शन एवं शिक्षा के मध्य सम्बन्ध स्थापित करते हुए, सक्सेना (2009) ने अपनी पुस्तक “शिक्षा के सिद्धान्त” में निम्नलिखित बिन्दुओं को आलोचित किया है:

- दर्शन शिक्षा के वास्तविक गंतव्य को निर्धारित करता है।
- दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा को समुचित एवं प्रभावी निर्देशन तथा निरीक्षण प्रदान करता है।
- वास्तविक शिक्षा केवल एक वास्तविक दर्शन द्वारा व्यवहार्य है। (स्पेन्सर)
- दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के सिद्धान्त, पाठ्यचर्या, तथा शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों की भूमिका को निर्धारित करता है।
- दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलूओं की तरह हैं, एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है तथा दोनों एक-दूसरे का आशय स्पष्ट करते हैं।
- सभी समय में महान दार्शनिक महान शिक्षाविद होते हैं जैसे प्लेटो, डिवी, रूसो, गाँधी तथा अरविन्द।
- “शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है” (जॉन एडम्स) क्योंकि शिक्षा दर्शन के विचारों को कार्य एवं अभ्यास में परिवर्तित करता है।
- दर्शन जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है जबकि शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है।

xfrfofèk 1

दर्शन एवं शिक्षा" के मध्य अंतर्संबंधों का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10-4 : lk dk 'kf{kd n'ku

जिन जैक रूसो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक थे। शिक्षा पर उनके विचार उनके प्रसिद्ध प्रकाशन जैसे, "दि प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइन्स", "सोसिएल कान्ट्रेक्ट", "न्यू हेलॉइस" तथा "एमिल" में लिखे गए हैं। रूसो का प्रकृतिवादी दर्शन तीन स्वरूपों को दर्शाता है: सामाजिक प्रकृतिवाद, मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवाद तथा भौतिक प्रकृतिवाद। उनके अनुसार, "प्रत्येक वस्तु प्रकृति के सृजन से आने पर अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में आने पर वह विघटित हो जाती है।" उनके अनुसार, केवल प्रकृति ही शुद्ध, स्वच्छ, श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली है। मानव समाज पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। इसलिए, व्यक्ति को समाज के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए एवं "प्रकृति की अवस्था" में रहना चाहिए। मानव स्वभाव आवश्यक रूप से अच्छा होता है तथा इसे मुक्त वातावरण में मुक्त विकास हेतु पूर्ण अवसर दिए जाने चाहिए (इग्नू, 2000)।

10-4-1 : lk d: 'kf{kd fopkj

रूसो शिक्षा की परंपरागत व्यवस्था का प्रबल आलोचक थे। वह विद्यार्थियों को बिना समझ के ज्ञान देने के विरुद्ध थे। वह मानते थे कि बच्चे को देखने, सोचने एवं अनुभव करने का अपना तरीका होता है। उनको नियम एवं विधियों को अनुकरण करने के लिए थोपा नहीं जाना चाहिए। उनको अपनी पसंद के तरीके के अनुरूप समझने तथा विषयवस्तु के अध्ययन के लिए स्वतंत्र करना चाहिए। वह "निषेधात्मक शिक्षा" के समर्थक थे। अपनी नवीन शिक्षा पद्धति की व्याख्या करते हुए, रूसो ने कहा, "मुझे 12 वर्ष का एक बच्चा दीजिए जो कुछ भी नहीं जानता हो। उसे 15 वर्ष की आयु तक, मैं इतना पढ़ाऊंगा जितना कि अन्य बच्चे जीवन के प्रारंभिक 15 वर्षों में पढ़ते हैं" (शर्मा, 2000)। उसके अनुसार, "निषेधात्मक शिक्षा आत्म शिक्षा है तथा यह ज्ञानेन्द्रियों एवं शरीर की शिक्षा है। वह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने हेतु संलग्न रखने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चा खेल के मैदान में सीखता है, तो यह कक्षाकक्ष में सीखने से कई गुणा अधिक उपयोगी होता है।

रूसो ने अपनी पुस्तक "ईमाइल" में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा युवावस्था के लिए उद्देश्यपूर्ण शिक्षा को सुझाया है। रूसो ने बच्चे को खेल में स्वतंत्रतापूर्वक संलग्न रहने तथा शारीरिक व्यायाम एवं सक्रिय रहने के लिए अनुमति का सुझाव दिया। मूल प्रवृत्तियों के प्रशिक्षण हेतु, बच्चे को अच्छी चीजों के अनुभव एवं उसमें सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र करना चाहिए। रूसो ने बाल्यावस्था में अनुभव एवं अवलोकन के माध्यम से

सीखने का सुझाव दिया। उसने सुझाया कि इस अवस्था में शिक्षा का लक्ष्य ज्ञानेन्द्रियों का विकास करना होता है।

रूसो ने सुझाया कि किशोरावस्था में, शिक्षा का लक्ष्य कठिन कार्य, निर्देशन एवं अध्ययन के माध्यम से किशोर व्यक्तित्व को विकसित करना होना चाहिए। रूसो ने युवावस्था के लिए सुझाया कि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के शारीरिक, इन्द्रिय, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास की प्राप्ति होनी चाहिए।

10-4-2 ikB;p;k rFkk f'k{k.k fofèk;k

रूसो द्वारा सुझाए गए पाठ्यचर्या तथा शिक्षण की विधियाँ निम्नलिखित थीं:

rkfydk 1 ikB;ppk rFkk f'k{k.k fof/k;k

voLFkk,i	ikB;p;k	f'k{k.k fof/k;k
शैशवावस्था (0-5 वर्ष)	● शरीर एवं इन्द्रियों का विकास ● मातृभाषा के माध्यम से नैतिक वार्तालाप ● किसी आदत के विकास को निषिद्ध करता है।	● ज्ञानेन्द्रियों का विकास ● परामर्श विधि ● खेल विधि
बाल्यावस्था (5-12 वर्ष)	● प्रत्येक चीज को प्रत्यक्ष अनुभव एवं अवलोकन के माध्यम से सीखना ● कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं ● निषेधात्मक शिक्षा ● स्वतंत्र खेल, गतिविधि एवं क्रिया ● इस अवस्था में कोई ठोस पाठ्यचर्या को नहीं सुझाया गया है।	● प्रायोगिक विधि ● स्व-अधिगम विधि ● स्व-अनुभवों के माध्यम अधिगम ● करके सीखना ● अवलोकन, पृच्छा तथा प्रायोगिक विधि ● खोज विधि
किशोरावस्था (12-15 वर्ष)	● प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, काष्ठ कार्य, संगीत, चित्रकला आदि सहित औपचारिक पाठ्यचर्या का सुझाव ● गतिशील कार्य आधारित पाठ्यचर्या, पुस्तकों पर आधारित नहीं।	● शिक्षण में वास्तविक उद्देश्यों का प्रदर्शन
युवावस्था (15-20 वर्ष)	● वास्तविक अनुभव के माध्यम से नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, औपचारिक व्याख्याओं के माध्यम से नहीं। ● शारीरिक, स्वास्थ्य, संगीत तथा व्यावहारिक अनुभव के लिए शिक्षा	

f'k{kk d nk'kfud ifjÄ{;

रुसो द्वारा सुझाए गए पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियों के विश्लेषण द्वारा यह कहा जा सकता है कि वह विशेष रूप से जीवन की पूर्व अवस्था में पुस्तक पढ़ने एवं कठोर पाठ्यचर्या के विरुद्ध था। उसने औपचारिक पाठ्यचर्या को केवल किशोरावस्था के लिए सुझाया। शिक्षण की वे विधियाँ जो बच्चे को व्यावहारिक गतिविधियों तथा करके सीखने में संलग्न रखती हैं रुसो ने उनको महत्व दिया है।

10-4-3 vu'kk lu dh voèkkj.kk

प्रकृतिवादी दार्शनिक होने के नाते, रुसो ने शिक्षा में निम्नलिखित अनुशासनात्मक अभ्यासों को सुझाया:

- बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता
- थोपा गया दण्ड नहीं बल्कि बालक केवल प्राकृतिक दण्ड का अनुभव कर सकता है, जो आगे बच्चे को सही तथा अच्छा करने हेतु निर्देशित कर सकता है।
- प्राकृतिक नियम के प्रति आज्ञाकारिता क्योंकि यह नियमों की उपेक्षा या उल्लंघन कष्ट तथा दुःख को उत्पन्न करते हैं।
- प्राकृतिक रूप से धारण किया गया उत्तम चरित्र।

xfrfofèk 2

एक शिक्षक के रूप में क्या आप सोचते हैं कि रुसो के शैक्षिक विचारों का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हेतु कोई अभिप्राय है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

viuh ixfr dh tkp dj: & 1

ukV॥ (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. निषेधात्मक शिक्षा क्या है?

.....

.....

.....

.....

2. रूसो द्वारा सुझाए गए अनुशासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. रूसो द्वारा सुझाई गई शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

10-5 Vxkj dk 'kf{k d n'ku

टैगोर का शैक्षिक दर्शन उनके स्वयं के जीवन से प्रभावित है। यद्यपि टैगोर शिक्षा के पाश्चात्य विचारकों के विचारों से पूर्णतः जागरूक थे, उन्होंने अपने विचारों को प्राचीन भारतीय विचारों पर आधारित किया। टैगोर परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के प्रति निष्क्रिय थे जो बच्चे को कक्षाकक्ष या घर की चारदीवारियों में सीमित करता है। उनके अनुसार, प्रकृति बालक की उत्तम पाठ्यचर्या तथा शिक्षक है। टैगोर के शैक्षिक सिद्धान्तों का विश्लेषण कर यह कहा जा सकता है कि वह प्रकृतिवाद के साथ-साथ प्रयोजनवाद के भी अनुयायी थे। परंतु उनका शैक्षिक दर्शन अधिकांशतः प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। टैगोर स्व-शिक्षा में विश्वास करते थे जो आत्मबोध पर आधारित होती है। टैगोर बच्चे के संपूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। यह स्वतंत्रता बुद्धि, निर्णय, हृदय, ज्ञान, क्रिया तथा आराधना से संबंधित है। टैगोर निपुणतापूर्वक कार्य करने में विश्वास रखते थे। "वैश्विकता" की अवधारणा टैगोर की शिक्षा की अवधारणा में स्पष्ट रूप में विद्यमान है। वे मानते हैं कि वास्तविक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति अपनी आत्मा से परे गए बिना सोचते एवं कार्य करते हैं तथा बिना आस्था एवं कार्य के सार्वभौमिक आत्मा का बोध करते हैं।

10-5-1 Vxkj d 'kf{k d fopkj

टैगोर के शैक्षिक दर्शन के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:

- सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य आत्मबोध होना चाहिए।
- उन्होंने प्राचीन वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक अभिवृत्तियों को संश्लेषित कर शिक्षा का लक्ष्य निर्मित किया।
- सृजनशील विद्यार्थियों को विकसित करने हेतु, बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए।
- वह शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा धार्मिक विकास के साथ मानव शक्ति के समेकित विकास का समर्थन करते थे।

f'k{k d nk'kfud ifjA{;

- वह व्यक्ति द्वारा रह रहे वातावरण के साथ समायोजन तथा अन्य व्यक्तियों के रहने वाले वातावरण में समायोजन के समर्थक थे।
- बच्चों को पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति के लिए दबाव नहीं देना चाहिए।
- शिक्षा का लक्ष्य बच्चे को आत्मसंतुष्ट बनाना तथा जीविकोपार्जन करना है।
- शिक्षा को बच्चों को राष्ट्रीय संस्कृति के विचारों एवं मूल्यों के अभ्यास हेतु योग्य बनाना चाहिए।
- शिक्षा को बच्चों को संपूर्ण मानव बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

10-5-2 ikB;p;k rFkk f'k{k.k fofèk;k

टैगोर का दृष्टिकोण है कि पाठ्यचर्या गतिविधियों तथा वास्तविक जीवन के व्यापक अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने बच्चे के सृजनात्मक विकास हेतु अधिसंख्य पाठ्यसहगामी गतिविधियों को पाठ्यचर्या के आवश्यक भाग के रूप में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। उन्होंने इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, कृषि तथा प्रायोगिक विषयों जैसे अध्ययन के विषयों को उद्यानिकी, क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, कला, मूर्तिकला, व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों के साथ विद्यालय पाठ्यचर्या के भाग के रूप में सुझाया। सृजनात्मक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे नृत्य, गायन, चित्रकला, डिजाइनिंग, सिलाई, कताई, बुनाई तथा पाककला पाठ्यचर्या का भाग होना चाहिए। टैगोर ने टहलते हुए शिक्षण, चर्चा एवं प्रश्नोत्तर विधि, गतिविधि, भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण आदि को शिक्षण विधियों के रूप में सुझाया।

10-5-3 fo|ky;] f'k{k d rFkk vu'kk lu dh voèkkj.kk

टैगोर ने सुझाया कि विद्यालय शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित होना चाहिए, जहाँ बच्चा एकाग्रचित्त हो सके तथा प्रकृति के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सके। शैक्षिक संस्थानों को सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित तथा हस्तांतरित करना चाहिए। शिक्षक को चिंतनशील अभ्यासकर्त्ता होना चाहिए तथा बच्चे के साथ प्रेम, स्नेह, सहानुभूति तथा स्वीकारोक्तिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को उपयोगी एवं रचनात्मक गतिविधियों में लगाना चाहिए तथा उनको अपने अनुभवों द्वारा सीखने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। टैगोर ने स्व-निर्देशित अनुशासन के अभ्यास के लिए सुझाव दिए तथा विद्यार्थियों पर अनुशासन थोपने की बात का विरोध किया क्योंकि केवल स्व-अनुशासन विद्यार्थियों को आत्मविकास में सहायता कर सकता है।

viuh ixfr dh tkp dji & 2

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

4 टैगोर द्वारा परिभाषित शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5. टैगोर द्वारा सुझाई गई पाठ्यचर्या की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

6. टैगोर द्वारा सुझाई गई शिक्षक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

10-6 Lokeh foodkun rFkk f'k{kk

स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा अर्थात् "शिक्षा मनुष्य के अंदर पहले से विद्यमान दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है", स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक अवधारणा को प्रतिबिम्बित करता है। उनके अनुसार, शिक्षा व्यक्ति में पहले से विद्यमान शक्ति, बुद्धि, योग्यताओं तथा संभावनाओं की अभिव्यक्ति में सहायता करती है जिसे उसने सर्वशक्तिमान या ईश्वर से प्राप्त किया है। वह दृढ़तापूर्वक विश्वास करते थे कि ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान होता है जिसे व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से उजागर तथा विकसित करता है।

10-6-1 Lokeh foodkun d: 'kf{k d fopkj

स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन आदर्शवाद के साथ-साथ मानवतावाद के दर्शन पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद ने समकालीन शिक्षा पद्धति की मानवतावादी दृष्टिकोण से आलोचना की। वह एक मानवतावादी थे तथा उन्होंने मनुष्य के लिए शिक्षा की वकालत की। उनके अनुसार, शिक्षा का कार्य हमारे मस्तिष्क में विद्यमान ज्ञान को उजागर करना है। स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक विचार निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

- समकालीन शिक्षा व्यवस्था के विपरीत, स्वामी विवेकानंद ने आत्मविकास हेतु शिक्षा की वकालत की। उन्होंने आत्मविकास हेतु ब्रह्मचर्य का सुझाव दिया।
- स्वधर्म की पूर्ति शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके द्वारा, स्वामीजी ने सुझाव दिया कि दूसरों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं द्वारा विकास करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को उसकी आंतरिक प्रकृति के अनुसार विकास के अवसर दिए जाने चाहिए।
- उन्होंने चरित्र निर्माण की वकालत की जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उन्होंने कठिन परिश्रम, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुकरण हेतु नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को उत्पन्न करने, अच्छी आदतों के निर्माण, अपनी भूल से सीखना आदि को चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा की आवश्यकता के रूप में सुझाव दिया।
- आत्मविश्वास, मानव सेवा, साहस, सत्य की अनुभूति, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, विविधता में एकता आदि शिक्षा के लक्ष्य थे।
- स्वामीजी ने यह स्वीकार किया कि व्यक्ति के प्रयास के सभी पक्षों में उत्कृष्टता या पूर्णता शिक्षा का महान धर्म है।

स्वामीजी ने शिक्षा में एक व्यापक पाठ्यचर्या की अवधारणा का सुझाव दिया। शिक्षा का लक्ष्य बच्चे के आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन का विकास होना चाहिए। उन्होंने पाठ्यचर्या में उन सभी विषयों एवं गतिविधियों के समावेशन की वकालत की जो भौतिक कल्याण के साथ आध्यात्मिक उन्नति को पोषित करते हैं। स्वामीजी ने धर्म, दर्शन, महाकाव्य, उपनिषद आदि को पाठ्यचर्या के भाग के रूप में परामर्श दिया। इनके अतिरिक्त, उन्होंने पाठ्यचर्या में भाषा, भूगोल, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कला, कृषि, औद्योगिक एवं तकनीकी विषयों के साथ खेल जैसे विषयों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की।

स्वामीजी ने ब्रह्मचर्य, आध्यात्म, ध्यान, एकाग्रता आदि को मूलभूत शिक्षण विधियों के रूप में सुझाया। उन्होंने, योगाभ्यास, व्याख्यान, विमर्श, स्वानुभव तथा रचनात्मक गतिविधियों को भी शिक्षण विधियों के रूप में सुझाया।

10-6-3 vu|'kk|u] fo|kFkh rFkk f'k{k.d dh voèkkj.kk

स्वामीजी स्व-अनुशासन के समर्थक थे बाह्य या दूसरों द्वारा थोपे गए अनुशासन के विरुद्ध थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य तथा ध्यान के माध्यम से मानव अनुशासन की वकालत की। उनका मानना था कि आत्मबोध या स्वयं का बोध ही वास्तविक मार्ग है। उनके अनुसार, एक बच्चा सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है। एक पौधे की तरह, बच्चा स्वयं को विकसित करता है। उन्होंने बच्चे की स्वाभाविक तथा निर्बाध (सहज) विकास में सहायता करने की वकालत की। शिक्षक की भूमिका बच्चे के स्वाभाविक तरीके से विकास एवं जीवन में सहायता करती है। उनके लिए, शिक्षक वह है जो योग, ध्यान तथा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। जब तक एक शिक्षक आध्यात्म की प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानता/जानती है वह बच्चे को आध्यात्मिक के विकास के लिए नहीं पढ़ा सकता। स्वामीजी ने शिक्षक को "एक दार्शनिक, मित्र तथा बच्चे को स्वयं की दिशा में गमन की सहायता के लिए निर्देशक के रूप में परिभाषित किया है।

viuh ixfr dh tkp dj: & 3

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

7 स्वामीजी के अनुसार, वास्तविक शिक्षा क्या है?

.....

.....

.....

.....

8. स्वामीजी के अनुसार, शिक्षा में शिक्षक के स्थान की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

प्लेटो एक महान दार्शनिक के साथ-साथ प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ तथा समाज सुधारक थे। उनके शैक्षिक विचार शिक्षा के आदर्शवादी सिद्धान्तों पर आधारित हैं। प्लेटो ने शिक्षा को " राष्ट्र के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम" के रूप में परिभाषित किया है। प्लेटो के अनुसार, विचार या अवधारणा अंतिम सत्य है। उन्होंने दो प्रकार के विश्व की कल्पना की: (क) आध्यात्मिक विश्व, (ख) भौतिक विश्व। प्लेटो का मानना था कि मानव आध्यात्मिक एवं भौतिक तत्वों का संयोजन है। मानव शरीर भौतिक तत्वों से बना है तथा आत्मा आध्यात्मिक तत्वों से बनी है। आत्मनियंत्रण, न्याय तथा उदारता नैतिक एवं चरित्र विकास के लिए आवश्यक है। प्लेटो ने कहा कि "शिक्षा का लक्ष्य केवल मात्र सूचनाओं को प्रदान करना नहीं है यद्यपि एक नागरिक के रूप में व्यक्ति के कर्तव्यों एवं अधिकारों का प्रशिक्षण देना भी है। उनके विचार में "शिक्षा का लक्ष्य मानव को पूर्ण बनाना है तथा अंत में उनकी दृष्टि में, उन्होंने एक पाठ्यचर्या को सुझाया जो सभी विषयों को समझाती है।" (शर्मा, 2000)

10-7-1 IyV_k d_i 'kf{k_d fopkj

प्लेटो ने अपनी पुस्तक "रिपब्लिक" में शिक्षा की सार्वभौमिक प्रकृति की चर्चा की है। वे जन शिक्षा का प्रबल समर्थक थे। उनके लिए, विधिक रूप में शिक्षा सार्वभौमिक होती है, बल्कि लोगों के एक वर्ग तक सीमित नहीं होती है। वे अनिवार्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा के प्रति उनकी अवधारणा राजनीतिक थी, उन्होंने लोगों को माता-पिता से संबद्ध होने के बजाए राज्य से संबद्ध होने के रूप में समर्थन किया। यह इसलिए कि, बच्चे को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व केवल माता-पिता का नहीं है बल्कि यह राज्य का भी उत्तरदायित्व है। प्लेटो का सार्वभौमिक शिक्षा के विचार को वैश्विक स्तर पर व्यवहार किया गया।

प्लेटो के शैक्षिक विचार के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध है जो वास्तविक मूल्यों जैसे सत्यम्, शिवम् तथा सुन्दरम् के माध्यम से संभव हो सकता है।
- उत्तम राष्ट्र के लिए उत्तम तथा योग्य नागरिकों की आवश्यकता होती है। अतः विद्यार्थियों में उत्तम नागरिकता का विकास शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।
- शिक्षा का लक्ष्य अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए होना चाहिए।
- मानव मनोवैज्ञानिक प्राणी होता है, अतः मानव के शारीरिक एवं मानसिक पक्षों का संतुलित विकास शिक्षा का कार्य होना चाहिए।

10-7-2 ikB; p; k] f'k{k_k fofèk; k_i , o f'k{k_d

प्लेटो ने शिक्षा को एक जीवनपर्यन्त प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया, अतः उन्होंने पाठ्यचर्या की व्यापक योजना एवं संरचना का सुझाव दिया। उन्होंने समर्थन किया कि भाषा, इतिहास, तर्कशास्त्र एवं गणित, भूगोल तथा विज्ञान बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने पाठ्यचर्या में कला, व्यायाम, संगीत, शिल्प तथा खेल को समाविष्ट करने की बात कही। उन्होंने धर्म, नीतिशास्त्र, एवं आध्यात्म के ज्ञान को बच्चे के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बताया। शारीरिक शिक्षा तथा आत्म रक्षा केवल बच्चे के व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है बल्कि राष्ट्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने अच्छी नागरिकता, आध्यात्म, मूल्य एवं नैतिकता आधारित शिक्षा को पाठ्यचर्या में

सम्मिलित करने का समर्थन किया। उन्होंने व्याख्यान के उपयोग, विमर्श, प्रश्न एवं गतिविधियों को शिक्षण विधियों के रूप में सुझाया। उन्होंने बल दिया कि तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप, स्वाध्याय तथा अनुकरण विधि शिक्षण विधि के रूप में उपयोग किए जाने चाहिए। स्त्री शिक्षा को महत्व देते हुए उन्होंने सुझाया कि स्त्रियों को व्यायाम, खेल, रक्षा आदि का प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्लेटो का विचार था कि शिक्षा का स्थान समाज में सबसे उच्च होना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए आदर्श होना चाहिए। एक शिक्षक को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए।

xfrfofèk 3

प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तकों की एक सूची बनाइए तथा वर्तमान समाज में प्रयुक्त उसके विचारों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

viuh ixfr dh tkp dji & 4

ukV॥ (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

9. प्लेटो द्वारा सुझाई गई पाठ्यचर्या की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

10. प्लेटो द्वारा सुझाई गई "सार्वभौमिक शिक्षा" की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

जॉन डिवी आधुनिक युग का एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद तथा विचारक है। जॉन डिवी की शिक्षा की अवधारणा व्यवहारवादी दर्शन पर आधारित है। डिवी का मानना था कि ज्ञान कार्य का परिणामी होता है। उनके अनुसार, परिवर्तन विश्व की वास्तविकता है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, "शिक्षा अनुभवों की सतत् पुनर्संरचना है।" शिक्षा के प्रति उसकी मुख्य अवधारणा उसकी पुस्तक जैसे "डेमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन" (1916), "लॉजिक" (1938) तथा "एक्सपेरियन्स एंड एजुकेशन" (1938) में लिखी गई है। उनके अनुसार, "सत्य एक उपकरण है जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है", जब समस्याएँ बदलती हैं, सत्य बदलता है तथा शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। डिवी के अनुसार, परिवर्तन शिक्षा का मौलिक सिद्धान्त है। सत्य व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित होता है। अतः व्यक्ति कार्य एवं प्रयोगों के परिणाम के आधार पर सिद्धान्त को विकसित करता है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चे को अपने अनुभवों से जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम बनाना है। शिक्षा का लक्ष्य मानव जीवन को समृद्ध एवं सुखी बनाना है। अतः जॉन डिवी को व्यवहारवादी विचारक कहा जाता है।

10-8-1 t ku fMoh d: 'kf{kd fopkj

जॉन डिवी के शैक्षिक विचारों को निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा समझा जा सकता है:

- डिवी अनुभव को शिक्षा की केन्द्रीय अवधारणा के रूप में स्वीकारता है। बच्चा अनुभवों के माध्यम से सीखता है।
- समस्याओं के समाधान के लिए समस्या समाधान तथा चिंतनशील या गहन अनुसंधान शिक्षा का लक्ष्य है।
- डिवी जाँच-पड़ताल, गहन चिंतन, प्रयोग एवं तथ्यान्वेषण के माध्यम से ज्ञानार्जन को स्वीकारता है। ज्ञान की कोई अंतिम सत्यता नहीं है। अधिक से अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान नवीन ज्ञान को जन्म देते हैं।
- व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास हेतु परिवर्तन आवश्यक है, अतः शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण विधियाँ आदि समय की आवश्यकता के अनुसार बदलनी चाहिए। बच्चे के लिए शिक्षा है, शिक्षा के लिए बच्चा नहीं है।
- लोकतांत्रिक समाज शिक्षा के आधार पर स्थापित होना चाहिए। एक आदर्श समाज में, सामाजिक एवं सामुदायिक भावनाएँ, कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता, पारस्परिक सहयोग आदि का विकास होना चाहिए।
- वह सापेक्षवाद में विश्वास करता है, क्योंकि कुछ भी पूर्ण नहीं है बल्कि यह सापेक्षिक है क्योंकि सदैव परिवर्तन की संभावना होती है।
- वह उपकरणवाद (करणवाद) में विश्वास करता है जैसा कि वस्तुओं का अस्तित्व कार्य करने के लिए है। विचारों को क्रियान्वित करने के लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, जॉन डिवी को प्रयोजनवादी, उपकरणवादी, मानवतावादी, यथार्थवादी तथा प्रयोगवादी के रूप में माना जा सकता है।

डिवी का सुझाव था कि पाठ्यचर्या बच्चे के मूल प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। बच्चे की आवश्यकता, योग्यताएँ तथा रुचि को पाठ्यचर्या में बल देने की आवश्यकता है। उसने बालकेन्द्रित पाठ्यचर्या का समर्थन किया। उनका मानना था कि पाठ्यचर्या को सामाजिक मुद्दों को समाविष्ट करना चाहिए क्योंकि बच्चा समाज का एक भाग होता है तथा अंततः शिक्षा के उत्पाद को समाज के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। वह पाठ्यचर्या निर्माण के चार सिद्धान्तों को बताया अर्थात् उपयोगिता, लचीलापन, आनुभाविक तथा जीवन से सम्बन्धित। सिद्धान्त स्पष्ट करता है कि पाठ्यचर्या बच्चे की उपयोगिता के लिए होनी चाहिए, यह कभी भी आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है, बच्चे को अनुभवों को एकत्र करने के लिए वृहद क्षेत्र प्रदान करता है तथा पाठ्यचर्या में प्रत्येक गतिविधि बच्चे के जीवन के साथ समुचित रूप से जुड़ी होनी चाहिए।

डिवी पाठ्यचर्या के एकीकृत उपागम तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करके सीखने, क्षेत्र भ्रमण, परियोजना, समस्या समाधान, जाँच-पड़ताल एवं समस्या आधारित अधिगम, प्रयोग, अवलोकन, गहन विश्लेषण, वाद-विवाद तथा परिचर्चा के उपयोग पर बल दिया।

10-8-3 vkèkfud f'k{k ij ÄHkko

जॉन डिवी के शिक्षा दर्शन का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यापक प्रभाव है। वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया बच्चे के अनुभवों के माध्यम से ज्ञान की रचना या निर्माण पर बल देती है। बच्चे को अपने ज्ञान निर्माण के लिए प्रत्येक योग्यता होती है। विद्यार्थियों को अपने वातावरण, परिवार, सहपाठियों, समाज, खेल मित्रों आदि के साथ अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त अनुभवों के उपयोग द्वारा ज्ञान निर्माण में शिक्षक उनकी सहायता करता है। जॉन डिवी के शिक्षा की अवधारणा के वॉयगोस्तकी के अधिगम के निर्मिततावादी उपागम के लिए बहुत अधिक योगदान दिया है।

viuh ixfr dh tkp dj: & 5

ukV॥ (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

11. "अनुभव ज्ञान का आधार होता है" पर डिवी के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

12. जॉन डिवी द्वारा सुझाए गए पाठ्यचर्या के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

13. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए डिग्री के शैक्षिक विचारों के योगदान का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10-9 t:- Ñ".kefr! dk 'kf{k d n'ku

जिजू कृष्णमूर्ति एक भारतीय दार्शनिक एवं शिक्षाविद् थे। ईश्वर के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "यदि आपका हृदय प्रेम से पूर्ण है तब ईश्वर को अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है।" उन्होंने कहा, "जीवन का वास्तविक अर्थ शिक्षा द्वारा समझा जा सकता है तथा सत्य को केवल शिक्षा द्वारा स्थापित किया जा सकता है।" उन्होंने मानव के व्यक्तित्व के संतुलित विकास पर बल दिया है। वे मानते थे कि जीवन स्थिर नहीं है तथा समय की आवश्यकता, वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए।

10-9-1 t:- Ñ".kefr! d: 'kf{k d fopkj

जे. कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार निम्नलिखित हैं:

- शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों में आध्यात्मिकता का विकास होना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ किसी धर्म का दास बनना नहीं है बल्कि यह आत्मबोध तथा आत्मविश्लेषण के माध्यम से ज्ञानार्जन को इंगित करता है।
- वैज्ञानिक खोजों तथा तकनीकी शिक्षा का उपयोग मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। यह मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए।
- शिक्षा द्वारा बच्चों में सृजनशीलता को विकसित करना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि वे स्वयं द्वारा निर्णय ले सकें।
- शिक्षा का उद्देश्य मानव तथा प्रकृति के लिए प्रेम के प्रसार के लिए होना चाहिए। "विविधता की भावना शक्ति के रूप में है कमजोरी के रूप में नहीं है" की अवधारणा को छोटे बच्चों के मस्तिष्क में फैलाने की आवश्यकता है।

10-9-2 ikB; p; k rFk f'k{k. k fofèk; k

उन्होंने सुझाव दिया कि पाठ्यचर्या बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्यचर्या में विषय एवं पाठ्यवस्तु का संगठन बाल मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए जिससे बच्चे की स्वाभाविक रुचि विकसित की जा सकती है। जीविकोपार्जन हेतु व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीक, मूर्तिकला, वास्तुकला, गृहविज्ञान, का औद्योगिक कौशल, साहित्य, खेल आदि का अध्ययन करना चाहिए। पाठ्यचर्या में, बच्चे की सृजनशीलता के विकास हेतु कला, कविता, तथा संगीत का स्थान होना चाहिए।

शिक्षा का अधिकांश अवसर गतिविधि तथा करके सीखने के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चों को स्व-अधिगम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रायोगिक, स्वाध्याय, वैज्ञानिक, आत्मविश्लेषण तथा खेल विधि का उपयोग करना चाहिए।

10-9-3 f'k{k d} fo | kFkhi rFkk vu'kk | u dh voèkkj .kk

उन्होंने बल दिया कि शिक्षक को एक "संपूर्ण मानव" होना चाहिए। संपूर्ण मानव का अर्थ चेतना, अहिंसा तथा प्रेम जैसे गुणों से युक्त होना है। शिक्षक को जातिवाद, क्षेत्रवाद, पूर्वाग्रहों आदि में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। शिक्षक का स्थान एक मित्र, दार्शनिक तथा निर्देशक की तरह है। विद्यार्थी में विनम्रता, सेवा, प्रेम, स्वाध्याय, एकाग्रता, आत्मानुशासन आदि जैसे गुण होने चाहिए। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को एक समेकित एवं राष्ट्र के लिए संपूर्ण नागरिक के निर्माण का होना चाहिए।

viuh ixfr dh tkp dj: & 6

ukV॥ (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

14. जिडू कृष्णमूर्ति द्वारा वर्णित "सत्य एवं शिक्षा" की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

15. जे. कृष्णमूर्ति द्वारा सुझाए गए शिक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

10-10 egkRek xkèkh dk 'kf{k d n'ku

महात्मा गाँधी आधुनिक भारत के एक महान विचारक, समाज सुधारक तथा शिक्षाविद थे। उनका शिक्षा दर्शन सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह पर आधारित है। शिक्षा की उनकी लोकप्रिय परिभाषा अर्थात् "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का उत्तम रूप से सर्वांगीण विकास करना है", मानव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को सूचित करता है : शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास। महात्मा गाँधी के अनुसार, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, निर्भयता, विश्वास, मानवता आदि जैसे मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन के आधार हैं। उनकी बुनियादी शिक्षा, शिल्प आधारित शिक्षा, नैतिक एवं मूल्य शिक्षा की अवधारणा का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर महान प्रभाव है।

महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचार भारत के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित था। उस समय ब्रिटिश शिक्षा को अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रचारित किया जा रहा था। ब्रिटिश शिक्षा पद्धति ने भारतीय मानस को प्रत्यक्षतः प्रभावित किया। अतः उन्होंने बाल केन्द्रित शिक्षा तथा अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहने के लिए भारत को आवश्यकता आधारित शिक्षा को सुझाया।

महात्मा गाँधी का शैक्षिक विचार निम्नलिखित वाक्यों द्वारा बताया जा सकता है:

- गाँधी ने स्वीकार किया कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक योग्यताओं का विकसित करना है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य स्वयं का बोध करना है।
- शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जीविकोपार्जन भी है। बच्चे की शिक्षा शिल्प पर आधारित होनी चाहिए। शिल्प केन्द्रित शिक्षा स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्पादों जैसे मिट्टी के बर्तन, वानिकी, कृषि, जूट का कार्य आदि पर आधारित होनी चाहिए जिसके द्वारा बच्चा पढ़ सकता है तथा आत्मनिर्भर बन सकता है।
- शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा होनी चाहिए।
- 7 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक होनी चाहिए।
- विद्यालय गतिविधि का एक स्थान होना चाहिए जहाँ बच्चा विभिन्न प्रयोगों में व्यस्त रहता है तथा अन्य अनुभवों को प्राप्त करता है।
- शिक्षा को उपयोगी, उत्तरदायी तथा गत्यात्मक नागरिकों का निर्माण करना चाहिए।

10-10-2 ikB;p;k rFkk f'k{k.k fofèk;k

गाँधी ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया जो शिल्प केन्द्रित प्रकृति की थी। उनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को शिक्षित, आत्मनिर्भर तथा आत्मकेन्द्रित बनाना था। इसी तरह, उन्होंने समर्थन किया कि पाठ्यचर्या शिल्प केन्द्रित होनी चाहिए। शिल्प एवं शिक्षण विषयों का समाकलन पाठ्यचर्या का मुख्य आधार था। मूलभूत शिल्पों के माध्यम से विषयों को पढ़ाया जाता था। गतिविधि केन्द्रित पाठ्यचर्या में गाँधीजी ने मातृभाषा, मूलभूत शिल्प, ज्यामिति, समाजशास्त्र, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत तथा अन्य विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यचर्या का सुझाव दिया था इसके पश्चात् बालिकाओं को गृह विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए तथा बालकों को अन्य शिल्प विधाओं का अध्ययन करना चाहिए।

गाँधीजी ने शिल्प केन्द्रित शिक्षण विधियों जैसे करके सीखना, क्रिया की विधि, इन्द्रियों के प्रशिक्षण आदि पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, गाँधीजी ने बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यसहगामी गतिविधियों के आयोजन की आवश्यकता पर भी बल दिया।

10-10-3 f'k{k d dh voèkkj.kk

गाँधीजी शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानते थे। शिक्षक का कर्तव्य केवल विषयों के ज्ञान को प्रदान करना नहीं है यद्यपि बच्चे का नैतिक चरित्र निर्माण करना भी है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए आदर्श स्वरूप होना चाहिए।

उन्होंने कहा, “मेरे विचार में, बच्चा पुस्तकों एवं समस्याओं से अधिक शिक्षक से सीखता है।” शिक्षक को विद्यार्थियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ मित्रवत रहना चाहिए।

viuh ixfr dh tkp dj: & 7

ukV॥ (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

16. आपके विचार में गाँधीजी की शिल्प आधारित शिक्षा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए कहाँ तक प्रासंगिक है?

.....

.....

.....

.....

17 गाँधीजी की “बुनियादी शिक्षा” की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

10-11 Jh vjfoUn dk 'kf{kd n'ku

अरविन्द घोष एक महान शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे। वे अपने शैक्षिक विचारों को अपनी पुस्तक “नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन” तथा “आन एजुकेशन” में व्यक्त किए हैं। उपनिषद् एवं वेदान्त के मौलिक सार तत्व उनके जीवन दर्शन के आधार थे। उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास, योग तथा ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में विशेष महत्व दिया। एक आदर्शवादी के रूप में श्री अरविन्द का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक तपस्या, योग तथा ब्रह्मचर्य के अभ्यास पर आधारित है। उन्होंने माना कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के सभी तीनों पक्षों को प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं की पूर्ण विस्तार तक विकसित कर सकता/सकती है। अरविन्द के लिए, “वास्तविक शिक्षा वह है जो बच्चे को स्वतंत्र एवं सृजनशील वातावरण प्रदान करती है तथा उसकी रुचियों, सृजनशीलता, मानसिक, नैतिक तथा सौन्दर्य बोध का विकास करते हुए अंततः उसके आध्यात्मिक शक्ति के विकास को अग्रसरित करती है।

10-11-1 Jh vjfoUn d 'kf{kd fopkj

अरविन्द घोष के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए: शुद्धता के साथ बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास, इन्द्रियों का विकास, नैतिकता का विकास, अंतःकरण का विकास, आध्यात्मिकता का विकास। उनके मूलभूत शैक्षिक विचारों को निम्नलिखित पंक्तियों से बताया जा सकता है :

- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
- बच्चे को सभी मानसिक योग्यताओं तथा मनोविज्ञान के अनुरूप प्रदान की जानी चाहिए।
- शिक्षा का लक्ष्य आध्यात्म की प्राप्ति होनी चाहिए।
- शिक्षा के माध्यम से इन्द्रियों का प्रशिक्षण तथा अंतःकरण का विकास होना चाहिए।
- शिक्षा का मूलभूत आधार ब्रह्मचर्य होना चाहिए।
- बच्चे को संपूर्ण मानव बनाने के लिए शिक्षा को उसके सभी आनुवंशिक शक्तियों को विकसित करना चाहिए।

10-11-2 ikB;p;k rFkk f'k{k.k fofèk;k

पाठ्यचर्या में समाविष्ट विषय बच्चे की रुचि के अनुरूप होने चाहिए। उनके अनुसार पाठ्यचर्या को बच्चे के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। उन्होंने सुझाया कि पाठ्यचर्या रुचिकर होनी चाहिए तथा इसे बच्चे को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अरविन्द द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए सुझाए गए पाठ्यचर्या निम्नलिखित हैं:

lkfj.kh 2% Jh vjfoUn d vu|kj ikB;p;k

Lr j	fo"k;
प्राथमिक	मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामाजिक अध्ययन तथा ललित कला।
माध्यमिक	मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगोल तथा ललित कला।
विश्वविद्यालय	भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र।
व्यावसायिक शिक्षा	अभिनय, नृत्य, भारतीय एवं यूरोपीय संगीत, कंठ संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी, सिलाई, टंकण तथा आशुलिपि।

शिक्षण विधियाँ प्रदर्शन विधियों पर आधारित होनी चाहिए तथा बच्चे की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। अरविन्द स्वाध्याय, स्व-अनुभव, तथा आत्मनिरीक्षण विधि के माध्यम से अधिगम का सुझाव दिया। उन्होंने शिक्षण की मौखिक विधि का भी समर्थन किया जो उपदेश, तर्क, अभिव्यक्ति, वर्णन आदि में सहायक हैं।

10-11-3 f'k{k d] fo|ky; rFkk vu'kk|u dh voèkkj.kk

बालक शिक्षा की प्रक्रिया में केन्द्रीय स्थान ग्रहण करता है। प्रत्येक बालक में संभावित योग्यताएँ होती हैं जिन्हें शिक्षकों को पहचानने एवं विकसित करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक को विद्यार्थियों पर अपने विचारों को नहीं थोपना चाहिए बल्कि उन्हें संपूर्ण मानव बनने के लिए सहायता एवं मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उनके अनुसार, शिक्षक एक सुविधा या सहायता प्रदाता तथा पथ प्रदर्शक होता है।

विद्यालय वातावरण बच्चे के शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। बच्चों के साथ धर्म, जाति, प्रदेश, रंग, पंथ आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। विद्यालय वातावरण सहयोग, प्रेम तथा सौहार्द से पूर्ण होना चाहिए। अरविन्द शारीरिक दण्ड का प्रबल विरोध किया तथा इसे अमानवीय बताया। वे बच्चों के स्वयं द्वारा नियंत्रण के प्रबल समर्थक थे यद्यपि बाह्य या अन्य स्रोतों से नियंत्रण के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि स्वनियंत्रण का विकास योग एवं ब्रह्मचर्य के अभ्यास द्वारा किया जा सकता है।

viuh ixfrr dh tkp dj: & 8

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

18. श्री अरविन्द द्वारा सुझाए गए शिक्षा के लक्ष्य की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

19. श्री अरविन्द द्वारा सुझाई गई पाठ्यचर्या का विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

11-12 I kjk'k

इस इकाई में, हमारा प्रयास आपको शिक्षा के दार्शनिक आधार से परिचित कराना था। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार किसी देश की शिक्षा व्यवस्था उस देश के दर्शन से प्रभावित होती है। विशेषतः शिक्षा के लक्ष्यों, शिक्षा की संरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों, अनुशासन तथा विद्यालय वातावरण पर भारतीय तथा पाश्चात्य विचारकों के दर्शन का इस इकाई में चर्चा किया गया है।

उपरोक्त शिक्षाविदों के शैक्षिक दर्शन, विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद का वर्णन करता है। गाँधी, अरविन्द, प्लेटो, विवेकानंद तथा कृष्णमूर्ति जैसे शिक्षाविद शिक्षा के आदर्शवादी सिद्धान्तों का समर्थन करते हैं जबकि रूसो, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे शिक्षाविद् प्रकृतिवाद के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। जॉन डिवी का शिक्षा दर्शन प्रयोजनवादी प्रकृति का है।

आगे, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, कोई भी दार्शनिक पूर्णतः आदर्शवादी, प्रकृतिवादी या प्रयोजनवादी नहीं कहा जा सकता है। कहीं-कहीं दार्शनिकों के मौलिक दर्शन, दर्शन के एक संप्रदाय पर प्रभावी होता है परंतु वहीं कुछ पक्षों में, वे दर्शन के अन्य संप्रदायों के सिद्धान्तों के दृष्टिकोणों का समर्थन करते हैं।

10-12 I nhk xFk ,o mi ;kxh iBu

ब्रूकचेर, जॉन, एस. (1969). *मॉडर्न फिलोसोफीज ऑफ एजुकेशन*, न्यू यॉर्क: मैकग्रा हिल कं.।

चौबे, एस. पी. (1975), *भारतीय शिक्षा दर्शन*, दिल्ली: दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

चौबे, एस.पी. एवं चौबे, अखिलेश, (2007), *शिक्षा के दार्शनिक समाजशास्त्री आधार*, मेरठ: इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।

मोहन्ती, जे. (1994). *इंडियन एजुकेशन इन दि इर्मिजिंग सोसाइटी*, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड।

ओर, एल.के. (1976). *शिक्षा की समाजशास्त्री और दार्शनिक पीठिका*, दिल्ली: दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

पंचौरी, गिरिश, (2010). *फिलोसफी ऑफ एजुकेशन*, मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।

पाण्डे, आर. एस. (1990). *शिक्षक दार्शनिक एवं समाज शास्त्री पृष्ठभूमि*, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।

सक्सेना, एन.आर.एस. (2009). *प्रिन्सिपल ऑफ एजुकेशन*, मेरठ: लायल बुक डिपो।

सक्सेना, एन.आर.एस. एवं चतुर्वेदी (2007). *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा*, दिल्ली: शिप्रा पब्लिकेशन।

शर्मा, आर.एन. (2000). *टैक्टबुक ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी*, नई दिल्ली: कनिष्का पब्लिशर्स

श्रीवास्तव, आर.पी. (1992), *भारत के महान शिक्षाशास्त्री*, पटियाला हाउस, नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

सिंह, मधुरीमा एवं भार्गव, महेश (2012), *शिक्षक दर्शन आवम विचारक*, आगरा, विभोर ज्ञान मेला।

सिंह, जी. (2014), *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक*, मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।

सोनी, रामपाल. (2014), *उदयमुख भारतीय समाज में शिक्षक*, आगरा: एच.पी. भार्गव बुक हाउस।

10-14 ixfr tkp gr mUkj

1. निषेधात्मक शिक्षा स्वयं शिक्षा है। यह अनुभवों के अर्जन द्वारा इन्द्रियों की शिक्षा है।
2. स्व-अनुशासन, बच्चे के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक रूप से धारण किया गया उत्तम चरित्र।
3. अवलोकन, पृच्छा, इन्द्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण, स्व-अधिगम, परामर्श आदि।
4. शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा सहित मानव शक्ति का एकीकृत विकास। स्व-अधिगम के माध्यम से आत्मबोध के लिए शिक्षा।

5. पाठ्यचर्या बच्चे के सृजनशील विकास के लिए होनी चाहिए। उन्होंने, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, कृषि आदि जैसे विषयों को पाठ्यचर्या में समाविष्ट करने का सुझाव दिया।
6. शिक्षक को चिंतनशील अभ्यासकर्ता होना चाहिए तथा प्रेम, स्नेह, सहानुभूति एवं स्वीकारोक्तिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
7. वास्तविक शिक्षा, व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, निःस्वार्थ, आध्यात्मिक तथा मानव सेवक बनाने के लिए है।
8. एक शिक्षक योग, ध्यान तथा ब्रह्मचर्य का एक वास्तविक अभ्यासकर्ता होता है।
9. उन्होंने भाषा, इतिहास, तर्कशास्त्र, गणित, भूगोल तथा विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया।
10. सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए शिक्षा।
11. वस्तुओं, वातावरण आदि के साथ अंतःक्रिया तथा ज्ञान के आधार से प्राप्ति अनुभव है।
12. पाठ्यचर्या के सिद्धान्त लचीले, उपयोगी, आनुभाविक तथा जीवन से जुड़े होने चाहिए।
13. विद्यालय पाठ्यचर्या को लचीला, बाल-केन्द्रित बनाना तथा अधिगम में सृजनशीलता का अभ्यास।
14. जीवन का वास्तविक अर्थ शिक्षा द्वारा समझा जा सकता है तथा सत्य केवल शिक्षा द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
15. स्व-अभ्यास।
16. स्व-अभ्यास।
17. 14 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य तथा उसे शिल्प पर आधारित होनी चाहिए।
18. शुद्धता के साथ बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास, इन्द्रियों का विकास, नैतिकता, अंतःकरण तथा आध्यात्मिकता का विकास।
19. स्व-अभ्यास।

ljpuk

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 लोकतंत्र का अर्थ, अवधारणा एवं विषयक्षेत्र
- 11.4 लोकतंत्र के प्रकार
 - 11.4.1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र
 - 11.4.2 अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
- 11.5 लोकतंत्र एवं शिक्षा में सम्बन्ध
- 11.6 लोकतंत्र के सिद्धान्त
 - 11.6.1 शिक्षा में प्रयुक्त लोकतांत्रिक सिद्धान्त
 - 11.6.2 लोकतंत्र के लिए शिक्षा
- 11.7 शिक्षा का लोकतांत्रिकरण
 - 11.7.1 शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का मात्रात्मक आयाम
 - 11.7.2 शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का गुणात्मक आयाम
 - 11.7.3 भारत में शिक्षा का लोकतांत्रिकरण
- 11.8 लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा
 - 11.8.1 एक अधिकार के रूप में शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा
 - 11.8.2 सतत् विकास हेतु शिक्षा
 - 11.8.3 प्रबुद्ध नागरिकता के लिए शिक्षा
 - 11.8.4 ज्ञान समाज के लिए शिक्षा
 - 11.8.5 मूल्य अभिधारण और शांति शिक्षा
- 11.9 सारांश
- 11.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन
- 11.11 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

11-1 ALrkouk

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी लोकतांत्रिक विशेषता को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की मूल अवधारणा को समझना आवश्यक है। लोकतंत्र की अवधारणा सरकार, सामाजिक संरचना अथवा आर्थिक दशाओं के संकीर्ण अर्थ तक ही बहुत अधिक सीमित नहीं है। यह स्वरूप में व्यापक है तथा जीवनयापन की पद्धति के रूप में देखा जाता है। शताब्दियों परिवर्तन से गुजरने के पश्चात् लोकतंत्र अपने अर्थ और सिद्धान्तों का नया स्वरूप धारण किया है। तथापि, लोकतंत्र की नवीन अवधारणा कुछ निश्चित मूल सिद्धान्तों पर आधारित है। इन सिद्धान्तों और शिक्षा से उनके सम्बन्धों का इस इकाई में विमर्श किया गया है (इग्नू, 2000)।

प्रस्तुत इकाई में लोकतांत्रिक समाज के अभ्यास में शिक्षा की भूमिका जैसे, शिक्षा एक अधिकार के रूप में, सतत् विकास हेतु शिक्षा, प्रबुद्ध नागरिकता हेतु शिक्षा, ज्ञान समाज हेतु शिक्षा और नागरिकता, शान्ति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा की प्राप्ति आदि पर भी चर्चा की गई है।

ukV § उपरोक्त इकाई के कुछ खंड एवं उपखंड 'शिक्षा में लोकतांत्रिक सिद्धान्त' (इकाई-4, पृ. 50-65, शिक्षा की समझ (खंड-1), शिक्षा एवं समाज (इ.एस-334), बी.एड, 2000, इग्नू, नई दिल्ली से लिए गए हैं।)

11-2 mí';

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- लोकतंत्र के अर्थ, अवधारणा और विषय क्षेत्र का वर्णन कर सकेंगे;
- लोकतंत्र के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे;
- लोकतंत्र के मौलिक सिद्धान्तों को समझ सकेंगे;
- शिक्षा में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रयोग का समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकेंगे;
- भारत में शिक्षा और लोकतंत्र के सम्बन्धों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- सतत् विकास और नागरिकता की शिक्षा की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे;
- ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका की चर्चा कर सकेंगे; और
- लोकतंत्र में मूल्य और शांति शिक्षा के अभिधारणा की व्याख्या कर सकेंगे।

11-3 ykdr:= dk vFk] voèkkj.kk ,o fo"i; {k=

“लोकतंत्र” पद ग्रीक शब्द “डेमोस” और “क्रेटोस” से ग्रहण किया गया है। “डेमोस” का अर्थ है जनता और “क्रेटोस” का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र शब्द का अर्थ है “जनता की शक्ति”। वर्तमान समय में यह शासन का सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप बन चुका है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वयं शासन करती है।

म्यूलर (2009) के अनुसार, “लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था या पद्धति है जिसमें समुदाय का एक महत्वपूर्ण भाग सरकार के कार्य के निर्धारण में सहभागी होता है।” उनकी सहभागिता प्रत्यक्ष रूप से समुदाय का सामूहिक चयन अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के चुनाव को सुनिश्चित कर सकती हैं। इस व्यवस्था का मुख्य मानक यह है कि इसमें नागरिकों की अपेक्षाओं तथा राज्य से उनकी प्राप्ति के मध्य एक सम्बन्ध होता है। उदार लोकतंत्र में नागरिक न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं बल्कि विचार और कार्य की स्वतंत्रता का भी उपभोग करते हैं। यह स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकारों द्वारा संरक्षित होती है और न्यायतंत्र द्वारा सशक्त होती है।

लोकतंत्र की प्रारंभिक परिभाषाएँ इसके संख्यात्मक मानकों पर केन्द्रित थी जैसा कि ग्रीकवासियों के अनुसार इस शासन का अर्थ था “बहुतों द्वारा शासन”। परंतु आधुनिक लेखक संख्यात्मक मानदंडों को अपनाने के स्थान पर लोकतंत्र के उन सिद्धान्तों पर बल देते हैं कि राज्य के निर्देशन में उन लोगों को सहभागी होना चाहिए जो नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त हैं। ब्रायसी ने “मार्डन डेमोक्रेसी” में कहा है कि “यह शासन का एक स्वरूप है जिसमें बहुसंख्य सुयोग्य लोगों की इच्छा द्वारा शासन किया जाता है।” जैसा कि अवस्थी (2012) ने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए केवल मात्र, लोगों की सहमति ही आवश्यक नहीं है। यद्यपि प्लेटो के शब्दों में लोगों को स्वयं का प्रहरी या रक्षक होना चाहिए। वास्तविक लोकतंत्र बनाने हेतु लोगों की सहमति भी वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी होनी चाहिए। यदि लोकतंत्र वास्तविक रूप में जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन का

दावा करता है तो इसका संकल्प सरकार की नीतियों और सामाजिक-आर्थिक दिशा-निर्देशों से जुड़े प्रश्नों में सर्वोपरि होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का बहुमत। लोकतंत्र प्रत्येक योग्य नागरिक को राज्य से सम्बन्धित मामलों पर अपना मत व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है।

f'k{kk dī ykdrkf=d fl)kur

लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अवधारणा पर आधारित है। इसका सिद्धांत है कि वे सभी व्यक्ति जो नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के योग्य हैं राज्य के दिशा-निर्देशन में उनकी सहभागिता होनी चाहिए। यह व्यक्तियों के मध्य भेद नहीं करता है। एक लोकतांत्रिक समाज में सभी धर्म, वर्ग, वंश, जाति, जन्म और सम्प्रदाय के लोग किसी भी भेदभाव के बिना समान अधिकारों और सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

11-4 ykdrf= dī idkj

संरचना और क्रियाविधि के आधार पर लोकतंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (i) प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy)
- (ii) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect Democracy)

11-4-1 AR;{k ykdrf=

गार्नर (1910) के अनुसार, "एक विशुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें राज्य की इच्छा या संकल्प जनसभा में लोगों या लोगों के लिए कार्य करने वाले चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या तत्क्षण व्यक्त किया जाता है।" प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रत्यक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करती है। यह केवल छोटे राज्यों में ही संभव हो सकता है जहाँ जनता अपने मत व्यक्त करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हो सकती है। यह पद्धति प्राचीन ग्रीक शहरों में अपनाई जाती थी और वर्तमान समय में यह स्विटजरलैंड के केवल चार प्रांतों में प्रयोग में है।

11-4-2 vAR;{k ykdrf=

मिल (1861) के अनुसार, "अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र वह है जिसमें सभी लोग अथवा उनमें से कुछ लोग स्वयं द्वारा सामयिक रूप से चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं।" अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राज्य की इच्छा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं की जाती है बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जिन्हें उन्होंने विचार करने और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। वास्तव में, विस्तृत और जटिल समाज में जहाँ लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है और राज्य का क्षेत्रफल भी विस्तृत होता है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है और सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रचलित है। भारत का लोकतंत्र भी इसके उदाहरणों में से एक है।

उपर्युक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त, लोकतंत्र की प्रकृति नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर बल देती है (इग्नू, 2000)। यह लोकतंत्र की अति व्यापक अवधारणा है। इसमें मानव जीवन के समस्त पहलू, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, राज्य के शासन हेतु राजनीतिक प्रारूप, समाज के लोगों में समता और समानता प्रदान करना और नागरिकों को जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक रूप से सशक्त बनाना आदि सम्मिलित है।

f0;kdyki 1

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की उदाहरणों के द्वारा तुलना कीजिए। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है और कैसे?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11-5 ykdr:= ,o f'k{kk e: lEcUek

लोकतंत्र और शिक्षा के मध्य बिल्कुल स्वाभाविक सम्बन्ध है। एक तरफ लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करता है और दूसरी तरफ लोकतंत्र के सुचारु और सतत् कार्य में शिक्षा मूल तत्त्व के रूप में कार्य करती है।

लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों और विशेषताओं में से एक यह है कि यह समानता को सुनिश्चित करता है। इसलिए यह सभी नागरिकों को समान समझता है और सभी के लिए शिक्षा को अधिकार के रूप में प्रदान करता है। लोकतंत्र की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए अवस्थी (2012) लिखते हैं: "लोकतंत्र सभी लोगों को शिक्षित करता है।" यह जन-शिक्षा में बड़े पैमाने पर प्रयोग है।

लोकतंत्र के सिद्धान्त जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, आत्मसम्मान, सहयोग, सहभाजन, उत्तरदायित्व आदि शिक्षा को गहराई से प्रभावित करने वाले आयाम हैं। दूसरी ओर विविध स्तरों और आयामों पर शिक्षा स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली, अर्थपूर्ण, प्रासंगिक और लाभदायक बनाने हेतु लोकतांत्रिक मूल्यों अथवा सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार शिक्षा के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता क्योंकि एक लोकतांत्रिक शासन के सुचारु रूप से चलने हेतु सभ्य समाज के नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। लोकतंत्र को जीवन की वास्तविकता, जीवनयापन का तरीका एवं जीवन शैली में होने के लिए इसका प्रारंभ शिक्षा के आरंभ से ही करना पड़ेगा और विद्यालयों और महाविद्यालयों में इसके मूल्यों का प्रयोग करना पड़ेगा।

हैण्डरसन (1947) के अनुसार, "लोकतंत्र दो मान्यताओं पर आधारित है: मानव व्यक्तित्व के अनंत मूल्य तथा अच्छाई एवं मान्यता जिसे मनुष्य सभी के कल्याण को बढ़ावा देने के रूप में स्वयं के मामलों में प्रबंधन में समर्थ हो अतः उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी प्रकार, बोडे (1937) ने लोकतंत्र को जीवनयापन की एक पद्धति के रूप में व्यक्त किया है "जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक प्रभावी निर्धारक है।" मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेला नहीं रह सकता है। लोकतंत्र मानव के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की सुचारु गति को सुनिश्चित करता है। शिक्षा मानव जीवन की

एक महत्वपूर्ण और आवश्यक गतिविधि है, और इसलिए, इसे लोकतंत्र से अलग नहीं रखा जा सकता है। यद्यपि, शिक्षा सामाजिक विकास और प्रगति का सक्षम उपकरण है जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। इस प्रकार लोकतंत्र और शिक्षा में घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों एक-दूसरे को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं।

viuh ixfr dh tkp dj| & 1

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. हम यह क्यों कहते हैं कि लोकतंत्र सहभागिता है?

.....

.....

.....

2. सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

3. लोकतंत्र और शिक्षा के मध्य सम्बन्ध का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

11-6 ykdrf= d fl)kur

भारतीय लोकतंत्र में चार मूलभूत सिद्धान्तों : स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय को प्रतिष्ठापित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है:



इन आधारभूत सिद्धान्तों के अतिरिक्त, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लोकतंत्र में आत्मसम्मान की भावना, सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना आदि विचार भी समाहित हैं।

आइए, अब हम शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों की व्याख्या करें:

mnkjrk vFkok Lor:=rk

नन (1945) का मानना है कि मानव जीवन में स्त्रियों और पुरुषों के स्वतंत्र गतिविधियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से कुछ अच्छी चीज प्रविष्ट नहीं करती है। मानवीय गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता को मूलभूत दशा के रूप में माना जाता है। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्रता को बहुत उच्च स्थान दिया जाता है। जब कोई स्वतंत्रता की बात करता है तो उसका आशय विचार, क्रिया, अभिव्यक्ति और गतिविधि की स्वतंत्रता से होता है। यह एक स्वतंत्र वातावरण है जिसमें व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने और स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित होता है। लचीले और स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास संभव है। लोकतंत्र में व्यक्तियों को बाहरी शक्तियों और अन्वांछित दबावों से मुक्त रहना चाहिए ताकि उनका अंतर्मन उनके व्यवहार और चरित्र का समुचित आकलन कर सकेगा।

lekurk

मानव की मौलिक विशेषताओं और गुणों की दृष्टि से सभी व्यक्ति जन्म से ही समान हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि, अभिरुचि, शारीरिक क्षमताओं आदि के रूप में विशिष्ट हैं। इस प्रकार समानता व्यक्ति के सम्बन्ध में अनुभवजन्य सामान्यीकरण नहीं है बल्कि एक नैतिक आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अधिकतम विकास और सुधार के लिए समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्तिगत भिन्नता के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने, सीखने और अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है।

Hkk r Ro

आस्था और जीवन शैली की भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र में एक-दूसरे का सम्मान और सहयोग करते हुए साथ-साथ रहने की व्यापक विचारधारा ही भ्रातृत्व है। भ्रातृत्व की भावना लोकतंत्र का मुख्य आधार है। जब तक व्यक्ति यह अनुभव नहीं करेंगे कि वे सभी समान मानवता से सम्बन्धित हैं, वे दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग का अनुभव नहीं कर सकते जो कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। अतः व्यक्ति के जीवन और विकास के क्षेत्र में जाति, रंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जन्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रेम, स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, समझ आदि भ्रातृत्व के स्वाभाविक सिद्धान्त हैं जो लोकतंत्र की सफलता के लिए अति आवश्यक हैं।

U;k;

उपर्युक्त मूल्यों के परिणामस्वरूप यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति को न्याय का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जा सकता है और न ही उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयास करने से रोका जा सकता है। अनुचित अथवा अवैध आधारों पर व्यक्तियों में भेद नहीं किया जा सकता। यदि किसी के साथ धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वह इस अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में आवाज उठा सकता है और अपने लिए न्याय की माँग कर सकता है।

f'k{kk e: Lor=rk@Lokèkhurk

पेस्टॉलॉजी, जो आरम्भिक शिक्षाशास्त्रियों में से एक है का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य पराधीनता से स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता है। उनके अनुसार, "लोकतंत्र में स्वतंत्रता के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया जाता है तथा बालक की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, उत्तरदायित्व, न्याय तथा सहयोग के लोकतांत्रिक सिद्धान्त को अर्थपूर्ण व प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा में इनकी पूर्ण समझ होनी चाहिए।" भारत सहित किसी भी राष्ट्र में जहाँ लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली है लोकतंत्र में स्वतंत्रता का यही सिद्धान्त उपयोगी है।

ykdr:= e: lekurk

सभी मनुष्य किसी न किसी क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने के सामर्थ्य के साथ जन्म लेते हैं। वे अनुभवों के साथ अपनी वृद्धि और विकास करते हैं जो एक-दूसरे से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। रूसो ने सही कहा है कि विविध परिस्थितियों और सुविधाओं के कारण बच्चे अपने निष्पादन और उपलब्धि में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बालकों को उनकी योग्यताओं के अधिकतम विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता अति आवश्यक है। वैयक्तिक भिन्नता के अतिरिक्त शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण कारक के रूप में वातावरण के महत्व को कम नहीं माना जा सकता है। शिक्षा आयोग (1964-66) ने सही पाया है कि "शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य पिछड़े वर्गों या अलाभान्वित वर्गों तथा व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के प्रेरक के रूप में शिक्षा के उपयोग हेतु इनको सक्षम बनाते हुए अवसरों को समान करना है।

ykdr:= e: Hkkro

सार्वभौमिक बंधुता लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, शिक्षा में भी इसका आधारभूत महत्व है। विद्यार्थी, अध्यापक, माता-पिता और यहाँ तक कि अशैक्षणिक कर्मी भी प्यार, सहानुभूति, समझ और सद्भाव के बंधन में बंधे होने चाहिए। परियोजनाओं के साथ-साथ पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के प्रशासन और आयोजन हेतु, सहयोग और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। यह सामान्य रूप से शिक्षा की सफलता और विशेष रूप से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास को भी अग्रसर कर सकता है।

ykdr:= e: U;k;

लोकतंत्र की पूर्वकथित विशेषताओं के परिणामस्वरूप शिक्षा में न्याय को सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। न्याय हेतु शैक्षिक अवसरों की समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं। विद्यार्थियों को नागरिकता का प्रशिक्षण देते समय, यह आवश्यक है कि उनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्श को मनःस्थापित किया जाए। अभावों और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं द्वारा कुछ विशेष युक्तियाँ भी आवश्यक हैं ताकि सदियों से चले आ रहे अन्याय को रोका जा सके और न्याय से वंचित लोगों हेतु न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

f'k{kk e: I k>k mÜkjnkf;Üo

शिक्षा इससे सम्बन्धित विद्यार्थियों, अध्यापकों, माता-पिताओं, समुदायों और अन्य सभी की सांझी जिम्मेदारी है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक समूह को अपने तरीके से और

अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। लोकतंत्र में समाज के प्रत्येक सदस्य के अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। विधि और संविधान की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं और अभिव्यक्त करने के लिए सभी के अपने विचार और दृष्टिकोण हैं। शिक्षा में सभी दृष्टिकोणों की प्रासंगिकता है और शैक्षिक विकास में सभी व्यक्तियों को सहयोग देना चाहिए।

f'k{kk e: lg;kx

लोकतंत्र और शिक्षा दोनों ही सहयोगी उपक्रम हैं। समाज के सभी सदस्य सक्रिय भागीदार होते हैं। लोकतंत्र के सिद्धान्त के रूप में सहयोग शिक्षा के सभी पक्षों में उपयोगी है – योजना से क्रियान्वयन, शिक्षण से मूल्यांकन तक, और प्रशासन से पर्यवेक्षण तक। विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं जैसे – किस प्रकार दूसरों के साथ मिलकर योजना बनाई जाए और कार्य किया जाए, समूह भावना को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, समूह क्रियाकलापों हेतु आवश्यक कौशलों को किस प्रकार अर्जित किया जाए आदि के द्वारा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, शिक्षा यदि नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान नहीं करती है तो न तो शिक्षा और न ही लोकतंत्र सफल हो सकता है।

11-6-2 ykdr= d fy, f'k{kk

लोकतंत्र ने शिक्षा को सदैव अपना महान समर्थक और नियत साथी के रूप में पाया है। शिक्षा के बिना लोकतंत्र की प्रासंगिकता और प्रभाव सीमित होता है और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र और शिक्षा का आपस में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है और एक के अभाव में दूसरा सफल नहीं हो सकता।

लोकतंत्र लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने में विश्वास करता है। परंतु, यदि लोग शिक्षित नहीं हैं तो उनकी स्वतंत्रता अराजकता और अनुशासनहीनता की तरफ जा सकती है। लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए आर्थिक-आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है।

लोकतंत्र की सफलता के लिए माथुर (1968) ने निम्न दो पूर्व दशाएँ बताई हैं:

- लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। यदि लोगों की मौलिक आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती हैं तो लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है। यदि राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों की रोजी-रोटी की समस्या समाधान करने में सहायक नहीं होती है तो वे इसे त्याग करने को भी तैयार हो सकते हैं।
- दूसरी पूर्व दशा शिक्षित निर्वाचक मंडल का निर्माण करना है। लोकतंत्र सुचारु रूप से तभी कार्य कर सकता है जब लोग शिक्षित और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। शिक्षा मनुष्य को सही-गलत, न्याय और अन्याय के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।

अन्यथा, एक छोटा समूह राज्य के शासन पर नियंत्रण कर लेगा और लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर देगा।

इनके अतिरिक्त एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं:

- व्यक्ति के व्यक्तित्व का सुसंगठित और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास
- व्यक्ति का नैतिक और सदाचरण के विकास सहित चरित्र का विकास।
- समाज या संस्कृति में कार्यकुशल और उत्पादक अस्तित्व का प्रशिक्षण।

viuh ixfr dh tkp dj & 2

ukV॥ (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

4. लोकतंत्र के किन्हीं तीन सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5. स्वतंत्रता के सिद्धान्त को शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग किया गया है?

.....

.....

.....

.....

11-7 f'k{kk dk ykdrkf=dj.k

लोकतंत्र के साथ-साथ शिक्षा को सफल बनाने के लिए शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था – इसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या, प्रविधि, कक्षा प्रबंधन, विद्यालयी संगठन, निरीक्षण आदि का लोकतांत्रिकरण किया जाना आवश्यक है। लोकतंत्र के सिद्धान्तों – स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सहानुभूति, सहकारिता, सहभाजन, उत्तरदायित्व आदि का प्रारंभ, अभ्यास और आदान-प्रदान करना चाहिए ताकि शिक्षा न केवल स्वरूप में बल्कि सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक बन सके। लोगों तक शिक्षा की पहुँच बनाने के लिए यदि शिक्षा के क्षेत्र को सभी स्तरों पर अप्रत्याशित विस्तार दे दिया जाए लेकिन उसकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप न हो तो शिक्षा का ऐसा विस्तार किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अधिक लाभकारी नहीं होगा। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करने के लिए दो आयामों पर विचार किया जाना चाहिए: (1) मात्रा, और (2) गुणवत्ता।

11-7-1 f'k{kk d ykdrkf=dj.k dk ek=kRed vk;ke

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और इसे एक "सम्प्रभुतासंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित किया गया। अन्य विषयों के साथ-साथ इसमें देश की आर्थिक सामर्थ्य के अनुरूप शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता को महसूस किया गया। अनुच्छेद 45 स्पष्ट करता है कि "राज्य संविधान लागू होने के दस वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार, देश में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। उस समय देश में बड़ी संख्या में अशिक्षा व्याप्त थी। परंतु तबसे जहाँ तक शिक्षा के मात्रात्मक विस्तार का प्रश्न है, भारत ने उचित प्रगति की है। 1947 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत केवल 16 प्रतिशत था जोकि 2011 में बढ़कर लगभग 74.04 प्रतिशत हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की संख्या, विद्यार्थियों का नामांकन, अध्यापकों की नियुक्ति आदि में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है। नवीन आँकड़े (तालिका 1) यह दर्शाते हैं कि स्वतंत्रता

प्राप्ति से अब तक भारत में मात्रात्मक रूप से शिक्षा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और यह इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा की पहुँच देश के कोने-कोने तक बढ़ रही है। वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) का क्रियान्वयन विद्यार्थियों तक विद्यालयी शिक्षा की पहुँच को सरल बनाया है।

rkfydk 1% fo|ky;h f'k{kk d ekin.M

ekin.M	l [:k@Äfr'kr rk
साक्षरता दर	74.04 प्रतिशत
पुरुष साक्षरता	82.14 प्रतिशत
स्त्री साक्षरता	65.46 प्रतिशत
कुल विद्यालय (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक)	1516892
विद्यालयों में शौचालय की सुविधा	93.08 प्रतिशत (बालिका) 88.62 प्रतिशत (बालक)
88.62 प्रतिशत (बालक)	
पेयजल की सुविधा	96.12 प्रतिशत
कुल अध्यापक	8269199

(lkr% डी.आई.एस.ई. 2014-15 और भारत की जनगणना 2011)

11-7-2 f'k{kk d ykdrkf=dj.k dk x.kkRed vk;ke

शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का आशय केवल शैक्षिक अवसरों की समानता या शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाना नहीं है बल्कि इसका आशय शैक्षिक सुविधाओं के मानकीकरण से भी है। इसका अर्थ है कि शिक्षा के लोकतांत्रिकरण में उचित आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, बौद्धिक और तकनीकी पहुँच के साथ-साथ पाठ्यचर्या में सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यसहगामी क्रियाओं का विस्तार भी शामिल होगा।

ब्रीडे (1969, पृ. 322) में शिक्षा व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण की सफलता हेतु कुछ निश्चित शर्तें बताई हैं। ये इस प्रकार हैं:

- देश के अधिकतम वृहद संभावित क्षेत्र के लिए शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्रीय वचनबद्धता;
- शिक्षा में सहयोग और सहभागिता देने हेतु मानवीय शक्ति का पूर्ण संघटन;
- संसाधनों के प्रति वचनबद्धता और वास्तविक सूचीबद्धता; और
- बढ़ती सामाजिक आवश्यकताओं और उभरती व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन को बढ़ावा देना।

गेल (1973, पृ. 205) ने अपने अध्ययन में बताया कि "शिक्षा का लोकतांत्रिकरण" का अर्थ अवसरों की समानता और आदर्शों की प्राप्ति दोनों है। यह इस बात पर भी बल देता है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा मिलनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार अवसर दिए जाने चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा को विकसित करने और लागू करने के लिए यूनेस्को द्वारा भी अनेक पहल की गई हैं और "लोकतांत्रिकरण की समस्याओं से सम्बन्धित उत्तरदायी शैक्षिक क्षेत्रों में संवेदना जागृत करने हेतु" अनेक प्रयास किए गए हैं। (आइबिद, पृ. 208)

लोकतंत्र में, शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया स्वतंत्र, लचीली और विद्यार्थी—केन्द्रित होनी चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और शिक्षण विधियाँ सृजनात्मक व सहभागिता पर आधारित होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों को सामुदायिक केन्द्रों की स्थिति का अनुमान होना चाहिए। विद्यार्थियों की आदतों, रुचियों, और अभिवृत्तियों को लोकतंत्र के सिद्धान्तों और मूल्यों के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। कक्षा प्रबंधन और विद्यालय संगठन में एक—दूसरे की सहायता, सहयोग, सहानुभूति, व्यक्तिगत पहल और उत्तरदायित्व की सहभागिता आदि अपनाए जाने चाहिए ताकि विद्यालय और महाविद्यालयों में वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली अपनाई जा सके।

11-7-3 Hkkjr e f'k{kk dk ykdrkf=dj.k

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि, भारत में सरकारी तंत्र और शिक्षा के हितधारक शिक्षा के लोकतांत्रिकरण हेतु सतत प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान (RUSA) आदि इस दिशा में हाल ही में किए गए कुछ प्रयास हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत ने शिक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि प्राप्त की है। परंतु देश की भौगोलिक विभिन्नता और विस्तृत आकार के कारण प्रगति की आशा नहीं की जा सकती।

पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रशासन और प्रबंधन के मध्यस्थता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पाठ्य—सहगामी क्रियाओं और अन्य कार्यक्रमों के संचालन में विद्यार्थियों की रुचियों और सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, चर्चा—परिचर्चा, सहपाठी और सहगामी अधिगम के माध्यम से शिक्षण विधियों का लोकतांत्रिकरण कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में "आपरेशन ब्लैकबोर्ड" लागू करके इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जा चुका है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू और एन.आई.ओ.एस. का सहयोग शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की दिशा में किए गए प्रयास हैं। अनेक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्मुखीकरण और रिक्रेशर पाठ्यक्रमों के रूप में एस.सी.ई.आर.टी., माध्यमिक शिक्षा परिषदों द्वारा विद्यालय अध्यापकों हेतु और विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षिक स्टॉफ महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय के अध्यापकों हेतु चलाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा का मात्रात्मक के साथ—साथ गुणात्मक लोकतांत्रिकरण करना है।

viuh ixfr dh tkp dj & 3

ukV॥ (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

6. "शिक्षा के लोकतांत्रिकरण" पद की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

7 शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के मात्रात्मक और गुणात्मक आयामों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

11-8 ykdrkf=d l ekt e f'k{kk

विश्व में शांति और प्रगति हेतु सामाजिक और राष्ट्रीय विकास हेतु समाज में वांछित परिवर्तन और लोकतंत्र की सफलता हेतु शिक्षा आवश्यक समझी जाती है। सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने शिक्षा का अधिकार सहित सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की। अनुच्छेद 26 (1) में कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम, प्रारंभिक और बुनियादी स्तरों पर शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए।" इस प्रकार शिक्षा बालक का जन्मसिद्ध अधिकार बन चुकी है और एक लोकतांत्रिक समाज में संपूर्ण समाज की प्रगति और व्यक्तिगत भलाई के लिए बालक को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी शिक्षा सृजनात्मक, उत्पादक, लचीली, आवश्यकता-आधारित और बालक के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

11-8-1 , d vfèdkj d : i e f'k{kk vkj l Hkh d fy, f'k{kk

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, शिक्षा को यूनेस्को (UNESCO) और संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) द्वारा मानवाधिकार और बालक का अधिकार घोषित किया जा चुका है। भारत के संविधान में भी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, "राज्य संविधान लागू होने के दस वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" दुर्भाग्यवश राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद भी संविधान में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है और संवैधानिक निर्देशों को भी समझा नहीं गया है।

अंततः हाल ही के वर्षों में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, को एक अधिकार घोषित करना, भारत के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत के इतिहास में पहली बार, राज्य द्वारा परिवारों और समुदायों की सहायता से बच्चों के गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा उनकी आयु के अनुरूप कक्षाओं उनके आस-पड़ोस में प्रदान की जाएगी।

सभी के लिए शिक्षा की अवधारणा, 20 से 27 मई 1986 में बैंकॉक में हुई विकास हेतु शैक्षिक नवाचार के एशियन कार्यक्रम की दसवीं क्षेत्रीय सलाहकार सभा और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और पुनर्नवीकरण तथा एशिया और पेरिसिफिक देशों से निरक्षरता को समाप्त करने हेतु क्षेत्रीय विशेषज्ञों की संयुक्त सभा का प्रतिफल है। वहाँ हुए उस कार्यक्रम को सभी के लिए एशिया-पेरिसिफिक शिक्षा कार्यक्रम (APPEAL) के नाम से जाना गया जो मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों से जुड़ा था: (1) निरक्षरता का उन्मूलन (EOI), (2) प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण (UEE) और (3) निरंतर शिक्षा (CE)। भारत में घोषणा के क्रियान्वित करने के लिए, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक शिक्षा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 है के रूप में लागू करना एक बड़ी उपलब्धि है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत तक पहुँच गई है और अभी सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

विश्वव्यापी सतत् विकास वर्तमान समाज का एक मुख्य मुद्दा है। सतत् विकास प्राप्त करने के लिए विश्वव्यापी परिचर्चाएँ चल रही हैं। सतत् विकास का आशय "ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक उष्मन) के खतरे को बिना बढ़ाए और भौगोलिक पर्यावरण को बाधित किए बिना विकास पर बल" है। सतत् विकास प्राप्त करने के लिए वैश्विक समुदाय का शिक्षित होना अति आवश्यक है। केवल शिक्षा ही हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन आदि के प्रति चेतना और जागरूकता उत्पन्न कर सकती है। सतत् विकास के लिए शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को सतत् भविष्य निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशलों, अभिवृत्तियों और मूल्यों को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है।

11-8-3 i c) u k x f j d r k d i f y , f 'k {k k

प्रबुद्ध नागरिकता प्राप्ति का प्रयास शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। शिक्षा में सभ्यता की समझ को अत्यधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। भारत में शिक्षा द्वारा सभ्यता की समझ को प्रोत्साहित करने की पुरानी परम्परा है। बहुत पहले प्राचीन भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थानों में स्वतंत्र कलाओं और मानविकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता था, जो विश्व के किसी अन्य संस्थान में नहीं था।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53, पृ.20) के शब्दों में, "लोकतंत्र में नागरिकता" बहुत वांछित और चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें अनेक बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक गुण सम्मिलित हैं जिनका विकास उनके द्वारा स्वयं करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। भारतीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यविषयी और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के न्यायसंगत अनुपात को प्रदान कर मानव व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास पर बल देती है। लोकतांत्रिक शिक्षा का स्वस्थ विकास ऐसी विविध संस्कृति में उत्पन्न होने वाली असमानताओं को सुधार करने का प्रयास करती है। एक-दूसरे के त्यौहारों में सम्मिलित होना, अंतर्सांस्कृतिक परिचर्चाओं के प्रोत्साहन सभी संस्कृतियों की विशिष्टता का सम्मान करके भारतीय विद्यालयों द्वारा अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता और सहनशीलता आदि गुणों को मनःस्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा करके भाषा, सांस्कृतिक प्रतिरूप और धर्म आदि के भेदभाव को एक सुदृढ़ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बदला जा सकता है।

11-8-4 K k u l e k t d i f y , f 'k {k k

ज्ञान समाज की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग पीटर ड्रकर द्वारा 1969 में एक नए प्रयोग के रूप में किया गया। ज्ञान समाज की अवधारणा सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक आयाम के अधिक विस्तृत स्वरूप को इंगित करता है। प्रत्येक समाज के पास ज्ञान की अपनी पूँजी होती है। इस प्रकार ज्ञान के स्वरूपों को सुव्यवस्थित करना है जिसे समाज ने पहले से ही धारण किया है तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था प्रतिरूप द्वारा मान्य ज्ञान के नवीन स्वरूप, विकास, अर्जन तथा विस्तार के रूप में कार्य करना आवश्यक है। सूचना समाज का यह विचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित है। किसी समाज के निर्माण में ज्ञान और संस्कृति के विभिन्न रूप, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिक तकनीकी से प्रभावित स्वरूप भी सम्मिलित हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज के एकमात्र संभव स्वरूप के लिए संकीर्ण और भाग्यवादी तकनीकी नियतिवाद के माध्यम से चलाए जा रहे सूचना और संचार आंदोलन के विचार को स्वीकार करना होगा।

एक ज्ञान समाज को वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों सहित इसके सभी सदस्यों को संघटित करने और एकता के नए रूपों को बढ़ावा देने के योग्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ज्ञान समाजों से जहाँ ज्ञान सार्वजनिक हित और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, बाहर नहीं होना चाहिए। नवयुवक व्यक्ति प्रमुख भूमिका निभाने के लिए बाध्य होते हैं और क्योंकि वे नवीन तकनीकों के उपयोग में अभ्यस्त होते हैं तथा दिन-प्रतिदिन के जीवन में परिचित विशेषताओं के रूप में स्थापित करने में सहायक होते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोगों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। उनके पास हमें यह स्मरण कराने कि ज्ञान बुद्धिमत्ता का मार्ग है और “वास्तविक समय” के संचार की अल्पज्ञता सम्बन्धी समायोजन हेतु आवश्यक अनुभव होता है। प्रत्येक समाज के पास ज्ञान का विशाल भंडार होता है जिसका सकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

11-8-5 eY; vfHkèkkj.k vkj 'kkfr f'k{kk

eY; f'k{kk

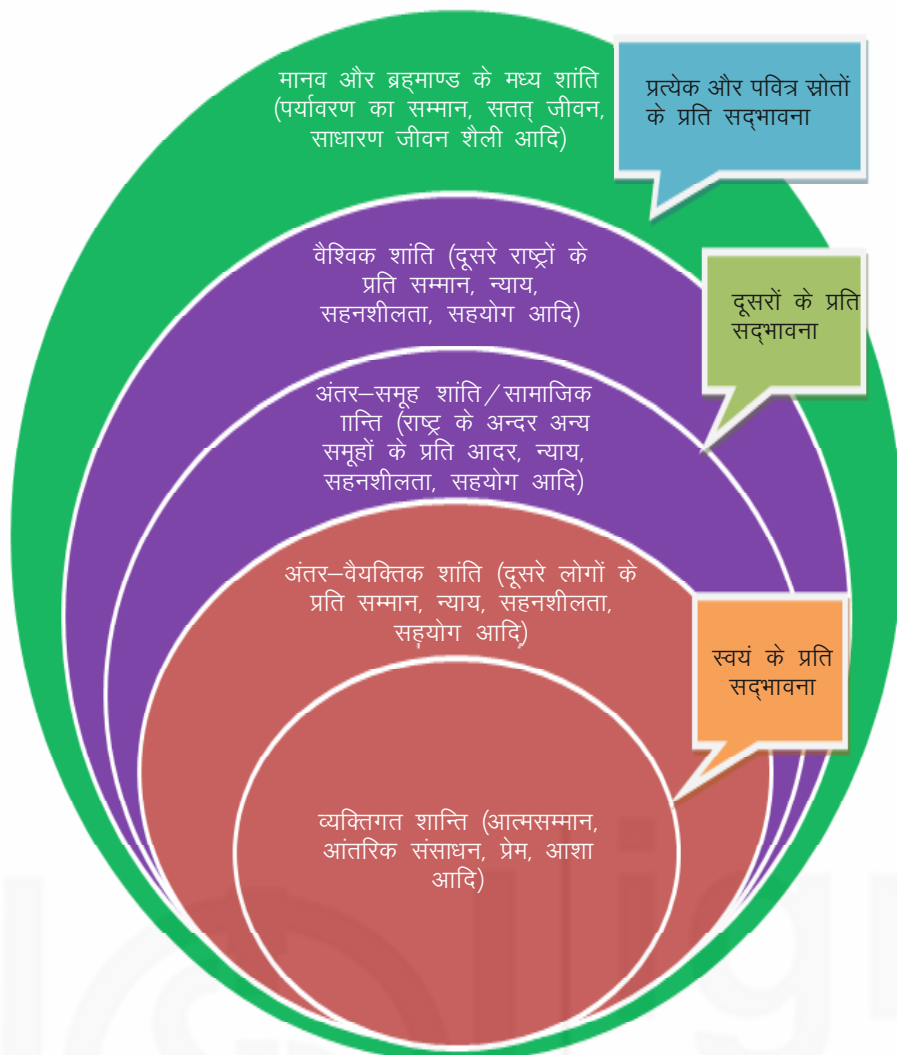
मूल्य हमारे दैनिक जीवन का नियंत्रण और मार्गदर्शन करते हैं। मूल्य प्रत्येक शब्द में निहित होते हैं जिनका हम चयन करते हैं और बोलते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम किस प्रकार दूसरों के साथ अन्तर्क्रिया करते हैं, दूसरों की प्रतिक्रियाओं के बारे में हमारी धारणाएँ और प्रत्युत्तर कि हम क्या कहते हैं आदि सभी में सम्मिलित होते हैं। मूल्यों का निर्माण रुचियों, पसंद, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और वरीयताओं के आधार पर होता है।

नागरिकता, मूल्य और शांति शिक्षा किसी भी शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्निहित गुणात्मक तत्व हैं। विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा के समुचित अभ्यास में युवा-पीढ़ी के जीवन में मूल्यों को मनःस्थापित करना सम्मिलित है। स्व-जागरूकता, तदानुभूति, तार्किक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान प्रभावशाली संप्रेषण, अंतर-वैयक्तिक सम्बन्ध, तनाव और भावनाओं का प्रबंधन जैसे जीवन कौशलों का उचित अभ्यास युवा विद्यार्थियों को ईमानदार, न्यायपूर्ण, सहयोगी, निःस्वार्थ, सहानुभूतिपूर्ण, कर्तव्यपरायण, नैतिक, नीतिपरक और आध्यात्मिक तत्व से पूर्ण बनाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 और शिक्षक-शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2009 दोनों ने विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या में भी नागरिकता, मूल्य और शांति शिक्षा के समावेशन की बात कही है।

'kkfUr f'k{kk

शान्ति और सद्भाव की अनुभूति किसी भी शिक्षा व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य होता है। यह शिक्षा के विभिन्न स्तरों जैसे कि प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और तृतीय स्तर (विश्वविद्यालय शिक्षा) आदि शिक्षा के सभी स्तरों पर आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है। बालकों में शान्ति स्थापना की अवधारणा, अभिवृत्तियों और कौशलों को बचपन से ही पोषित किया जा सकता है, आत्म-सम्मान को पोषित करना, सामाजिक सम्बन्धों का विकास और स्वायत्तता का निर्माण और आत्मानुशासन शान्ति शिक्षा के आधार हैं।

विभिन्न स्तरों पर शान्ति स्थापना विभिन्न तरीकों से होती है। आइए, हम विभिन्न स्तरों पर शान्ति के व्यापक अवधारणा को समझने के लिए चित्र (आकृति 1) देखें:



fp= 1 % 'kkfur d; Lrj

॥kr॥ पीस एजुकेशन: ए पाथवे टू ए कल्चर ऑफ पीस, नावारो कास्ट्रो, एल. एंड नारियो-गलासी, जे., 2010)

जैसा कि आकृति-1 से प्रदर्शित है कि वैयक्तिक और अंतर-वैयक्तिक शान्ति आत्म-सद्भावना का संदेश देती है। आत्म-सम्मान और दूसरों के प्रति सम्मान, प्रेम, आशा, न्याय और सहनशीलता प्रतिरोध और हिंसा दूर करने के मूल मंत्र हैं और वैयक्तिक और अंतर-वैयक्तिक स्तर पर शान्ति स्थापित करने में सहायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतरसमूह शान्ति दूसरों के प्रति सद्भावना रखने पर ध्यान केन्द्रित करती है। राष्ट्र के अंदर और अन्य राष्ट्रों में अन्य समूहों के प्रति सम्मान, न्याय, सहनशीलता और सहयोग स्थापित करने के लिए मूल तत्व हैं। मानव और पृथ्वी तथा इसके परे शान्ति, प्रकृति और पवित्र स्रोतों के प्रति सद्भावना के संदेश को फैलाती है। यह हमें पर्यावरण, सतत् जीवन और साधारण जीवन शैली के प्रति सम्मान के द्वारा शान्ति बनाए रखना सिखाती है। इसे विद्यालयी शिक्षा में प्रारंभ से ही सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है और अध्यापकों को विद्यार्थियों में और समाज में शान्ति और मूल्यों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

शान्ति शिक्षा के विस्तृत उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- हिंसा की उत्पत्ति, प्रकृति और इसके प्रभावों को समझना।
- संभव अहिंसक कौशलों अथवा विकल्पों को खोजने के लिए प्रोत्साहन देना।

- मानव में मानवीयता और मानवीय चेतना उत्पन्न करना।
- बच्चों और वयस्कों को व्यक्तिगत प्रतिरोध निवारण करने के कौशलों से सुसज्जित करना।
- शान्तिपूर्ण और सृजनात्मक समाजों की प्राप्ति हेतु रूपरेखा तैयार करना।
- लोगों में और राष्ट्रों के मध्य असहानुभूतिक सम्बन्धों के अस्तित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- व्यक्तियों के साथ-साथ समाज के सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे में विद्यमान प्रतिरोधों और हिंसा के कारणों की खोज करना।
- जाति, सम्प्रदाय, रंग, धार्मिक अवरोध आदि से परे सहयोग और समन्वय के माध्यम से एकता और समानता की भावना विकसित करना।
- आधारभूत मूल्यों जैसे ईमानदारी, सादगी, शिष्टता, दया, सहानुभूति, विनम्रता, सहयोग, आत्म-निर्भरता, आत्म-नियंत्रण, सत्यवादिता आदि को बढ़ावा देना।
- शान्तिपूर्वक जीवनयापन और अच्छे नागरिक के निर्माण को सिखाना।

viuh ixfr dh tkp dji & 4

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

8. सतत् विकास हेतु शिक्षा क्यों आवश्यक है?

.....

.....

.....

.....

9. मूल्य और शान्ति शिक्षा किस प्रकार एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं?

.....

.....

.....

.....

11-9 l kjk'k

इस इकाई में, हमने लोकतंत्र की अवधारणा के ऐतिहासिक विकास के बारे में पता लगाया। इसके पश्चात् हमने लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों और इसकी विशेषताओं जैसे—स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, सहभाजन, उत्तरदायित्व, सहयोग और व्यक्ति की गरिमा आदि और शिक्षा के लिए उनके प्रयोग पर चर्चा की। लोकतंत्र के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकारों की भी चर्चा की गई।

भारत के विशेष संदर्भ में शिक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक लोकतांत्रिकरण की व्याख्या की गई बेहतर लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हेतु, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की समझने हेतु शिक्षा की महत्ता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, इकाई के भाग, “लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा” बच्चों के अधिकार के रूप में शिक्षा, सतत विकास और ज्ञान समाज की स्थापना में इसकी भूमिका आदि के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। नागरिकता, शान्ति और मूल्य शिक्षा, जो किसी भी शैक्षिक प्रणाली का मूल है के महत्त्व की चर्चा भी इस इकाई में की गई है।

f'k{kk d; ykdrkf=d fl)kur

11-10 InHk xFk ,o mi ;kxh iBu

ब्रीडे, (1969), *ऐस्सेज ऑन वर्ल्ड एजुकेशन, दि क्रासिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड*, न्यू यॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

बॉम्बवॉल, के. आर. (1986). *असपेक्टस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया*, नई दिल्ली: आत्मा राम एंड संस।

ब्राउबैकर, जॉन एस. (1950), *माडर्न फिलोसोफिजीस ऑफ एजुकेशन*, न्यूयॉर्क: मैकग्रा हिल बुक कं.।

डिवी. जॉन (1963). *डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन*, न्यूयॉर्क: मैकमिलन पब्लिशर्स

डिवी, जॉन (1965). *प्रोब्लम्स ऑफ मैन*, न्यूयॉर्क: फिलोफिकल लाइब्रेरी।

डिवी, जॉन (1973). *दि स्कूल एंड सोसाइटी*, दि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।

भारत सरकार, (1965). *नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1986*, नई दिल्ली: एम.एच.आर.डी.।

भारत सरकार, (1965). *रिपोर्ट ऑफ दि सैकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952–53*, नासिक: भारत सरकार प्रेस।

भारत सरकार, (1965). *दि इंडियन कंस्टीट्यूशन*, मैनेजर, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

भारत सरकार, (1966). *रिओपन ऑफ दि एजुकेशन कमीशन 1964–66*, एम.एच.आर.डी. : शिक्षा मंत्रालय।

भारत सरकार, (1993). *एजुकेशन फॉर ऑल: दि इंडियन सिन वाइडिंग होनन्स*, नई दिल्ली: एम.एच.आर.डी.।

हिन्डरसन, एस.वी.पी., (1966), *सोशॉलाजिकल एप्रोच टू इंडियन एजुकेशन*, लंदन: दि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।

इग्नू (2000). *डेमोक्रेटिक प्रीन्सिपल्स इन एजुकेशन* (इकाई 4), अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन (खंड 1), *एजुकेशन एंड सोसाइटी* (ई.एस.-334), नई दिल्ली: इग्नू।

माथुर, डी.एस.ए. (1966). *ए सोशॉलाजिकल एप्रोच टू इंडियन एजुकेशन*, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।

मोहन्ती, जे. (1987). *डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया*, नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।

मोहन्ती, जे. (1994). *एजुकेशन फॉर ऑल*, (ई.एफ.ए.), नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।

नेहरू, जे. (1963): *नेहरूज स्पीचिज खंड 1*, नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग।

नावरो-कास्ट्रो, एल. एवं नेरियो-ग्लास, जे. (2010), *पीस एजुकेशन: ए पाथवे टू ए कल्चर ऑफ पीस, क्यूजोन सिटी: सेन्टर फॉर पीस एजुकेशन: मीरिम कॉलेज।*

एन.सी.ई.आर.टी. (2005). *नेशनल केरिकुलम फ्रेमवर्क – 2005 (NCF-2005)*, नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.।

एन.सी.टी.ई. (2009). *नेशनल केरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, 2009 (NCFTE-2009)*, नई दिल्ली : एन.सी.टी.ई.।

नन, टी.पी. (1968): *एजुकेशन: इट्स डाटा एंड फर्स्ट प्रीन्सिपल्स*, लंदन: एडवर्ड अर्नोल्ड पब्लिशर्स

रोज, जीम्स एस., (1962). *ग्राउंडवर्क ऑफ एजुकेशन थ्योरी*, जॉर्ज हैरी एंड संस, लंदन।

सैयादीन. के.जी. (1970). *फैक्ट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन*, नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.।

सैयादीन. के.जी. (1947). *प्रोब्लम्स ऑफ एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन*, बॉम्बे: एशिया पब्लिशिंग हाउस।

त्यागी. पी.एन. (1991). *एजुकेशन फॉर ऑल: ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन*, नई दिल्ली : एन.आई.ई.पी.ए.।

11-11 Áxfr t k p gr mÜkj

1. क्योंकि लोग प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः देश के लिए सरकार बनाने में सम्मिलित होते हैं।
2. सामाजिक लोकतंत्र शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक विकास के अन्य पक्षों में समाज में समता एवं समानता कायम रखता है जबकि आर्थिक लोकतंत्र लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है।
3. स्व-अभ्यास।
4. स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व।
5. लोकतंत्र में स्वतंत्रता के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया जाता है तथा बच्चे की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए।
6. शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का अर्थ नागरिकों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की समझ है।
7. शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के मात्रात्मक आयाम का अर्थ सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना तथा विद्यार्थियों को सभी प्रकार के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों को प्रदान करना है जबकि गुणात्मक आयाम में राष्ट्र के लिए नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व लेने के लिए राष्ट्र के नागरिकों को कौशल आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सम्मिलित है।
8. शिक्षा कौशल, उत्तरदायी तथा ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करती है, जिसके नागरिक सतत विकास को समझ एवं प्रयोग कर सकें।
9. स्व-अभ्यास।

ljpuk

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 शिक्षा के अभिकरण — अर्थ और वर्गीकरण
 - 12.3.1 शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण
- 12.4 शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार
 - 12.4.1 परिवार के बदलते परिदृश्य में घर के कार्य
 - 12.4.2 बच्चे के विकास हेतु एक अभिकरण के रूप में परिवार
- 12.5 शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय
 - 12.5.1 शिक्षा के बदलते परिदृश्य में विद्यालय के कार्य
 - 12.5.2 विद्यालय और घर के बीच सम्बन्ध
- 12.6 शिक्षा के अभिकरण के रूप में समुदाय
 - 12.6.1 समाज के बदलते परिदृश्य में समुदाय के कार्य
 - 12.6.2 विद्यालय और समुदाय के बीच सम्बन्ध
- 12.7 शिक्षा के अभिकरण के रूप में संचार माध्यम
 - 12.7.1 शिक्षा के बदलते परिदृश्य में संचार माध्यम के कार्य
- 12.8 परिवार, विद्यालय, समुदाय और संचार माध्यम के मध्य सम्बन्ध
- 12.9 सारांश
- 12.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन
- 12.11 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

12-1 ALrkouk

यह कहा जाता है कि घर बच्चे की शिक्षा हेतु प्रथम अनौपचारिक केन्द्र होता है और माता-पिता (विशेष रूप से माता) बच्चे का पहला अध्यापक होते हैं। केवल घर/परिवार ही नहीं बल्कि समुदाय, विद्यालय और संचार माध्यम बच्चे के ज्ञान व अनुभवों के निर्माण और बच्चे के व्यक्तित्व की रचना में सहायता करने हेतु बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए शिक्षा बच्चे के परिवार/घर, विद्यालय जहाँ बच्चा पढ़ता है, समुदाय जहाँ बच्चा रहता है और संचार माध्यम के विभिन्न रूप जिनका अनुभव बच्चा अपने जीवन में करता है, से बहुत निकटता से संबंधित है। परिवार/घर, विद्यालय, समुदाय और संचार माध्यम शिक्षा के अभिकरण कहे जाते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करते हैं।

इस इकाई का निर्माण शिक्षा के उपर्युक्त चारों अभिकरणों पर विचार-विमर्श करने हेतु किया गया है। इस इकाई में हम शिक्षा के अभिकरणों के कार्य और कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये अभिकरण किस प्रकार व्यक्ति विशेष की वृद्धि और विकास में

सहायता करते हैं। यह इकाई आपको इन अभिकरणों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में भी सहायता करेगी। इससे आगे यह इकाई आपको यह समझने में सहायता करेगी कि ये अभिकरण किस प्रकार समाज में परिवर्तन और विकास हेतु सघनता से कार्य करते हैं।

12-2 mÍ';

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

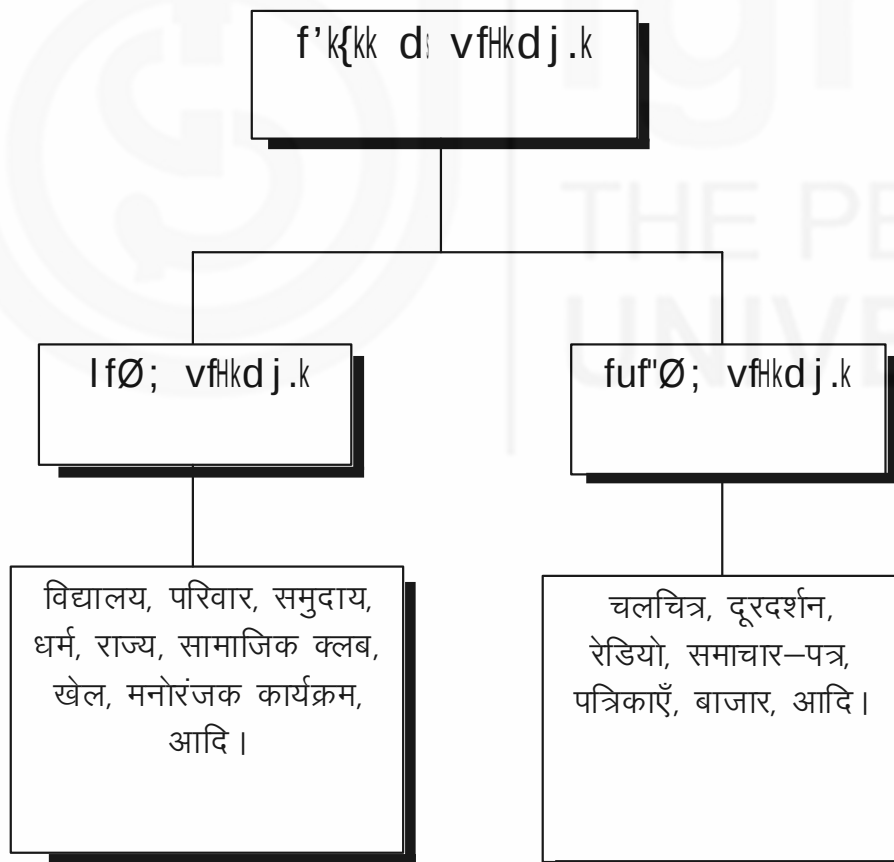
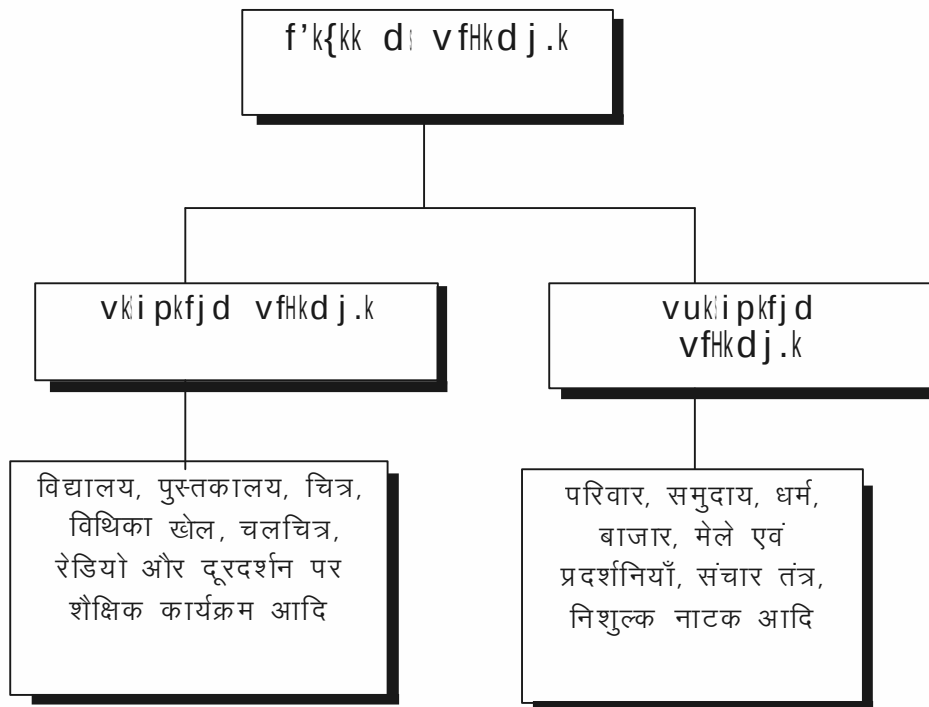
- शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कर सकेंगे;
- शिक्षा के उन अभिकरणों की सूची बना सकेंगे जिनके द्वारा बच्चा सीखता और विकास करता है;
- बच्चे के विकास के सम्बन्ध में घर के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे;
- शिक्षा के बदलते परिदृश्य में घर के कार्यों की चर्चा कर सकेंगे;
- शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय का वर्णन कर सकेंगे;
- शिक्षा के बदलते परिदृश्य में विद्यालय के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे;
- बच्चे के विकास में समुदाय के कार्य पर चर्चा कर सकेंगे;
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति शैक्षिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, इस पर चर्चा कर सकेंगे;
- शैक्षिक उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त संचार माध्यमों के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे;
- बदलते परिदृश्य में संचार माध्यम के कार्य की चर्चा कर सकेंगे; और
- बच्चे के विकास में विभिन्न अभिकरणों जैसे – विद्यालय, घर, समुदाय, संचार माध्यम के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे।

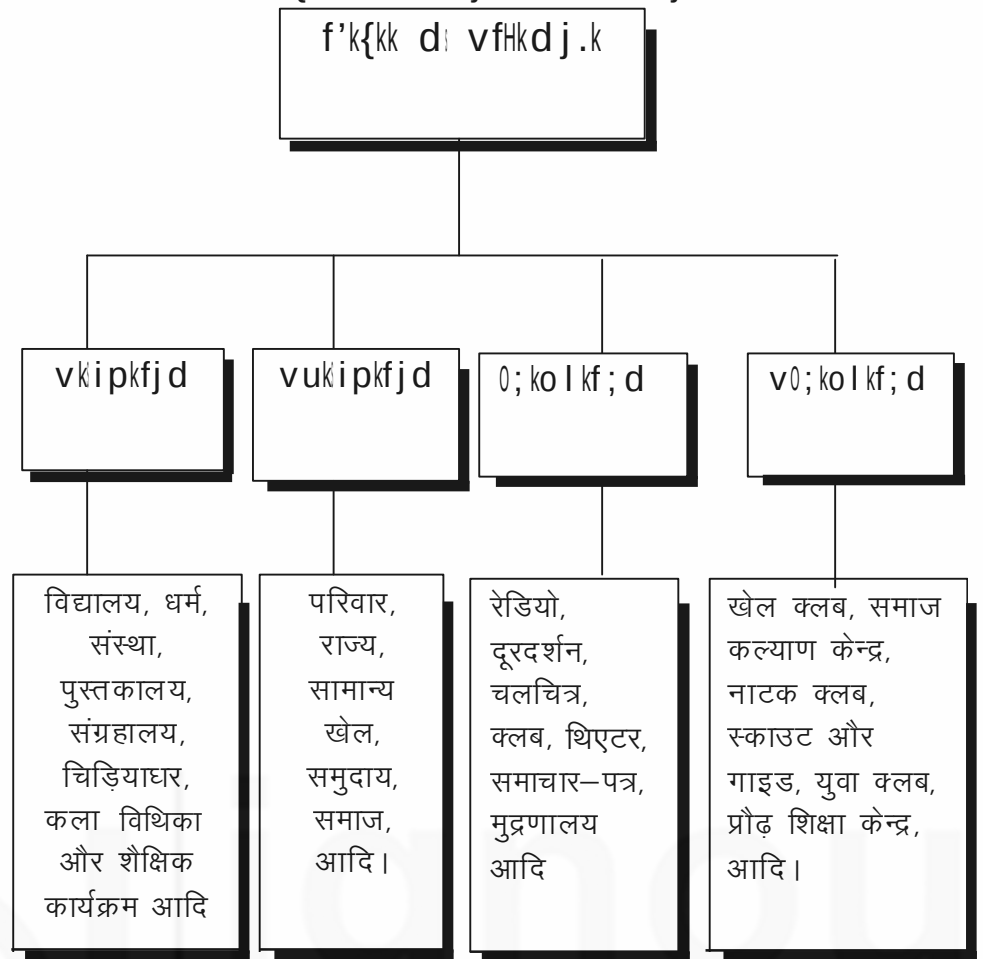
12-3 f'k{k d vfhkdj.k & vFk vkj oxhjdj.k

एक अध्यापक होने के नाते आप यह समझते होंगे कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह बच्चे के जन्म से ही आरंभ हो जाती है और मृत्युपर्यन्त चलती रहती है। अपने जीवन के पूरे समय में प्रत्येक व्यक्ति अनेक स्थितियों, संस्थाओं और संगठनों के संपर्क में आता है। वे शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों द्वारा शिक्षित होते हैं। शिक्षा के अभिकरण को सूचना, ज्ञान और शिक्षा प्राप्ति के माध्यम के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय, संचार माध्यम आदि। भाटिया (1994) के अनुसार, "शिक्षा के कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु समाज ने बड़ी संख्या में विशिष्ट संस्थाओं को विकसित किया है। ये संस्थाएँ शिक्षा के अभिकरण के रूप में जानी जाती हैं।" इन संस्थाओं में कुछ औपचारिक संस्थाएँ हो सकती हैं जबकि दूसरी अनौपचारिक संस्थाएँ। इस भाग में हम शिक्षा के अभिकरणों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे।

12-3-1 f'k{k d vfhkdj.k dk oxhjdj.k

ब्राउन (1947) द्वारा व्यक्त, सक्सेना (2009) द्वारा उद्धृत, शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। शिक्षा के अभिकरणों के कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरणों की चर्चा करेंगे और इस इकाई के अगले भाग में हम शिक्षा के अभिकरणों के कार्यों की चर्चा करेंगे।





(lkr% सक्सेना, 2009)

उपर्युक्त आकृतियों (आकृति 1 से 3) में प्रस्तुतीकरण के आधार पर आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों को उनके क्षेत्र और शिक्षा देने के कार्यों के आधार पर अभिकरणों के उपवर्गों में रखा जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि केवल एक अभिकरण बच्चे को शिक्षा प्रदान करने और उनकी वृद्धि और विकास हेतु पर्याप्त नहीं है। औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति, सक्रिय और निष्क्रिय पद्धति, व्यावसायिक और अव्यावसायिक पद्धति सभी से शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। अगले भाग में हम शिक्षा के अभिकरणों के कुछ महत्वपूर्ण उपभागों पर चर्चा करेंगे।

xfrfofèk 1

ऊपर प्रस्तुत की गई आकृतियों के अनुसार, एक अध्यापक होने के नाते आप शिक्षा के अभिकरणों का कोई अन्य वर्ग तैयार कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक रूप से बच्चा बाहरी संसार से अपना पहला संपर्क और लगाव अपनी माता से बनाता है। सीखने की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के साथ ही आरंभ हो जाती है। उसका मस्तिष्क उद्दीपक के लिए दी गई अनुक्रिया के अनुसार आकार ग्रहण करता है। बच्चे का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, जो भी व्यक्ति उसके सम्पर्क में आता है बच्चा पहले उसकी प्रतिक्रिया को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने हेतु उत्सुक रहता है। घर का वातावरण उसकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वृद्धि को आकार प्रदान करता है। माता उसकी पहली अध्यापक बनती है। निःसंदेह यही कारण है कि बच्चा जिस भाषा को पहले सीखता है वह “मातृ भाषा” कहलाती है। जब हम “घर” शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ उस जगह से होता है जहाँ उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं जिनके सम्पर्क में बच्चा आता है, जहाँ बच्चे को प्यार किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, उसे अनुशासित किया जाता है, पालन-पोषण किया जाता है, पढ़ा-लिखा कर बड़ा किया जाता है, जहाँ परिवार के द्वारा उसके जीवन को व्यवस्थित करने के उत्तरदायित्व का अनुभव किया जाता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार घर बच्चे के शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक और ज्ञानात्मक पक्षों के रूप में बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

12-4-1 ifjokj d cnyr ifjn' ; e ?kj d dk;

परिवर्तन एक अनवरत प्रक्रिया है, आपने संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन तथा परिवार के आकार में भी परिवर्तनों के रूप में परिवार व्यवस्था में परिवर्तन को देखा होगा। संयुक्त परिवारों में सभी सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और बच्चे के विकास को पोषित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु परिवार द्वारा मुख्य शैक्षिक कार्य निम्नलिखित हैं:

- यह बच्चे की प्रवृत्ति, नैतिकता और मूल्यों, आचरण, कौशल, व्यवहार प्रतिरूप को परिवार और उसके साथ-साथ समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है।
- यह बच्चे को संस्कृति, परम्पराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में शिक्षा देता है और सहानुभूति, प्यार और एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहने की भी शिक्षा प्रदान करता है।
- यह बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास में सहायता करता है।
- यह बच्चे के समाजीकरण और आत्मबोध को प्रभावित करता है।
- यह बच्चे की रुचि और प्रेरणा की पहचान करता है और उस के अनुसार उसको अवसर प्रदान करता है।
- घर, बच्चे को घर और विद्यालय के समीप लाने में सहायता करता है।
- घर बच्चे को केवल उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ ही नहीं पूरी करता है, बल्कि उसे भावी जीवनयापन हेतु अनेक अवसर भी समान रूप से प्रदान करता है।
- यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में बच्चे के संतुलित व्यक्तित्व के विकास हेतु उसकी सहायता करता है।

परिवार बच्चे में निम्नलिखित विकास लाता है:

- 'kkjhfd fodkl॥ बालक अपनी बाल्यावस्था अपने परिवार के साथ व्यतीत करता है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता बच्चे के शारीरिक विकास की होनी चाहिए। परिवार को बच्चे के आहार का ध्यान रखना चाहिए और इसके पोषण को सुनिश्चित करना चाहिए।
- lkekft d fodkl॥ समाजीकरण का पहला चरण बच्चे को उसके परिवार से प्राप्त प्यार और स्नेह द्वारा सीखा जाता है। घर पहला सामाजिक संस्थान है जो बच्चे को सामाजिक बनाने का प्रयास करता है। बच्चे का सामाजिक विकास प्यार, स्नेह, स्वीकार्यता, सुरक्षा, अनुमोदन, स्वतंत्रता आदि पर निर्भर करता है जो वह परिवार से प्राप्त करता है। बच्चा माता-पिता से उचित आचरण की स्वीकृति प्राप्त करता है। बच्चा माता-पिता की दैनिक गतिविधियों का अवलोकन करता है और ये गतिविधियाँ बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। परिवार का व्यवहार करने का तरीका बच्चे के भविष्य के कार्य और निष्पादन की दिशा बदल देता है।
- HkkokRed fodkl॥ माता-पिता का व्यवहार बच्चों के भावात्मक विकास को सुनिश्चित करता है। यह कहना अनावश्यक है कि बच्चा पहले माता-पिता से भावात्मक बंधन विकसित करता है। "स्वीकार्यता", "प्यार और अपनेपन" और "घनिष्टता" की भावनाएँ केवल परिवार से ही आती हैं, जो बच्चे को भावात्मक परिपक्वता प्रदान करती हैं।
- ekufld fodkl॥ शारीरिक विकास की भाँति बच्चे का मानसिक विकास भी समकालीक जारी रहता है। बाल्यावस्था के बहुत आरंभ से ही बच्चा दूसरों को समझना सीखता है, चिह्नों व प्रतीकों को पहचानता है, दूसरों से बात करता है और उनका अनुकरण करता है। यह केवल परिवार ही है जो बच्चे को न केवल औपचारिक प्रक्रियाओं से शिक्षित करता है बल्कि अनौपचारिक प्रक्रियाओं जैसे क्रिया, अभिनय और कहानियों द्वारा भी शिक्षा प्रदान करता है।
- ufrd vkj èkkfed fodkl॥ माता-पिता बच्चे का पहला आदर्श प्रतिमान होते हैं। यह अधिकांशतः देखा गया है कि एक लड़की अपनी माँ का अनुकरण करती है और उसी प्रकार एक लड़का अपने पिता का अनुकरण करता है। बच्चे के व्यवहार के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप आने वाले पुनर्बलन है मूल्य व्यवस्था का निर्माण करता है। किसी विशेष कार्य के प्रति बच्चे द्वारा अपने माता-पिता से प्राप्त पुनर्बलन बच्चे को सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। बच्चे द्वारा किए गए अनैतिक कार्य का माता-पिता द्वारा आरंभिक अवस्था में ही जाँच की जानी चाहिए। बच्चे की मूल्य पद्धति में प्रयुक्त नैतिक और धार्मिक गतिविधियों पर निर्भर करती है।

इन सबके अतिरिक्त परिवार की अगली जिम्मेदारी यह भी है कि वह बच्चे में देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना का विकास करे, बच्चा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझें, मानवीय जीवन और उसके प्रतिष्ठा का सम्मान करे और पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति को संरक्षित करें।

viuh ixfr dh tkp dj: & 1

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों की तुलना करते हुए उनकी विषमता बताइए।

.....

.....

.....

.....

2. घर द्वारा निष्पादन के लिए अपेक्षित विभिन्न कार्यों के नाम बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

12-5 f'k{kk d: vfHkdj.k d: : i e fo|ky;

आधुनिक समय में विद्यालय एक अनिवार्यता है और यह शिक्षा का महत्वपूर्ण औपचारिक अभिकरण बन गया है। यह शिक्षा में प्रत्येक बदलती माँग और समकालीन विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करता है। "स्कूल" शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द "Skhole" से हुई है जिसका अर्थ होता है – "विश्राम"। प्राचीन ग्रीक में पहले विश्राम के क्षणों का क्रमबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में, भारत में "गुरुकुल" शिक्षा पद्धति थी जहाँ विद्यार्थियों को "शिष्यों" के रूप में स्वीकार किया जाता था और वे अपने "गुरु" के साथ "आश्रमों/गुरुकुलों" में रहते थे। गुरु बच्चे के मनोविज्ञान को समझता था और नैतिक शिक्षा, भाषा, धार्मिक, दर्शनशास्त्र, गणित, तत्वमीमांसा सहित सम्पूर्ण ज्ञान से अवगत कराता था। सीखना जीवन, प्रकृति या मूल्यों को प्रदान करने तक सीमित था। यह केवल सूचनाओं को स्मरण करने की आवश्यकता तक ही सीमित नहीं था। परंतु अब विद्यालयी जीवन की अवधारणा बदल गयी है; यह शिक्षा के औपचारिक केन्द्र को इंगित करता है जहाँ बच्चों को व्यवस्था, शासन, राजनीतिक संरचना, लोकतंत्र, राष्ट्र, जनसंख्या, इतिहास, भाषाएँ, व्यवसायों आदि के विषय में पढ़ाने की आवश्यकता समझी जाती है। इस प्रकार विद्यालय व्यवस्था ज्ञान प्रदान करने का महत्वपूर्ण अभिकरण हो गई है। यह समाज हेतु शिक्षा में एकरूपता भी लाती है।

12-5-1 f'k{kk d: cnyr ifjn'; e fo|ky; d: dk;

विद्यालय शिक्षा का अभिकरण होने के साथ-साथ समाज का लघु रूप भी होता है। इसमें अध्यापकों, विद्यार्थियों, माता-पिता और राजकीय शैक्षिक प्रशासकों की भी भागीदारी सम्मिलित है। विद्यालयों की अपनी संस्कृति और सामाजिक संरचना होती है। समाजीकरण और संस्कृतिकरण भी विद्यालय के प्रमुख कार्य हैं। विद्यालय समाज का लघु स्वरूप के

रूप में युवा पीढ़ी हेतु समाजीकरण का कार्य करता है। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान अर्जित करते हैं और अन्य लोगों से पारस्परिक अंतःक्रिया हेतु आवश्यक ज्ञान, भाषा और सामाजिक कौशल सीखते हैं। पुनः, विद्यार्थी न केवल अध्यापकों और विद्यालय प्रशासकों द्वारा निर्मित शैक्षिक पाठ्यक्रम से ही सीखते हैं बल्कि वे अन्य लोगों से पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक नियम और अपेक्षाएँ भी सीखते हैं।

समाजीकरण के अतिरिक्त विद्यालय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक मानकों और मूल्यों को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना है जिसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। विद्यालय विविधतापूर्ण जनसंख्या को सामूहिक राष्ट्रीय पहचान प्रदान करते हुए एक समाज का आकार प्रदान करते हैं और भावी पीढ़ियों को उनकी नागरिक भूमिकाओं हेतु तैयार करते हैं। समाज के भिन्न-भिन्न स्तरों से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के विधि और विधानों का पालन करना पड़ता है। विद्यालय बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करता है। इस प्रकार विद्यालय बच्चे के व्यक्तित्व की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक विकास के रूप में नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के बदलते परिदृश्य में विद्यालय मूलतः दो प्रकार के कार्यों का निष्पादन करता है: (क) घोषित कार्यक्रम और (ख) उदीयमान कार्यक्रम। (इग्नू 2000)।

¼d½ ?kkf'kr dk;|

ijEijxr lLÑfr dk gLrkrfjr djuk

विद्यालय, संस्कृति को हस्तांतरित करने का एक अभिकरण है, यह समाज की संस्कृति इसके नागरिकों को हस्तांतरित करता है। व्यक्तियों को संस्कृति, ज्ञानार्जन, विश्वासों, मूल्यों और मानकों के विषय में पढ़ाया जाता है। विद्यालय बच्चों के स्वअवधारणा, भावनाओं, अभिवृत्ति और व्यवहार के विकास में सहायता करता है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विरासत और इतिहास होता है। विद्यालय का प्रमुख कार्य विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। यह इतिहास, साहित्य आदि के औपचारिक अध्यापन के द्वारा किया जाता है।

eyHkr dk'kyk vkj 0;kolkf;d f'k{kk dk vè;kiu

विद्यालय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और प्रशिक्षित कामगार, बुद्धिजीवी और सुशिक्षित नागरिक तैयार करने हेतु समाज की माँग को स्वीकार करता है। विद्यालय से व्यक्तियों को रोजगारपरक और व्यावसायिक कौशल के प्रशिक्षण की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की योग्यताओं और अभिरुचियों को पहचाना जाता है और उन्हें भली-भाँति दिशा निर्देशित किया जाता है। इस तरह वे अधिक वचनबद्ध हो जाते हैं और दक्षताओं एवं कौशलों का पूर्ण दक्षता से प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार विद्यालय स्तर से ही कौशल आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रही है। विद्यालय का मुख्य ध्यान कौशल युक्त मानव शक्ति उत्पन्न करने की ओर होना चाहिए।

pfj= f'k{kk

विद्यालय से बच्चों में मूल्यों को स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है। विद्यालय पाठ्यक्रम में नैतिक विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रमी चरित्रों की कहानियाँ भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होती हैं। यह विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह उच्च नैतिक गुणों और चरित्रसंपन्न व्यक्तियों का निर्माण करे। विद्यालय में विद्यार्थी विधि-विधानों का पालन करना सीखते हैं; वे धैर्य सीखते हैं, दूसरों के आस्थाओं

और विचारों का सम्मान करना सीखते हैं, और विद्यालय विद्यार्थियों को नीतिशास्त्र, मूल्यों, नैतिक गुणों और जीवन कौशल की शिक्षा का अनुसरण करना भी सिखाता है। उपर्युक्त सभी तथ्य जो विद्यालय द्वारा पढ़ाए जाते हैं, बच्चे के चरित्र निर्माण को अग्रसर करते हैं।

¼[k½ mnh;eku dk;Øe

thou dk'ky f'k{kk

वर्तमान समय का समाज विद्यालय से यह भी अपेक्षा करता है कि वह विद्यार्थियों को जीवन कौशलों की शिक्षा प्रदान करे जैसे स्व-जागरूकता, प्रभावी संवाद, सृजनात्मक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन, समस्या-समाधान की योग्यता, तनाव का समायोजन, संवेगों पर नियंत्रण आदि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जीवन कौशल अनुकूलित और सकारात्मक व्यवहार की योग्यताएँ हैं जो व्यक्ति को उसकी दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावी रूप से संव्यवहार करने हेतु योग्य बनाती हैं।

dk;!'khy lk{kjrk ei of)

विद्यालय निश्चित रूप से ज्ञान और शैक्षिक कौशलों के संवाहक के रूप में कार्य करता है जैसे पढ़ना, लिखना और अंकगणित। एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए साक्षरता का अर्थ पढ़ना, लिखना और अंकगणित का ज्ञान होता है। कार्यशील साक्षरता का अर्थ ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और मूल्यों को अर्जित करना है जिससे व्यक्ति समाज में रहते हुए प्रभावी रूप से उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है। इसमें साक्षरता दर में निश्चित प्रतिशत प्राप्त करने की सीमा नहीं है।

uohu Kku dk Álkj

विद्यालय बच्चों के मस्तिष्क के विकास हेतु एक धरातल भी तैयार करता है। यह बच्चों को उनके विचारों की उड़ान हेतु प्रोत्साहित करता है। यह युवाओं में सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। विद्यालय में ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिनमें बच्चों को परियोजनाएँ बनानी पड़ती हैं। वैज्ञानिक प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं जहाँ बच्चे वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित प्रतिरूप बनाते हैं। ज्ञान पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होता है। सक्रिय अध्यापक नए ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देते हैं और नई तकनीकों को अपनाते हैं। विद्यालय नव मस्तिष्कों, नूतन विचारों, नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टि और जाँच पड़ताल आदि के लिए एक उभरता धरातल प्रदान करता है।

;ku vkj ifjokj f'k{kk

भारत में अभिभावक यौन शिक्षा पर चर्चा करते हुए संकोच करते हैं। पुनः यह दायित्व विद्यालय को सौंपा गया है कि वह यौन और परिवार शिक्षा प्रदान करें। इसे पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह यौन और परिवार से जुड़ी अनेक भ्रांतियों को दूर करता है। यह बच्चों को शरीर के जैविक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताता है और जीने के लिए स्वस्थ वातावरण निर्मित करता है।

,d lkFk jgu| gr| lh[kuk

डेलर्स आयोग (1996) के अनुसार, "शिक्षा का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के साथ मानव प्रजातियों की विविधता और सभी मनुष्यों में समानताओं तथा अंतर्निर्भरता की जागरूकता को बताना है।" इसलिए बचपन के आरंभ से ही विद्यालयों को दोनों बातों को पढ़ाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। वास्तव में विद्यालय बच्चों को घुलने-मिलने और पारस्परिक व्यवहार करने की अनुमति देता है। विद्यार्थी को दूसरे समुदाय या धार्मिक

f'k{kk d nk'kfud ifjÁ{;

समूह के दृष्टिकोण को स्वीकार करने और दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं को स्वीकार करने की अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए तैयार किया जाता है। विद्यालय धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। बच्चे दूसरे समूहों से सहअस्तित्व बनाना सीखते हैं। यह बच्चों में ग्रहणशील मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है।

12-5-2 fo | ky ; v^{kj} ?^{kj} d^s chp l EcUèk

परिवार अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और आशा करते हैं कि वहाँ वे ज्ञान का अर्जन करेंगे, मूलभूत कौशलों का विकास करेंगे और नैतिक व आचरण के गुणों का व्यवहार करेंगे। विद्यालय परिवारों से बच्चों को लेते हैं और वापस परिवारों में भेज देते हैं जहाँ से वे यह कल्पना करते हैं कि परिवार उन बच्चों को बढ़ने व सीखने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। बच्चे के विकास में घर और विद्यालय के सहयोग एक-दूसरे से जुड़े हैं। ये दोनों अभिकरण बच्चों के समाजीकरण और संस्कृतिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों संस्थाएँ छोटे बच्चों में शिक्षा और मूल्यों के पोषण के संबंध में एक-दूसरे पर निर्भर हैं। विद्यालय द्वारा विद्यालय के विकास में अभिभावकों की भागीदारी की सुनिश्चितता के लिए अभिभावक-अध्यापक बैठक का आयोजन करते हैं। दूसरी ओर, घर बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है और उन्हें शिक्षा हेतु योग्य बनाता है। यदि बच्चों का परिवार में देखभाल, स्नेह और समझदारी के साथ पालन-पोषण किया जाता है तो ऐसे बच्चों का उज्ज्वल भविष्य और मजबूत व्यक्तित्व होता है। घर का प्रेरक वातावरण बच्चे को विद्यालय की गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए प्रभावित करता है और बच्चे के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। इसलिए विद्यालय तथा घर दोनों को ही बच्चे के विकास में अपनी भूमिका को समझना चाहिए।

xfrfofèk 2

एक अध्यापक के रूप में विद्यालय और घर के बीच सम्बन्ध सुधारने हेतु आप किस प्रकार सोचते हैं? अपने सुझाव दीजिए।

UNIVERSITY

viuh ixfr dh tkp dji & 2

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3. विद्यालय कौन-से घोषित कार्य करता है?

.....

.....

.....

.....

4. विद्यालय के उदीयमान (उभरते हुए) कार्यक्रमों की सूची बनाइए।

.....

.....

.....

.....

5. वे कौन-से तरीके हैं जिनके द्वारा अभिभावक विद्यालय की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

12-6 f'k{kk d vfhkdj.k d : i e lenk;

“Community” (समुदाय) शब्द की उत्पत्ति दो भिन्न शब्दों “Com” और “Munis” से हुई है, “Com” का अर्थ है साथ-साथ और “Munis” का अर्थ है सेवा (कार्य) करना। इस प्रकार समुदाय शब्द का अर्थ है “साथ-साथ कार्य करना।” मनुष्यों का एक समूह जिनके रहन-सहन, सिद्धान्तों और विचारों में समानता रहती है एक समुदाय कहलाता है। समुदाय को अग्रलिखित आधारों पर बाँटा जा सकता है – (i) जनसंख्या अर्थात् गाँव या नगर, (ii) भाषा, (iii) धर्म, (iv) सामाजिक संरचना और (v) आर्थिक स्थितियाँ।

12-6-1 lekt d cnyr ifjn'; e lenk; d dk;

समुदाय शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण है। परिवार की तुलना में समुदाय एक बड़ी सामाजिक इकाई है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि समाजीकरण, संस्कृति के प्रति जागरूकता, “हम” की भावना का विकास और नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करना परिवार के मुख्य कार्य हैं। समुदाय वृहद समाज का एक भाग होता है और परिवार समुदाय का एक भाग होता है। समाजीकरण और संस्कृतिकरण समुदाय के मुख्य कार्य हैं। विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे विवाह, त्यौहार आदि में सम्मिलित होकर बच्चे

मूल्य पद्धति और सामाजिक संस्कृति के विषय में जानते हैं। समुदाय के द्वारा बच्चे प्रथाओं और परंपराओं को मनःस्थापित करते हैं जो उनके सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं।

lenk; d 'kf{kd dk;|

जैसा कि चर्चा की जा चुकी है समाजीकरण और संस्कृतिकरण समुदाय के मुख्य कार्य हैं। विद्यालय भी समुदाय का एक भाग होता है। समुदाय उपलब्ध अभिकरणों और अवसरों का भी संज्ञान रखता है और उन्हीं के अनुसार कार्य भी करता है। समुदाय विद्यालय के साथ अंतःक्रिया और उसकी गुणवत्ता में सुधार के द्वारा एक सक्रिय भूमिका निभाता है। समुदाय बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु यथासंभव प्रयास करता है। यह बच्चे के शारीरिक विकास हेतु अस्पताल, पार्क और खेल के मैदानों की स्थापना करता है। समुदाय सिनेमा, चिड़ियाघर, पुस्तकालय आदि खोलने का उत्तरदायित्व भी लेता है जो बच्चों के जीवन और गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक समुदाय के कुछ आदर्श व्यक्ति होते हैं जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और समाज यह चाहता है कि भावी पीढ़ी उनका अनुकरण करे, यह बच्चों को उनकी मूल्य पद्धति को स्थापित करने में सहायता करता है। डेलर्स आयोग (1966) के अनुसार "शैक्षिक सुधारों की सफलता हेतु योगदान देने वाले मुख्य हितधारकों में सर्वप्रथम स्थानीय समुदाय है जिसमें अभिभावक, विद्यालय प्रमुख और अध्यापक सम्मिलित हैं। यह स्पष्ट है कि किसी भी सफल सुधारात्मक रणनीति में स्थानीय समुदाय की सर्वोपरि भूमिका होती है। समुदाय शिक्षा के उपयोगी मूल्यों पर ध्यान केन्द्रित करता है, अन्ततः वह चाहता है कि विद्यार्थी योग्य नागरिक बनें और देश की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ धनार्जन करें।

12-6-2 fo|ky; vkj lenk; d chp lEcUèk

अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसमें घर, विद्यालय, सहपाठी समूह, समुदाय आदि आते हैं। एक सामाजिक संस्था और समाजीकरण के साधन के रूप में विद्यालय को समुदायों से एक अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता है। समुदाय विद्यालय में सम्मिलित हो सकता है और विद्यालय भी इसकी पाठ्यक्रम प्रक्रिया में भाग ले सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के अनुसार (पृष्ठ 88) बच्चे के शैक्षिक संसार और सीखने में समुदाय की भागीदारी हेतु समुदाय को निम्नलिखित हेतु अनुमति दी जाए:

- इतिहास का मौखिक हस्तांतरण (लोक कथाओं, प्रवचन, पर्यावरण का विघटन, व्यवसायी, उपनिवेशकों आदि से संबंधित) और परम्परागत ज्ञान (बीज बोना, फसल कटाई, मानसून, परम्परागत शिल्पों से जुड़ी प्रक्रियाएँ आदि) का ज्ञान बच्चों को दिया जाए, यदि आवश्यक हो तो विद्यालय बच्चों को समालोचनात्मक चिंतन हेतु प्रोत्साहित करें और परावर्ती चिंतन का अवसर दें।
- विषयों की विषयवस्तु को प्रभावित करना और उसमें स्थानीय, प्रायोगिक और समुचित उदाहरणों को सम्मिलित करना।
- बच्चों को ज्ञान व सूचना के खोज करने और सृजन करने में उनकी सहायता करना।
- स्थानीय सरकारों और विद्यालयों के साथ सूचना निर्माण, योजना, निरीक्षण तथा मूल्यांकन में सहभागिता के माध्यम से लोकतंत्र के अभ्यास में बच्चों की सहायता करना।
- बच्चों के अधिकारों के समझ के साथ-साथ उनके अधिकारों के उल्लंघन का निरीक्षण करना।

- बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिबंधों के समाधान में भाग लेना।
- व्यावसायिक प्रशिक्षणों हेतु मानदंडों की स्थापना में भाग लेना।
- "गाँव एक विद्यालय के रूप में" इस अवधारणा को समझते हुए बच्चों के लिए गाँव के वातावरण को सीखने योग्य बनाना।

(1kr% राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005)

बकर्वई (2013) का विचार था कि "विद्यालय समुदाय का सम्बन्ध द्विमार्गी सहजीविता व्यवस्था है जिसके द्वारा विद्यालय और समुदाय एक-दूसरे के लक्ष्यों को समझते हुए एक-दूसरे का सहयोग करते हैं।" इस प्रकार विद्यालय एक छोटा-सा समुदाय है जिसे प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु समुदाय से अच्छे सम्बन्धों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर समुदाय को भी अपने अस्तित्व और उन्नति के लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। मधुमेरे (2004) का विचार था कि, "सामाजिक व्यवस्था के रूप में विद्यालय का अर्थ समुदाय का एक भाग और खंड है।" वह आगे कहता है कि विद्यालय समुदाय से संबंधित होने के रूप में विस्तृत स्तर पर हमारे समुदाय और देश में सार्थक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय और समुदाय के बीच आत्मिक संबंध पूर्वापेक्षित है। सादकर (2008) का विचार था कि समुदाय अपनी संस्कृति और विचारों को विश्व को हस्तांतरित करता है।"

समुदाय को विद्यालय के समग्र निष्पादन में केवल बढ़ावा देना चाहिए। समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय माता-पिता और सम्मानित व्यक्तियों को राष्ट्रीय त्यौहारों और अन्य अवसरों जैसे खेल दिवस, सांस्कृतिक दिवस, विद्यालय दिवस आदि पर आमंत्रित करते हैं। विद्यालयों ने अभिभावक अध्यापक संघों, भूतपूर्व छात्र संघों आदि को भी प्रारंभ किए हैं जो सम्बन्धों और सहयोग को मजबूत बनाते हैं। समुदायों को विद्यालयों के बुनियादी ढाँचों में सहयोग हेतु भी सम्मिलित किया जा सकता है और अपने बुनियादी ढाँचे को सामुदायिक सेवा हेतु प्रदान कर सकता है। समुदाय को समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा हेतु संसाधनों को एकत्र करने हेतु भी कहा जा सकता है।

viuh ixfr dh tkp dji & 3

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

6. समुदाय के शैक्षिक कार्यों को विस्तारपूर्वक लिखिए।

.....

.....

.....

.....

7. समुदाय किस प्रकार विद्यालय की गतिविधियों के साथ बेहतर सहयोग कर सकता है?

.....

.....

.....

शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ संचार माध्यम को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। जन संचार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार सकता है क्योंकि यह अधिकांश लोगों को आपस में संवाद कराने हेतु सक्षम करता है। जन संचार माध्यम को एक माध्यम अथवा अभिकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विचार, अभिवृत्ति या प्रभावों को बहुसंख्य व्यक्तियों तक संप्रेषित किया जा सकता है।

जान डिवी ने कहा था कि शिक्षा को अध्यापक तक सीमित नहीं किया जा सकता और सामाजिक वातावरण के बिना पढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए जन संचार माध्यम शिक्षा के लिए सामाजिक वातावरण निर्मित करने हेतु एक प्रबल शक्ति है। आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनसंचार माध्यम ने सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत है उसे कक्षाकक्ष की चारदीवारी में सीमित नहीं किया जा सकता है। जनसंचार लोगों के लिए एक माध्यम है और यह बिना किसी सीमा के ज्ञान प्रदान करता है। यह देश की सीमाओं को भी नहीं जानता और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में बनाता है। सूचना का वृहद आदान-प्रदान समाचारपत्र, दूरदर्शन, रेडियो, पत्रिकाएँ, जर्नल, फिल्म, इंटरनेट, विश्व आधारित वेब, सामाजिक संचार माध्यम आदि के रूप में इस माध्यम में उपलब्ध हैं। वर्तमान में संचार माध्यम संसार में व्याप्त ज्ञान का एक बड़ा भंडार बन गया है और दैनिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि में प्रवेश कर गया है। यह अपरिहार्य बन चुका है और संचार माध्यम प्रौद्योगिकी के बिना इसकी कल्पना करना भी कठिन है। यह प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

12-7-1 f'k{kk d cnyr ifjn'; e l|pkj ekè;e d dk;|

परिवार, विद्यालय और घर की तरह ही संचार माध्यम भी समाजीकरण और संस्कृतिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार माध्यम बच्चे की औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में योगदान देता है। यह सभी आयु के व्यक्तियों में विचारों, विश्वासों आदि को प्रसारित करने में सहयोग करता है। सूचना टेलीविजन, रेडियो, पत्रिकाओं, समाचारपत्र, जर्नल आदि के द्वारा प्रसारित की जाती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा की जाती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सामाजिक दूरी (खाई) को पाटने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी दूरस्थ क्षेत्रों हेतु सूचना एवं ज्ञान को प्रसारित कर रही है और उन्हें मुख्यधारा में ला रही है। संचार माध्यम ने सूचनाओं और विचारों को प्राप्त करने और साझा करने हेतु विशाल संभावनाएँ निर्मित की हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने केवल हमारी शिक्षा पद्धति को ही सरल नहीं बनाया है बल्कि वह सार्वजनिक नीतियों और प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था को भी समान रूप से प्रभावित किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति अलग-थलग पड़े स्थानों या क्षेत्रों को नया भविष्य प्रदान कर रहा है और विशिष्ट खोज के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व से संवाद करने हेतु लोगों को योग्य बना रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सूचनात्मक आँकड़ों के लिए सुगम साधन प्रदान करता है और आगामी प्रयोगशाला स्थापना हेतु अवसर प्रदान करता है।

l|pkj ekè;e d 'kf{kd dk;|

संचार माध्यम समाज को शिक्षित करने वाले अभिकरणों में से एक है। यह शिक्षा का सबसे सस्ता और त्वरित अभिकरण है। संचार माध्यम आजकल अध्यापक के हाथों में एक

महत्वपूर्ण उपकरण भी है। आजकल इसे कक्षाकक्षों में मल्टीमीडिया पैकेज, सामाजिक मीडिया, व्यक्तिगत और समूह अधिगम और मूल्यांकन के रूप में सक्रियतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। शिक्षा की सफलता केवल मानव को यांत्रिक विधियों से विस्थापित करके प्राप्त नहीं की जा सकती बल्कि लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाने के उद्देश्य से मानव शक्ति और प्रौद्योगिकी उन्नति दोनों का ही प्रयोग करते हुए नए प्रतिरूप विकसित करके की जा सकती है। निःसंदेह, सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान और कौशलों की समझ में सुधार तथा अभिवृत्तियों में बदलाव को प्रदान कर रही है।

संचार माध्यम को शिक्षा की औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही पद्धतियों में प्रयोग किया जा रहा है। शैक्षिक संचार माध्यम ने अधिगम के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग मुख्य रूप से निरौपचारिक शिक्षा पद्धति जैसे मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ओ.डी.एल.) (Open and Distance Learning - ODL) में किया जाता है। भारत में इग्नू (IGNOU) और एन.आई.ओ.एस. (NIOS) जैसे संस्थान रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन कार्यक्रमों द्वारा पूरे देश में शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। एन.सी.ई.आर.टी के अंतर्गत केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET) मुख्यतः नवाचारों के विकास और विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों के प्रयोग से संबंधित है। यह शिक्षा की एक आकर्षक पद्धति के विकास में लगा हुआ है जिसमें इनसेट (INSAT) के माध्यम से टेलीविजन का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों और इससे बाहर बच्चों और अध्यापकों तक पहुँचाया जा सके। यह ई.टी.वी. (ETV) कार्यक्रमों का निर्माण करता है और ये कार्यक्रम इनसेट के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इग्नू में इलैक्ट्रॉनिक सूचना उत्पादन केन्द्र (EMPC) विद्यार्थियों के लिए टेलीकांफ्रेंसिंग और इंटरैक्टिव रेडियो परामर्श के माध्यम से श्रव्य-दृश्य सामग्री के विकास तथा सीधा प्रसारण में भी योगदान करता है।

डेलर्स आयोग (पृष्ठ 173) ने भी पाया है कि नई प्रौद्योगिकी ने कक्षाकक्ष में प्रयोग हेतु नए उपकरणों के एक समुदाय की रचना कर दी है जो निम्नलिखित हैं:

- कम्प्यूटर और इंटरनेट
- केबल और सेटेलाइट टीवी शिक्षा
- मल्टीमीडिया उपकरण
- पारस्परिक सूचना आदान-प्रदान पद्धति – ईमेल एवं पुस्तकालयों और सार्वजनिक ऑकड़ों की ऑनलाइन पहुँच।

([kr: इग्नू, 2000)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने इस बात पर बल दिया है, "आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी में विकास की प्रक्रिया में अनेक स्तरों और श्रेणियों के उपमार्ग हेतु संभावना है जिनका सामना पिछले दशक में किया गया है। समय के प्रतिबंध और दूरी दोनों व्यवस्थित हो गए हैं। द्वैध संरचना से बचने के लिए आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अधिक दूरस्थ क्षेत्रों और लाभार्थियों के अधिक वंचित वर्गों तक पहुँचना चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में ऑनलाइन सीखने और विभिन्न माध्यमों के प्रयोग का भी सुझाव दिया है। सबसे महत्वपूर्ण पूरे विश्व में MOOC (Massive Online Open Courses) की प्रगति और "डिजिटल लिटरेसी" अभियान हेतु भारत सरकार की वर्तमान पहल शिक्षा में मल्टीमीडिया के प्रयोग हेतु एक बड़ी प्रेरणा है।

मल्टीमीडिया पद्धति ने व्यक्तिगत रूप से सीखने को संभव बना दिया है जिसे कोई भी व्यक्ति चुन सकता है। ऑनलाइन इंटरैक्टिव कार्यक्रम नेट पर उपलब्ध हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम लेने हेतु समर्थ बनाता है। संचार माध्यमों के द्वारा निरौपचारिक शिक्षा ने सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाना संभव बना दिया है। अधिगम की सामग्री भी ऑनलाइन उपलब्ध है। अब विद्यार्थी केवल कक्षाकक्षों और अध्यापकों पर निर्भर नहीं हैं। अब विद्यार्थियों को अपने सीखने को कक्षाकक्षों की सीमा से बाहर निकालने का विकल्प है। इस माध्यम ने कमजोर विद्यार्थियों को एक बड़ी सहायता प्रदान की है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 के अनुसार, जनसंचार का प्रयोग अध्यापक प्रशिक्षण में सहायता, कक्षाकक्ष में अधिगम में सहायता और वकालत हेतु किया जा सकता है। बदलती गति के अनुसार अध्यापन और अधिगम की संभावनाएँ, स्वयं अधिगम, शिक्षा की द्वैध पद्धति, आदि सभी को प्रौद्योगिकी विशेष रूप से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग से लाभ हो सकता है। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने सूचनाओं को साझा करने हेतु समर्थ बना दिया है और विविध मुद्दों पर वाद-विवाद और आपसी संवाद हेतु धरातल प्रदान किया है। प्रौद्योगिकी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को भी उपकरणों और सहायक सामग्री के उपयोग हेतु समर्थ बना रही है।

निःसंदेह संचार माध्यम के आगमन से अध्यापक भी एक संक्रमण से गुजर रहे हैं। अध्यापकों को जागरूक होने और इन उपकरणों से सज्जित होने की आवश्यकता है। अध्यापकों को नवीनतम रुझान, विचारों और अनुसंधानों से युक्त होना होगा।

xfrfofèk 3

एक अध्यापक के रूप में शिक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों के प्रयोग के लाभ और सीमाओं, विशेष रूप से ग्रामीण विद्यालयों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12-8 ifjokj] fo|ky;] lenk; vkj l'pkj ekè;e d| chp l'EcUèk

शिक्षा के उपर्युक्त अभिकरण बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु एक-दूसरे के पूरक हैं। ये सभी अभिकरण अपने-अपने तरीके से बच्चे को प्रभावित करते हैं। घर, विद्यालय और समुदाय द्वारा बनाया गया एक पूर्ण वातावरण बच्चे की योग्यताओं में वृद्धि करता है। इस प्रकार, घर, विद्यालय, सहपाठी समूह, समुदाय और संचार माध्यम द्वारा निर्मित सम्पूर्ण

वातावरण बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस प्रकार ये सभी अभिकरण पृथक् रूप से बच्चे को प्रभावित करते हैं और आगे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

दूसरे शब्दों में एक अध्यापक केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करता बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन भी लाता है। हमारे सामने चाणक्य जैसे गुरु का उदाहरण है जिसने अपने ज्ञान के द्वारा शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध जन आन्दोलन प्रारंभ किया और मौर्य शासन को स्थापित किया। हमारे सामने महान विचारकों/अध्यापकों के अन्य उदाहरण भी हैं जो अपने समय में अग्रणी रहें और लोगों या समाज की सोच के तरीके को प्रभावित किया।

दूसरी ओर अनेक समुदाय कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखते हैं, जिसे उन्होंने पीढ़ियों के बाद प्राप्त किया है और अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया है। एक अध्यापक की भूमिका समाज की उन्नति हेतु एक मध्यस्थ और अभिकर्ता के रूप में होनी चाहिए। संचार माध्यम समाज को शिक्षित करने का एक अभिकरण है। निःसंदेह संचार माध्यम के आगमन से अध्यापक एक संक्रमण से गुजर रहे हैं। अध्यापक को इन उपकरणों के साथ जागरूक और सुसज्जित होना चाहिए। अध्यापक को नवीनतम विकास, रुझानों, विचारों और अनुसंधानों से युक्त होना चाहिए। उपर्युक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा के ये विभिन्न अभिकरण बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक-दूसरे के पूरक हैं। ये अभिकरण अपने-अपने तरीके से बच्चे को प्रभावित करते हैं।

viuh ixfr dh tkp dj: & 4

ukV% (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

8. क्या आप सोचते हैं कि जनसंचार माध्यम को अध्यापन में सहयोग हेतु प्रयोग किया जा सकता है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

9. शिक्षा के अभिकरण एक-दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं? उदाहरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

12-9 I kjk'k

इस इकाई में हमने शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों और बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करने में उनके सम्बन्धों का वर्णन किया है। औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों के कार्य एक-दूसरे के साथ गुथी और बुनी हुई है जो एक-दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। ये अभिकरण चेतन और अचेतन रूप से बच्चे को शिक्षित करते हैं और उनकी

अपनी उपयोगिता है। जहाँ विद्यालय जैसे औपचारिक अभिकरण योजनाबद्ध पाठ्यक्रम और तरीकों के द्वारा व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं वहीं अनौपचारिक अभिकरण अनौपचारिक और समग्र रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं। परिवार बच्चे के मन में मूल्यों की स्थापना करता है, समाज के नियमों और निषेधात्मक कार्यों के प्रति सूचित करता है और विद्यालय का सक्रिय सहयोगी होने के कारण बच्चे के अध्ययन में सहायता करते हुए उसके सामाजिक विकास की देखभाल करता है। विद्यालय बच्चे को उसकी समझ बढ़ाने हेतु और समाज के सदस्य के रूप में अनुकूलन हेतु उसके लिए आवश्यक ज्ञान देता है। यद्यपि, आजकल विद्यालयों द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाई जा रही है जिन्हें उदीयमान कार्य कहा जाता है। समुदाय बच्चे को नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने में परिवार के साथ उत्तरदायित्वों को साझा करता है। इसके अलावा, एक अनौपचारिक अभिकरण के रूप में समुदाय शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालयों, पुस्तकालयों, प्रदर्शनियों आदि के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ, अभिकरण और आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। यह विद्यालय के पाठ्यक्रम को भी नियंत्रित रखता है। विद्यालय वास्तव में समुदाय के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

संचार माध्यम अनौपचारिक अभिकरण के रूप में तेजी से उभर रहा है जो शिक्षा प्रदान करने हेतु सबसे बड़ा प्रवेश द्वार और आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी निःसंदेह ज्ञान, कौशल प्रदान कर रही है, समझ को सुधार रही है, और अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर रही है। संचार माध्यम को शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जा रहा है। शैक्षिक संचार माध्यम ने सीखने के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर ही महत्व प्राप्त कर लिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग मुख्य रूप से निरौपचारिक शिक्षा (ओ.डी.एल. पद्धति) हेतु किया जाता है। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने सूचना को साझा करने हेतु समर्थ बना दिया है और विविध मुद्दों पर वाद-विवाद और चर्चा हेतु धरातल प्रदान किया है जो इस स्तर पर अब तक अनुपलब्ध थे। प्रौद्योगिकी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उपकरणों और सहायक सामग्रियों के प्रयोग के साथ समर्थ बना रही है।

समग्र रूप से बच्चे के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के विभिन्न अभिकरण एक-दूसरे के पूरक हैं। ये सभी अभिकरण बच्चे को अपने-अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। घर, विद्यालय और समुदाय द्वारा निर्मित परिपूर्ण वातावरण बच्चे की योग्यताओं में वृद्धि करता है।

12-10 InHk xīFk ,o mi ;kxh iBu

ब्राउन, एफ.जे. (1947), *एजुकेशनल सोसियोलॉजी*, दि टैक्नीकल प्रैस।

डॉंगर. बी.एस. एवं ढल, इन्दिरा, (1994), *पर्सपेक्टिव इन मोरल एजुकेशन*, नई दिल्ली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस।

डाश, बी.एन. (2003), *प्रीसिंपल्स ऑफ एजुकेशन*, नई दिल्ली: नीलकमल पब्लिकेशन्स।

डेलोर्स जकक्यू, (1996). *लर्निंग दि ट्रेजर विदिन*, पेरिस: यूनेस्को पब्लिशिंग।

भारत सरकार (2015), *डिजिटल इंडिया*, नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

इग्नू, (2000). *एजेंसी ऑफ एजुकेशन* (इकाई 3), अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन (खंड 1), *एजुकेशन एंड सोसाइटी* (ई.एस.-334), नई दिल्ली: इग्नू।

मोहन्ती, पी.सी. (1992). *लर्निंग दि ट्रेजर विदिन*, पेरिस: यूनेस्को पब्लिशिंग।

f'k{kk d: vfHkdj.k

मोसग्रेव, पी.डब्ल्यू. (संपा.), (1970). *सोशाली, हिस्ट्री एंड एजुकेशन*, लंदन: मैथ्यू एंड कं. लिमिटेड।

एन.सी.ई.आर.टी. (2005). *नेशनल कोरिकुलम फ्रेमवर्क (NCF)*, नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.।

सक्सैना, एन.आर.एस. (2009), *प्रिन्सिपल्स ऑफ एजुकेशन*, मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।

InfHkr ocIkbV

<http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002136.htm> से 25 अक्टूबर 2015 को लिया गया।

http://www.musero.org.ng/agencies_of_education.pdf से 25 अक्टूबर 2015 को लिया गया।

<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536949.pdf> से 25 अक्टूबर 2015 को लिया गया।

<http://files.figshare.com/1804806/E04622329.pdf> से 25 अक्टूबर 2015 को लिया गया।

<http://www.communitydevelopment.com.au/documents/strengthening%20Links%20between%20Schools%20and%20Communities.pdf> से 25 अक्टूबर 2015 को लिया गया।

<http://parenthood.library.wisc.edu/Graue/Graue/html> से 25 अक्टूबर 2015 को लिया गया।

www.unesco.org_15_62.org से 27 अक्टूबर 2015 को लिया गया।

www.asksourc.info_31181_lifeskilled_1994.pdf से 24 अक्टूबर 2015 को लिया गया।

12-11 Áxfr t k p gr| mÜkj

1. औपचारिक शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के रूप में औपचारिक व्यवस्था होती है। इसमें नियत समय, स्थान अध्यापक और विद्यार्थियों के साथ संरचित पाठ्यचर्या होती है जबकि अनौपचारिक शिक्षा आकस्मिक रूप से जीवन के अनुभवों, संचार माध्यम, सहपाठियों से अंतःक्रिया, सामाजिक और वातावरण के सम्पर्क से प्राप्त होती है।
2. परिवार बच्चे का पालन-पोषण एवं उत्तरदायी बनाता है, समाज में रहने के लिए नैतिकता, आचार व्यवहार, मूल्यों और सामाजिक नियमों की शिक्षा देता है।
3. पारम्परिक संस्कृति आदान-प्रदान, बुनियादी कौशलों को सिखाना, चरित्र निर्माण करना।
4. जीवन कौशल शिक्षा, कार्यशील साक्षरता, नवीन ज्ञान का प्रसार और आपस में रहना सीखना।

5. स्व-अभ्यास।
6. समाजीकरण और संस्कृतिकरण समुदाय के मुख्य कार्य हैं। समुदाय बच्चे की शिक्षा हेतु उपलब्ध संसाधनों और अवसरों को भी समझता है। समुदाय विद्यालय के साथ जुड़कर और उसकी गुणवत्ता को सुधार कर एक सक्रिय भूमिका निभाता है। समुदाय बच्चों को अनेक सामुदायिक गतिविधियों में शामिल करके उनके सर्वांगीण विकास हेतु सभी प्रयास करता है।
7. स्व-अभ्यास।
8. संचार माध्यम का प्रयोग पाठ्यक्रम और समय की माँग के साथ जोड़ते हुए बच्चे की शिक्षा हेतु व्यापक रूप में किया जा सकता है। दृश्य, श्रव्य, मुद्रण और रेडियो द्वारा ऑनलाइन सीखने के अनुभव, टेलीविजन और इंटरनेट सीखने की मिश्रित पहुँच हेतु बेहतर रूप में संबद्ध किए जा सकते हैं।
9. स्व-अभ्यास।

